खण्ड-332, अंक-6
शुक्रवार, 8 वैशाख, शक संवत् 1900
(28 अप्रैल, 1978 ई0)

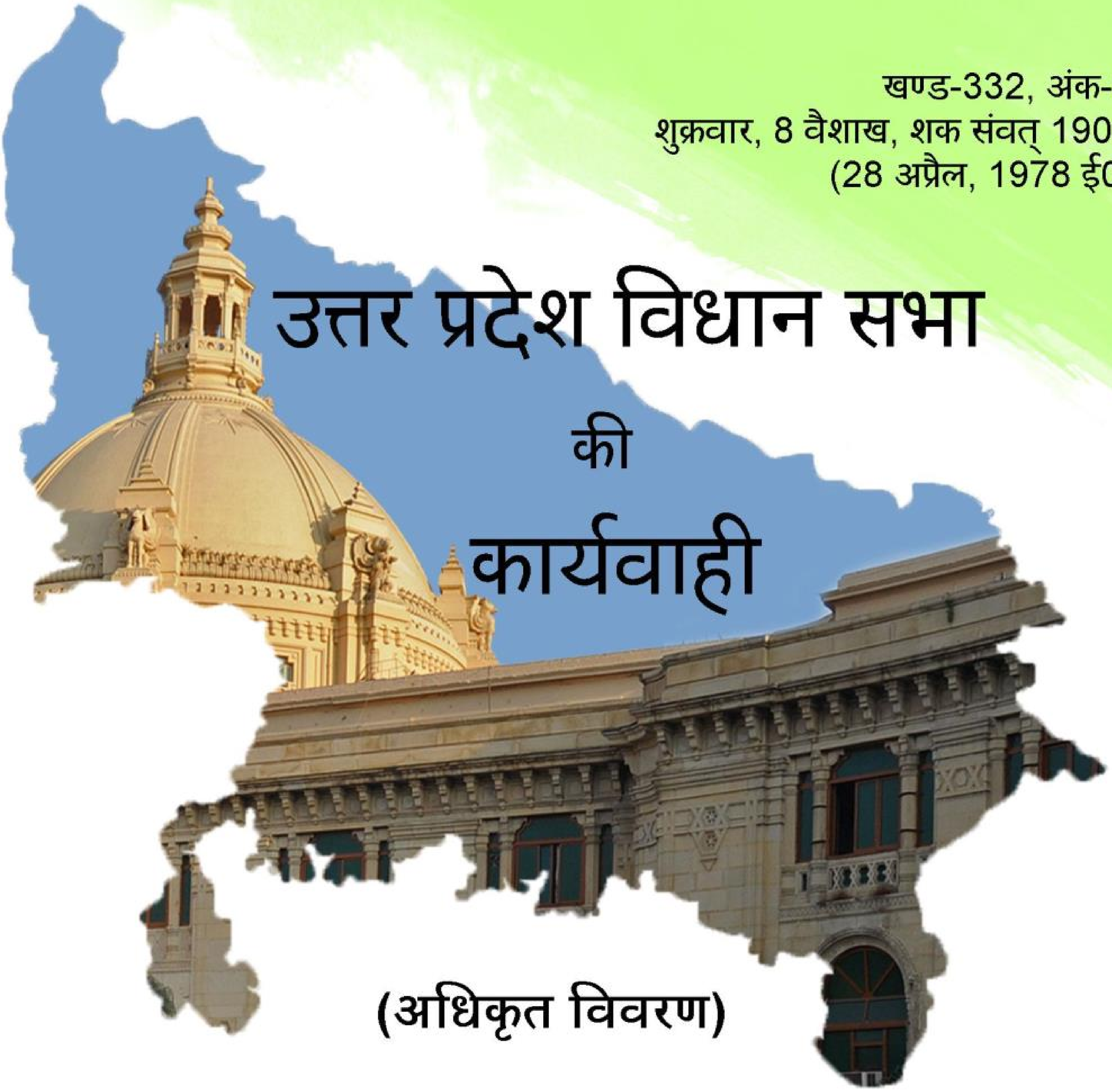

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 332 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	८०७-८१०
प्रश्नोत्तर	८११-८५६
कतिपय विषय	८५६-८५७
हैदरगढ़, बाराबंकी के ग्राम गंगापुर संसारा तथा सुकुलपुर में अग्निकाण्ड के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	८५७
मिर्जापुर में कोटा सुपर थर्मल पावर तथा कनहर परियोजना से प्रभावित ग्रामवासियों को अन्यत्र बसाने तथा उनको सुविधाएं देने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	८५७-८५८
जिला अस्पताल, शाहजहांपुर में लखनऊ निवासिनी, श्रीमती विमला जेटेली की रहस्यमय मृत्यु के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	८५८
निर्धन आश्रम, हरिद्वार के महन्त द्वारा चार हरिजन महिलाओं का अपहरण तथा महन्त पर भ्रष्टाचार के आरोप के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	८५९
मुजफ्फनगर के ग्राम फतहपुर के जगतसिंह तथा उनके दो साथियों की हत्या के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	८५९-८६०
श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (जारी)	८६० ८६१
नियम ३०१ के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में जानकारी ..	८६१
श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	८६१-८६२
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	८६३
अर्जक संघ तथा शोषित समाज दल द्वारा ग्राम दयानतपुर जिला कानपुर में रामायण तथा मनुस्मृति के जलाये जाने के ऐलान तथा सद्भावना समिति द्वारा उसका विरोध किये जाने के कारण साम्प्रदायिक संघर्ष के वक्तव्य पर शोधन वक्तव्य ..	८६३-८६४
वर्ष १९७७-७८ के लिए निर्वाचित विधान सभा की समितियों तथा स्थायी समितियों के सदस्यों को वर्ष १९७८-७९ के लिए भी निर्वाचित समझे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	८६४-८६७

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ८६७

१९७८–७९ के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर––मतदान अनुदान संख्या ६१–राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ६२–सिंचाई अधिष्ठान, अनुदान संख्या ८५–सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८६–बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (जारी) ८६८–९२४

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं ९२५

कान्यकुब्ज कालेज, लखनऊ के छात्रों पर आरक्षण के नारे लगाये जाने पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ९२५–९३०

नत्थियां ९३१–९४०

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २८ अप्रैल, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य २७४

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री

जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पांडेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञान लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मराज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री

मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम प्यारे, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री

सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—गन्ना विकास मन्त्री श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २८ अप्रैल, १९७८

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने पर और उनके सदन में उपस्थित न होने पर)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

मान्यवर, माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा चले गये हैं। उन्होंने मुझ से कहा है....

श्री अध्यक्ष--

फिर तो आखिर में लिया जायगा। लेकिन माननीय दुक्खी प्रसाद तो है।

चकबन्दी कार्यालय, घुघली, गोरखपुर पर श्री फागू एवं श्री बल्देव का अनशन

**१--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि चकबन्दी कार्यालय, घुघली, जिला गोरखपुर पर ग्राम मुअना के दो किसान (श्री फागू एवं श्री बल्देव) १० अप्रैल, १९७८ से आमरण अनशन कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं एवं अनशनकारी किसानों की जान बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

राजस्व मन्त्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

दोनों व्यक्तियों ने १० अप्रैल, १९७८ से चकबन्दी कार्यालय घुघली पर अनशन आरम्भ अवश्य किया था पर बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के समझाने पर १२ अप्रैल, १९७८ को उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया है।

अनशनकारी चकबन्दी अधिकारी द्वारा न्यायिक रूप से दिये गये निर्णय को बदलवाने के लिए अनशन कर रहे थे।

श्री दुक्खी प्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन अनशनकारियों की मांग क्या है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, चकबन्दी में एक फैसला हुआ, उसके सम्बन्ध में यह अनशन हुआ, लेकिन एस० ओ० सी० ने बताया कि चूंकि यह न्यायिक मामला है, इसका इस तरह से फैसला नहीं होता है। इसलिए उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया।

श्री दुक्खी प्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आरोप क्या थे ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

इस अनशन की सूचना एस० ओ० सी० को जाकर नहीं दी। जब वे वहां पर बैठे हुए मिले, तो उन्हें बताया कि न्यायिक मामला है, अपील में ही देखा जायगा, अभी कुछ नहीं हो सकता है।

बिक्री-कर अध्यादेश के विरुद्ध अल्यूमिनियम बर्तन निर्माता संघ का ज्ञापन

**२--श्री राजनाथ सिंह--(जिला मिर्जापुर) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर) तथा श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

क्या बिक्री-कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश अल्यूमिनियम बर्तन निर्माता संघ की ओर से बिक्री-कर अध्यादेश दिनांक ३० दिसम्बर, १९७७ से उत्पन्न कठिनाइयों के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन दिया गया है ? यदि हां, तो उनकी क्या-क्या कठिनाइयां हैं और उस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)--

३०-१२-७७ को जारी किये गये अध्यादेश द्वारा अन्य बातों के साथ, अल्यूमिनियम के बर्तन आदि कतिपय वस्तुओं पर कर की दर से सम्बन्धित दिनांक १५-११-७१ की विज्ञप्ति को १-१२-७३ से विखण्डित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप इन वस्तुओं पर दिनांक १-१२-७३ से ७ प्रतिशत की दर से एक सूत्री कर देय हो गया। संघ के प्रत्यावेदनों में पूर्वगामी प्रभाव से इस कथित कर-वृद्धि से उत्पन्न कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। इन प्रत्यावेदनों पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री राजनाथ सिंह--

क्या माननीय बिक्री-कर मन्त्री को यह जानकारी है कि जो १५-११-७१ की सरकारी विज्ञप्ति थी, उसको जब १-१२-७३ से विखंडित कर दिया गया, तो संघ के प्रतिनिधियों ने इसको उच्च न्यायालय में चुनौती दी और २८-१-७७ को अपने फैसले में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अल्यूमिनियम पर १५-११-७१ के अनुसार ३ १/२ प्रतिशत की दर से बिक्री-कर देय होगा। यदि हां, तो उच्च न्यायालय के निर्णय का आदर क्यों नहीं किया गया और सरकार ने दिनांक ३०-१२-७७-द्वारा १-१०-७७ से ७ प्रतिशत की दर से बिक्री-कर वसूले जाने का आदेश क्यों दिया ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

इस निर्णय की जानकारी सरकार को है और इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील चल रही है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके पहले भी, इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि बिक्री-कर ७ प्रतिशत की दर से एक-सूत्री लगेगा।

श्री राजनाथ सिंह--

१-१२-७३ से पूर्ववर्ती ७ प्रतिशत की दर से अल्युमिनियम पर बिक्री-कर मांगा जा रहा है जब कि अल्यूमिनियम के बर्तन उत्पादकों ने ३ १/२ प्रतिशत की दर से ही वसूल किया है और सरकारी कोष में जमा किया, तो क्या शेष कर को माननीय मन्त्री जी माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

बाद की विज्ञप्ति के अनुसार चूंकि ७ प्रतिशत की दर से कर देय हो गया है, इसलिए इसकी मांग की गई है। व्यापारियों ने प्रत्यावेदन दिया है कि चूंकि उन्होंने ३ १/२ प्रतिशत की दर से वसूल किया है, इसलिए उनसे ७ प्रतिशत के स्थान पर ३ १/२ की दर से ही वसूला जाय। यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शासन के आदेशों में विसंगति और अनुकूलता न होने के कारण किसी व्यापारी ने किसी दर से वसूल किया। तो क्या मन्त्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिस व्यापारी ने जिस दर से वसूल किया है जो उनके कागजों से सिद्ध होता है, उसी हिसाब से उनसे वसूल करने की कृपा करेंगे ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

यही प्रश्न इस प्रत्यावेदन में उठाया गया है। व्यापारियों का कहना है कि जिन्होंने साढ़े ३ प्रतिशत की दर से उनसे वसूल किया है, उसी हिसाब से उनसे वसूल किया जाय और जिन्होंने ७ प्रतिशत की दर से वसूल किया है, उनसे ७ प्रतिशत के हिसाब से वसूल किया जाय। इसी पर निर्णय होना शेष है।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

क्या यह बात सही है कि ये अल्युमिनियम के बर्तन जो बनते हैं, वह उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती राज्यों में भी जाते हैं, बिक्री के लिए जैसे बिहार, हरियाणा, दिल्ली, जहां इनकी खपत है और वहां टैक्स एक सूत्री ही है, केवल 3, साढ़े तीन प्रतिशत है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

यह तो सत्य है कि यहां के बने हुए बर्तन दूसरे पड़ोसी राज्यों में बिक्री के लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी अन्य राज्यों की भांति एक ही सूत्री कर लगा दिया गया है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उन पड़ोसी राज्यों में अल्यूमिनियम के बर्तन पर किस दर से कर लगता है।

श्री श्यामसुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री महोदय बतायेंगे कि क्या यह सही है कि एक विज्ञप्ति दिनांक ३०-६-७७ को अल्यूमिनियम के बर्तनों के सम्बन्ध में जारी हुई थी, जिसमें अध्यादेश जो रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया गया था, उसमें पूर्व अध्यादेश १-९-७७ से विखंडित किया गया था ? तो ठीक ३ महीने बाद ही दिसम्बर में दूसरा नोटीफिकेशन रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से जारी करने का क्या कारण पैदा हो गया ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

पहली वाली विज्ञप्ति भी पूर्वगामी प्रभाव से लागू की गयी थी और बाद में जो अध्यादेश जिसका जिक्र कर रहे हैं, वह भी पूर्वगामी प्रभाव से लागू किया गया ताकि बीच के सम्बन्ध में कोई अन्तर न रह जाय।

श्री राज नाथ सिंह--

मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में। मैं जानना चाहूंगा कि यदि वह अल्यूमिनियम व्यापारी संघ की मांगों आदि को स्वीकार करते हैं, तो जो अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गयी है, उसको वापस लेकर अपील की सीमा के अन्दर अन्तिम निर्णय लेने का प्रयास करेंगे ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

अल्यूमिनियम के व्यापारियों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गयी है, अगर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर देगा तब परिणाम यह होगा कि व्यापारियों को बिक्री-कर ७ प्रतिशत के हिसाब से देय हो जायगा। क्योंकि उसमें विधिक प्रश्न इंटरप्रिटेशन का अन्तर्निहित है, इसलिए अपील को वापस लेना उचित नहीं होगा।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मेरे पास विज्ञप्ति की प्रतिलिपि है, जिसमें अभी मंत्री जी ने कहा कि सितम्बर, की विज्ञप्ति भी पूर्वगामी प्रभाव से थी और दिसम्बर की भी पूर्व दिनांक से है, तो मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा कि इस विज्ञप्ति में लिखा है कि १ अक्तूबर, १९७७ से पूर्व अध्यादेश को विखंडित कर दिया है, राज्यपाल महोदय ने तो यह विज्ञप्ति सही है या मन्त्री जी का उत्तर सही है, यह बता दें ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, मेरे पास अभी विज्ञप्ति नहीं है। वह तो उसी में लिखा हुआ है, वह विज्ञप्ति है या अध्यादेश वह उसी में लिखा हुआ है।

जिला परिषदों के अतिरिक्त मुख्य अधिकारियों के पद की समाप्ति

**३--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया) तथा श्री रामजी (जिला आजमगढ़)--

क्या पंचायती राज मन्त्री बतायेंगे कि शासन ने वर्ष १९७७ में एक शासनादेश जारी करके उत्तर प्रदेश के समस्त जिला परिषदों से अतिरिक्त मुख्य अधिकारी का पद समाप्त कर दिया था और अभी भी उक्त अधिकारी अपने पदों से हटाए नहीं गए हैं ? यदि हां, तो उनके न हटाए जाने का कारण क्या है ?

ग्राम विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)--

शासन ने अतिरिक्त मुख्य अधिकारियों के पद विज्ञप्ति दिनांक २७-९-७७ द्वारा समाप्त किये थे, लेकिन उस समय कार्यरत अधिकारियों के बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाले कुप्रभाव के दृष्टिकोण से उन्हें ३०-६-७८ तक कार्यरत रहने की अनुमति दी गई है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

मन्त्री महोदय ने कहा है कि २७-९-७७ की विज्ञप्ति द्वारा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गयीं। लेकिन उनके बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाले कुप्रभाव को देखते हुए ३०-६-७८ तक कार्यरत रहने की अनुमति दी गयी, तो जिस समय यह विज्ञप्ति जारी की गयी, उस समय यह ध्यान नहीं रखा गया था ? क्या यह सही है कि किसी दबाव में आकर के पुनः काम करने की अनमति दी गयी और यह स्थगन आदेश किस तिथि को जारी हुआ ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, ऐसा कोई दबाव नहीं था, शासन के सामने यह प्रश्न आया कि इनका कोई औचित्य नहीं है। उस पर आख्या मांगी गयी, कार्यालय निरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार उसको समाप्त किया गया।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

जिला परिषदों की आय के स्रोत बहुत कम हो गये हैं, उनकी आय बहुत कम हो गयी है, यह देखते हुए यह जो सफेद हाथी बिठाये गये हैं, क्या इनको शीघ्र हटाने की कृपा करेंगे और उनकी यह अवधि ३०-६-७८ के बाद तो नहीं बढ़ायी जायेगी ?

श्री जमुना प्रसाद--

इनकी तो अवधि ही ३०-६-७८ तक है, उसके बाद बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)--

उनकी कुछ निजी कठिनाइयों के कारण उनके पद बरकरार है, यह मन्त्री जी ने उत्तर दिया, तो निकट भविष्य में कब तक उनके पद समाप्त कर दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर मन्त्री जी दे चुके हैं ।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--

जिला परिषदों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, क्या इन अधिकारियों को उसी जिले में अन्य कहीं नियुक्त नहीं किया जा सकता था ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, जिन पदों पर वे पहले थे, उन्हीं अपने पदों पर वापस उनको जाना था ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि आख्या मांगी गयी थी, वह आख्या क्या है ?

श्री जमुना प्रसाद--

आख्या में यह लिखा है--"जैसा कि कार्यालय निरीक्षक, फैजाबाद ने अपनी आख्या के प्रस्तर ४ (४) में व्यक्त किया गया है कि जिला परिषदों के सिविल एवं पशु चिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण, बेसिक शिक्षा के जिला परिषद् के कार्य क्षेत्र से बाहर हो जाने, अधिकांश महत्वपूर्ण सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने एवं मवेशीखानों को ठेकेदारी प्रथा द्वारा चलाये जाने से जिला परिषदों का कार्य दिन प्रति दिन संकुचित होता जा रहा है । जिला परिषदों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है । निरीक्षकों के अनुसार कतिपय जिला परिषदों में अतिरिक्त मुख्य अधिकारी का पद भी नहीं है, जैसे प्रतापगढ़ एवं बहराइच । फिर भी इन परिषदों का कार्य बिना कठिनाई के चल रहा है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त मुख्य अधिकारी के पदों को समाप्त किए जाने की संस्तुति की जाती है ।"

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

सरकार की नीति विकेन्द्रित व्यवस्था की है। मैं यह मानकर चलता हूं कि जिला परिषदों को चूंकि यह तोड़ चुके हैं, लेकिन इनको मजबूत भी करने वाले हैं, तो क्या मजबूती का ही यह अंग है कि एक-एक अफसर को वहां से हटाया जा रहा है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

यह इससे नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण अधिनियम के निरसन की मांग

**४--श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में निवारक नजरबन्दी कानून को रद्द करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्णय की सम्भावना है ?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

इस प्रदेश में निवारक नजरबन्दी कानून तो नहीं, उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण अधिनियम, १९७० अवश्य लागू है, जिसके रद्द करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रदेश में कितने लोग अभी जेलों में बन्द हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

इसके अन्तर्गत, मान्यवर, कोई बन्द नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, जब इस समय जेलों में कोई आदमी बन्द नहीं है, तो क्या मन्त्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि इस अधिनियम को रद्द कर दिया जाय, जब कि भारत सरकार ने स्वयं ही मीसा के कानून को रद्द कर दिया है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह श्रीमन्, मीसा नहीं है, यह तो उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण अधिनियम, १९७० है और इसका प्रयोग बहुत कम होता है, जब बहुत आवश्यकता पड़ती है तब किया जाता है। यह इसी से जाहिर है कि कोई इस समय बन्द नहीं है। इसका बहुत ही इक्सेप्शनल यानी अपवाद स्वरूप प्रयोग किया जाता है, जब आवश्यकता पड़ती है।

श्री देव बहादुर सिंह--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस कानून के बदले में कोई अधिनियम या विधेयक यह सरकार ला रही है ? यदि ला रही है, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष--

यह उससे उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जैसा उन्होंने बताया कि यह कम लोगों पर लागू हुआ करता है, तो जब आपने अधिकार दे ही दिया है, तो क्या इसकी आप गारंटी देंगे कि यह कम ही लोगों पर लागू होता रहेगा ? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जब कानून पुलिस को दे दिया जाता है, तो वह अपने ढंग से इस्तेमाल किया करती है ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह तो राजनैतिक न सही, अराष्ट्रीय तत्व जैसे ही हालात पैदा होंगे, उसका वैसे-वैसे प्रयोग होता है ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या शासन किसी प्रकार का निवारक नजरबन्दी बिल लाने का विचार कर रहा है ? किसी प्रकार का कानून बनाने के लिए विचार कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दिया है । इससे यह निकलता नहीं है ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कितने लोगों पर इस समय कार्यवाही चल रही है ?

श्री अध्यक्ष--

उसका उत्तर उन्होंने दे दिया ।

श्री राम अधार--

मान्यवर, उन्होंने बताया कि जेल में इस समय कोई नहीं बन्द है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कार्यवाही कितने लोगों पर चल रही है ?

श्री अध्यक्ष--

तो आप एक निश्चित समय तक के लिए पूछ लीजिए ।

श्री राम अधार--

१९७५ का मान्यवर, बता दें । आपातकाल के समय कितने बन्द रहे, यह बता दें, मान्यवर ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब से जनता पार्टी की सरकार बनी तब से क्या कोई व्यक्ति इस कानून के तहत बन्द हुआ है ? यदि नहीं बन्द हुआ है, तो बिना इस कानून का सहारा लिए प्रदेश में कानून व्यवस्था चलाई जा सकती है, तो इस स्थिति को देखते हुए सरकार को बिला वजह बदनाम करने के लिए इस कानून को रखा है, तो क्या सरकार इस बात को देखते हुए, इस कानून को रद्द करने पर विचार करेगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

फिलहाल तो श्रीमन्, यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

पहला उत्तर दीजिए ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि इसमें कोई आदमी जेल में नहीं है और न किसी पर कार्यवाही की गई, जब से जनता पार्टी की हुकूमत बनी, तो इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, इसमें जो प्रश्न है, वह यह है कि प्रदेश में निवारक नजरबन्दी कानून को रद्द करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है और उत्तर में है कि इस प्रदेश में निवारक नजरबन्दी कानून तो नहीं, उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण अधिनियम, १९७० अवश्य लागू है, जिसके रद्द करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन नहीं है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो निवारक नजरबन्दी कानून है, उसको रद्द करने का प्रश्न विचाराधीन है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

आप भ्रम पैदा करना चाहते हैं । इस प्रश्न में लिखा है कि निवारक नजरबन्दी कानून यहां पर लागू है, इसको रद्द करने का विचार है या नहीं ?

श्री श्यामधर मिश्र--

कहां लिखा है ?

श्री अध्यक्ष--

और जवाब में लिखा है कि कोई निवारक नजरबन्दी कानून तो नहीं, है राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण कानून है, इसको रद्द करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग का आरक्षण

*१--श्री राजनाथ सिंह, श्री ईश्वर प्रसाद तथा श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)--

क्या समाज कल्याण मंत्री को यह जानकारी है कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का आधार आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन है ? यदि हां, तो क्या तथाकथित ऊंची जातियों के लोगों को जोकि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, को भी सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री राम सिंह)--

जी हां।

जी नहीं।

श्री राजनाथ सिंह--

मान्यवर, जो प्रश्न का दूसरा भाग है, उसका उत्तर नहीं दिया गया है। प्रश्न में है कि यदि हां, तो क्या तथा कथित ऊंची जातियों के लोगों को जो कि आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, को भी सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ? इसका उत्तर आया है, जी नहीं। इसके बाद प्रश्न था कि यदि नहीं तो क्यों ? इसका उत्तर नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष--

वह जो अंतिम अंश है उसका उत्तर दे दीजिए।

श्री राम सिंह--

क्योंकि तथाकथित उच्च जातियां सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़ी हो ही नहीं सकती।

श्री राजनाथ सिंह--

मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने कहा कि वह सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हो ही नहीं सकते। मान्यवर, वह आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हो सकते हैं। दूसरे यह है कि मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनको जानकारी है कि आज भी ब्राह्मण हैं, जो कि भिक्षावृत्ति से जीविका उपार्जन करते हैं, तो क्या आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से उनको पिछड़ा माना जायगा ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, भिक्षा मांगना तो व्यक्तिगत आदत का प्रश्न है। अब जो आदत का प्रश्न है, जिसकी आदत भिक्षा मांगने की है वह भिक्षा मांगेगा ही। (हंसी)

श्री सुखपाल पांडेय--

क्या समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का आधार आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन है, तो पिछड़े वर्ग में जिनकी आर्थिक दशा ठीक है, उनको आरक्षण से अलग करने की सोच रहे हैं ?

श्री राम सिंह--

जी नहीं ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

एक व्यवस्था चाहता हूं कि यह जो ऊंची जाति और नीची जाति लिखा है, इसको हटा देना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष--

इसमें व्यवस्था क्या है ? अगर आप पूछें कि दो और दो कितने हुए तो ४ कहने में क्या गुनाह है ? यह तो प्रचलित है ही ।

(श्री देव बहादुर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री श्यामदेव--

मुझे अवसर मिलना चाहिए, मान्यवर, प्रश्न में मेरा भी नाम है ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि भिक्षा मांगना व्यक्तिगत काम है, तो मैं जानना चाहता हूं कि भिक्षावृत्ति पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है । तो उसी हिसाब से जो भिक्षावृत्ति आपने बन्द कर दी है उसको कोई संरक्षण देने पर आप क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री राम सिंह--

जिन जिलों में या जिन स्थानों पर भिक्षावृत्ति निरोधक कानून लागू किया गया है वहां पर उन लोगों के लिए ठहरने के केन्द्र हैं । उनको पुनर्वास, रिहैब्लिटेशन की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उनको रिहैब्लिटेशन करने की कोशिश की जाती है ।

श्री श्याम देव--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी नौकरियों में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं, उनके आरक्षण के सम्बन्ध में क्या राजाज्ञा जारी कर दी है और क्या उसका पालन हो रहा है ?

श्री राम सिंह--

राजाज्ञा तो २० अगस्त, ७७ को जारी कर दी थी । पालन के सम्बन्ध में समय-समय पर लिखते रहते हैं, विभागों से रिपोर्ट भेजने के लिए कहते हैं कि कितने लोग किस जाति के आरक्षित कोटे में आते हैं ।

श्री ईश्वर प्रसाद--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन जातियों को आरक्षण दिया गया है ? । जिन जातियों को आरक्षण दिया गया है उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति की रिपोर्ट क्या है ? क्या इसे सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, आपने जातियों के बारे में तो सदन को बतला दिया है। अब उसका आधार क्या है, इसे बतला दें ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया है कि उसका आधार आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन यही है।

श्री राम अधार--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जिन ब्राह्मण, ठाकुर या तथाकथित ऊंची जाति के लोग हैं, के पास एक एकड़ से कम भूमि है उनको इस आरक्षण नीति के अन्दर लेने जा रहे हैं ?

श्री राम सिंह--

अभी ऐसा प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि भारतीय संविधान की धारा १५ (४) और १६ (४) के अनुसार राज्य सरकार को इस प्रकार आरक्षण करने का अधिकार मात्र सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण है ? यदि हां, तो आर्थिक आधार कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, संविधान की धारा के अनुकूल ही हमने आरक्षण किया है विपरीत नहीं . . . .

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना यह है कि संविधान में लिखा है सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग, उसमें लिखा है "वीकर सेक्शन"। तो शम्भू नाथ जी का कहना है कि वीकर की आपने क्या परिभाषा रखी है ? स्पष्ट कर दीजिए ?

श्री राम सिंह--

जो सन् ५८ में सूची बनी थी, तो उन जातियों को सामान्यतः दूसरी जातियों के मुकाबले में आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर पाया गया था, इसलिए सूची बनायी गयी थी।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि काका कालेलकर रिपोर्ट की बात है और अभी शांति भूषण राष्ट्रीय समिति बनी है, अगर उसकी रिपोर्ट आ गयी तो क्या उसे स्थगित रखा जायगा जब तक इसकी रिपोर्ट न आ जाय ?

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न काल्पनिक है, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री नन्व राम (जिला मुजफ्फरनगर)--

जितने हरिजन, पिछड़ी जातियों के आरक्षण हैं इनको छोड़कर जो सवर्ण जातियां हैं, उसी हिसाब से इनके लिए भी आरक्षण किया जायगा बाकी को छोड़ दिया जायगा, क्या इस पर विचार हो रहा है ?

श्री अध्यक्ष---

यह इससे उत्पन्न नहीं होता ।

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)---

क्या मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो तथा कथित ऊंची जातियों के तथा कथित लोग हैं या गरीबी की सीमा से नीचे हैं, उनके विकास के लिए जनता पार्टी की सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी ?

श्री अध्यक्ष---

यह इससे उत्पन्न नहीं होता ।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के सिलसिले में दो आधार रखे गये हैं एक आर्थिक और दूसरा सामाजिक। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग में जिन लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति ठीक हो गई है, मिसाल के लिए म कहता हूं संसद सदस्य, विधायक या गजटड आफिसर्स, तो क्या उनको उस आरक्षण की सूची से वंचित करने की कृपा यह सरकार करेगी ?

श्री राम सिंह---

अभी यह सम्भव नहीं है क्योंकि आरक्षण कोटा अभी पूरा ही नहीं हुआ है ।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)---

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों का आधार उन्होंने बताया तो ऊंची जातियों का आधार क्या है, किस प्रकार उनको ऊंचा मानती है यह बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इस प्रश्न से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)---

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है...

श्रीमती रामरति देवी---

मैं भी प्रश्न करना चाहती हूं ।

श्री अध्यक्ष---

आपको हर प्रश्न पर बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आपका तो आरक्षण है ।

श्रीमती रामरति देवी--

मैं जनता के आरक्षण के लिए पूछना चाहती हूं ।

श्री अध्यक्ष---

महिलाओं का भी आरक्षण है ।

श्री वीरेन्द्र पति यादव---

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि भारतीय संविधान के अन्तर्गत केवल शैक्षिक और सामाजिक आधार ही माना गया है ३४० धारा के अन्तर्गत जिसके द्वारा राष्ट्रपति ने कमीशन की नियुक्ति की थी और जब तक भारतीय संविधान है तब तक उसका आधार शैक्षिक और सामाजिक ही मानना पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि जहां संविधान के अर्थ लगाने का प्रश्न है वह विधान सभा में कोई विवाद का विषय नहीं हो सकता है ।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक दस साल बाद सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो लोग पिछड़े हैं उनका मूल्यांकन करके निश्चित किया जायगा कि कौन से लोग सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं ? काका कालेलकर की रिपोर्ट जो ५४ मे आयी, उसको काफी दिन हो गये । क्या शासन फिर से कोई नया कमीशन बनाकर इनका मूल्यांकन करायेगी कि आज की परिस्थिति में कौन-कौन वर्ग के लोग शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं ?

श्री राम सिंह--

मान्यवर, जहां तक अवधि का सवाल है, आरक्षण का विषय दोनों सरकारों से राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है । अवधि कितने समय के लिए बढ़ायी जाय यह केन्द्र के अन्तर्गत आता है । अभी यह अवधि १९८० तक है । अगर उसके बाद अवधि बढ़ाने की बात होगी, तो यह केन्द्र का विषय है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

केन्द्रीय सरकार ने शांति भूषण कमेटी बनायी है, जो सरकारी सेवाओं के सम्बन्ध में आरक्षण सम्बन्धी नीति बनायेगी । जब तक शांति भूषण समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती तब तक क्या सूबे की सरकार आरक्षण सम्बन्धी नीति में कोई स्थगन या पुर्नविचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि शांति भूषण कमेटी की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बनी है, यह तो काल्पनिक प्रश्न है, इसलिए मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री राज नाथ सिंह--

मान्यवर, अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में समाज कल्याण मंत्री जी ने बतलाया कि तथा कथित ऊंची जातियां, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वह ऊंची जातियों को तथा कथित मानते हैं या असली मानते हैं ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जनता पार्टी का जो मैनीफेस्टो है उसमें स्पष्ट लिखा है कि जब जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उस समय पिछड़े वर्गों का आरक्षण किया जायगा, तो जाति के आधार पर आरक्षण क्यों किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष--

जहां तक जनता पार्टी के मैनीफेस्टो का सवाल है वह मेरे सामने नहीं है । आप इसके बारे में जनता पार्टी में प्रश्न कर सकते हैं लेकिन जो आपका दूसरा प्रश्न है, उसका उत्तर मंत्री जी दे सकते हैं ।

श्री राम सिंह--

मान्यवर, जिस शब्दावली का माननीय सदस्य ने प्रश्न में प्रयोग किया था उसी के अनुसार मैंने उत्तर दिया था ।

बिक्री-कर सरलीकरण समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन

*२--श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या बिक्री-कर मंत्री कृपया बतलायेंगे कि बिक्री-कर सरलीकरण समिति की संस्तुतियों में से राज्य सरकार ने किस-किस संस्तुति को स्वीकार किया है एवं वे संस्तुतियां कब से लागू हो जायेंगी ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

बिक्री-कर सरलीकरण समिति की जिन प्रमुख संस्तुतियों को पूर्णतया अथवा अंशतः स्वीकार करके प्रशासनिक आदेशों अथवा अधिनियम में संशोधन द्वारा उन्हें कार्यान्वित किया जा चुका है, उनकी सूची संलग्न है ।

*देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९३१ पर

श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि सरलीकरण समिति की ८८ संस्तुतियां थीं और जिन पर कार्यवाही की गई है, वह २९, ३० हैं, तो शेष संस्तुतियों पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है और इन संस्तुतियों में क्या बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने की संस्तुति है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने उत्तर में कहा है कि जिन प्रमुख संस्तुतियों को पूर्णतया या अंशतः माना गया है, ३६ प्रमुख हैं, कुछ और भी हैं, जो लागू कर दी गई हैं । जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है, बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने की संस्तुति की गई है लेकिन अभी उस पर विचार हो रहा है ।

श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि सिद्धांतरूप से यदि आपने स्वीकार कर लिया है कि बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगे, तो इसकी संस्तुति केन्द्रीय सरकार को की है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने अभी कहा है कि यह संस्तुति है जिस पर विचार हो रहा है। माननीय सदस्य कहते हैं कि सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है, तो अभी तो विचार के रूप में है। यदि संभव होगा तो इसको किया जायगा।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

८६ संस्तुतियों में ३६ लागू की गई हैं और शेष बाकी हैं, तो बाकी कब तक लागू होंगी ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

८६ संस्तुतियों में शासन ने ३६ को पूर्णतया या अंशतः स्वीकार कर लिया है। शेष में अधिनियम या नियम बनाकर लागू करने की बात है। इसके लिये प्रयत्न हो रहा है। मैं इसी सत्र में प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा।

एक सदस्य—

क्या यहां कोई माननीय सदस्य नारायण नाम के हैं ?

श्री अध्यक्ष—

उप नाम ज्यादा प्रचलित है।

श्री देव बहादुर सिंह—

मंत्री जी बिक्रीकर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने पर विचार कर रहे हैं और केन्द्रीय सरकार को संस्तुति नहीं भेजी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह विचार कब तक होता रहेगा और कब अन्तिम निर्णय लेकर सरकार बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने का निर्णय करेगी ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, बिक्री-कर के सम्बन्ध में उसे हटाकर उसके स्थान पर उत्पादन शुल्क या अन्य किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में आशा करता हूं कि सरकार कोई न कोई निर्णय पहली अप्रैल, १९७९ तक अब ले लेगी।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

मान्यवर, सरलीकरण समिति के द्वारा एक महत्वपूर्ण संस्तुति यह भी की गई थी कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के बिक्री-कर के रेट्स के अनुकूल दर उत्तर प्रदेश के बिक्री-कर की भी कर दी जायेगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस संस्तुति पर कब तक निर्णय करने वाले हैं ?

एक प्रश्न इससे और उत्पन्न होता है कि क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में बिक्री-कर की दरें अन्य सीमावर्ती राज्यों से अधिक होने के कारण यहां से व्यापार समाप्त हो रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या माननीय मंत्री जी उस संस्तुति पर शीघ्र निर्णय लेने की कृपा करेंगे ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी---

मान्यवर, समिति ने संस्तुति की थी कि उत्तर प्रदेश में बिक्री-कर की दरों को पड़ोसी राज्यों के अनुरूप रखा जाय। इस संस्तुति को शासन ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है और इसीलिये हमने कहा कि एक संस्तुति जो सरलीकरण समिति की करों की दरों के बारे में है, वह अभी विचाराधीन है। उसके अनुरूप कर की दरें पुनः निर्धारित होगी।

जहां तक दूसरा प्रश्न है, उसमें निर्णय के बाद विशेष कठिनाई की बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि उत्पादन शुल्क अथवा अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने पर शीघ्र विचार कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अन्य वैकल्पिक व्यवस्था में क्या बिक्री-कर के स्थान पर टर्नओवर कर लगाने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी---

मान्यवर, बिक्री-कर के स्थान पर टर्नओवर का सुझाव भी आया है। यह भी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बिक्री-कर को पड़ोसी राज्यों के सामने करने की बात को सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सिद्धान्त को कार्यरूप में कब तक परिणत किया जायेगा ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी---

मान्यवर, इसके लिये कोई समयबद्ध सीमा बांधना कठिन है। लेकिन प्रयास किया जायेगा कि इसको जल्द से जल्द कर दिया जाय।

सूखाग्रस्त जिला गोंडा में खाद एवं बीज का वितरण एवं टेस्ट वर्क चालू किये जाने की मांग

*३---श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)---

क्या राजस्व मन्त्री को पता है कि गोण्डा जिला सूखाग्रस्त घोषित किया गया है और एक एकड़ से छोटे किसानों को खाद तथा बीज अनुदान के रूप में बांटा गया किन्तु भूमिहीन खतिहर मजदूरों को रोजी देने हेतु टेस्ट वर्क नहीं लगाया गया जबकि ग्राम विकास उप मन्त्री ने गोंडा का दौरा किया और वहां की भुखमरी देखी एवं दिनांक १ नवम्बर, १९७७ को गोंडा में टेस्ट वर्क लगाने के लिए लिखा किन्तु जिलाधीश गोंडा ने टेस्ट वर्क की आवश्यकता को गलत बताकर कार्य कराने से इनकार कर दिया ? यदि हां, तो टेस्ट वर्क क्यों नहीं कराया गया ? झूठी रिपोर्ट देने वाले डी० एम० के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

निगमों व स्थानीय निकायों की नौकरियों में पिछड़ी जाति का आरक्षण

*४—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री नरेश पाल सिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार ने पिछड़ी जातियों को अर्द्ध सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण करने की राजकीय आज्ञा प्रसारित कर दी है ? यदि हां, तो कब और उसका प्रारूप क्या है ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचना के अनुसार सार्वजनिक उद्यमों/निगमों तथा स्थानीय निकायों की सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लोगों के लिये समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' में १५ प्रतिशत तथा समूह 'घ' में १० प्रतिशत का आरक्षण प्रदान करने हेतु आदेश क्रमशः दिनांक २३ जनवरी, १९७८ तथा २२ फरवरी, १९७८ को जारी किये जा चुके हैं ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कालेलकर आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट दी गयी है, उसमें पृष्ठ २८५ पर लिखा है कि सरकार द्वारा अधिकारियों के जरिये से आरक्षण की नीति का पालन ठीक ढंग से नहीं होगा और इसलिये राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को एक सदन की समिति बनानी चाहिये जो इसके पालन करने के बारे में उसको देखें और प्रयास करे और प्रति वर्ष सदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, तो क्या माननीय मंत्री जी इसके लिय सदन की कोई समिति छानबीन के लिये बनायेंगे ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, जो प्रश्न पूछा है, वह सूचना से संबंधित है । इस समय तो उस पर कुछ कहना संभव नहीं है ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि जिनके बारे में उल्लेख किया गया है, उनमें आरक्षण की नीति का पालन नहीं हो रहा है: तो क्या उसको कठोरता से पालन करने के लिये कोई आदेश प्रसारित करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं इस माननीय सदन में पहले भी जिक्र कर चुका हूं । यह शिकायत प्रायः रहती है आरक्षण के बारे में कि कुछ विभाग के कुछ अधिकारीगण इसका पालन नहीं करते हैं और जानबूझकर टाला करते हैं । इसके बारे में एक अधिनियम सरकार के विचाराधीन है जिसमें आरक्षण सम्बन्धी निश्चित नियम बने हैं जिससे कि आरक्षण के सम्बन्ध में गल्ती न हो ?

श्री राज नाथ सिंह—

मान्यवर, प्रश्नकर्ता श्री शम्भू नाथ चौधरी ने अपने पूरक प्रश्न में यह कहा था कि काका कालेलकर समिति की जो रिपोर्ट है उसके कार्यान्वयन में ऊंची जाति और नौकरशाही के लोग बाधक हो सकते हैं, तो क्या इसके सम्बन्ध में इस सदन की एक समिति गठित की जायेगी जो इसको कार्यान्वित करने में अपना सहयोग दे सके ? मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय चौधरी जी का यह प्रश्न जातिवाद को बढ़ावा देगा और अन्तर्द्वन्द पदा करेगा ।

श्री अध्यक्ष--

यह सरकार से सूचना प्राप्त करने की बात नहीं है। यह तो अपने-अपने भिन्न-भिन्न मत हैं। इस पर हमने एक दिन का विवाद निश्चित किया है। आप बैठें, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री राम गोविन (जिला बलिया)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक तीनों तरह से गैर पिछड़ी लोनियां जाति जो इस प्रदेश में काफी है, को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपका सुझाव है। यह प्रश्न इससे नहीं पैदा होता है।

श्री देव बहादुर सिंह--

मंत्री जी ने कहा है कि समय-समय पर उनको इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि जो आरक्षण की व्यवस्था अर्ध सरकारी नौकरियों के लिए की गयी है वह पूरी नहीं हुई है। क्या इस प्रकार की कोई सूचना अनुसूचित जाति और जन जाति के बारे मे भी आयी है। अगर आई है तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अध्यक्ष--

यह बिल्कुल पृथक् प्रश्न है।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इन पिछड़े वर्ग के जिन जातियों को आरक्षण से लाभ देना चाहते हैं, इन जातियों में भी जो बड़े अधिकारी है, बड़े प्रगतिशील तथा साधन सम्पन्न हैं और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं वही सब लाभ न उठा लें, ऐसा प्रतिबन्ध लगाकर उसका लाभ नीचे के लोगों को देने पर विचार करेंगे ?

श्री राम सिंह--

इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दे चुका हूं। यह सवाल तो तब पैदा होगा जब निर्धारित कोटा पूरा हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न बिल्कुल साफ है। १५ परसेन्ट पिछड़े वर्ग के लिए रखा गया है। उनका कहना है पिछड़े वर्ग में जो एक तरीके से उन्नतिशील वर्ग हैं, तो क्या उनसे नीचे के तबके के लोगों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा ?

श्री राम सिंह--

यह इस समय सम्भव नहीं है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार अर्ध सरकारी, गैर सरकारी पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में शत प्रतिशत आरक्षण करने पर विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर तो दिया जा चुका है ।

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहूंगा कि आरक्षण आदेशों के बावजूद सभी अर्ध सरकारी विभागों और निगमों अथवा अन्य जो दूसरे विभाग हैं, उन विभागों में जो पदासीन लोग हैं, वे बड़ी जाति के लोग हैं और बराबर शोषण करते रहे हैं और जान बूझकर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके सम्बन्ध में आरक्षण की नीति को पूरा नहीं करते हैं ।

जानबूझ कर उनको टरका देते हैं, तो माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बार-बार लिखे जाने के बावजूद आरक्षण की नीति का पालन नहीं हो रहा है, तो उसे मजबूती के साथ पूरा किया जायगा और जो अधिकारी इसकी पूर्ति में बाधक हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है कि वह कोई विधेयक लाना चाहते हैं ।

श्री राम अधार—

आरक्षण की नीति के बावजूद भी पिछड़ी जातियों में कुछ ऐसी जातियां हैं जैसे भर, कुम्हार, कहार, कुरमी, केवट जिनकी उपेक्षा हो रही है क्या सरकार को इसकी जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे पैदा नहीं होता ।

श्री राम अधार—

प्रश्न इसलिये पैदा होता है कि ये पिछड़ी जाति में नहीं बल्कि अति पिछड़ी जाति में हैं और उनकी उपेक्षा हो रही है ।

श्री राम सिंह—

अगर ऐसी कोई शिकायत माननीय सदस्य के पास है, तो मुझे भेज दें, मैं जांच करा लूंगा ।

बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)—

जिस तरह से ३० वर्षों से अनुसूचित जाति और जन-जातियों का कोटा पूरा किया गया है क्या उसी तरह से पिछड़ी जातियों का कोटा पूरा किया जायगा ? यदि उसी तरह से किया जाना है, तो उसके लिये कोई विशेष व्यवस्था करेंगे ?

श्री राम सिंह—

यह व्यंगात्मक प्रश्न है । अनुसूचित जाति तथा जन-जातियों का कोटा पूरा नहीं हो सका । इन जातियों तथा पिछड़ी जातियों का किस विभाग में कितना कोटा है इसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है । शासन के जरिये शासन देश समय-समय पर बराबर जाते रहते हैं कि उनका पालन किया जाय और सरकार का इरादा उस नीति को पालन करवाने का तो है ही ।

श्रीमती रामरति देवी--

पिछड़े वर्ग के लिये जो आरक्षण दिया गया है उसमें कुछ जातियां अत्यन्त अच्छी हालत में हैं और कुछ जातियां अत्यन्त पिछड़ी हालत में हैं, यहां तक कि उनसे अच्छी हालत हरिजनों की है जैसे केवट, भर, कुम्हार हैं, क्या प्राथमिकता के हिसाब से इनको वरीयता दी जायगी ?

श्री राम सिंह--

इस तरह के वर्गीकरण की संभावना नहीं है ।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

आरक्षित लोगों में जो लोग नीचे रह जायेंगे उनके लिये कौन सी व्यवस्था करेंगे ताकि उनका भी स्थान हो ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

पिछड़ी जाति आयोग के सम्बन्ध में जो छेदी लाल साथी ने अपनी रिपोर्ट में चार संस्तुतियां की थीं शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पिछड़ापन उसमें से जो जातियां सबसे अधिक पिछड़ी हैं, उनको आरक्षण में प्राथमिकता दी जायगी क्या यह रिपोर्ट में है ?

श्री राम सिंह--

उस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है । जो संस्तुतियां उसमें हैं अगर उसमें इस तरह की संस्तुतियां होंगी तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी ।

फैजाबाद जिले के ग्राम मौरापारा में अग्निकान्ड

*५--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक ६ अप्रैल, १९७८ को जनपद फैजाबाद के ग्राम मौरापारा परगना मिझौड़ा, तहसील अकबरपुर में एकाएक आग लगने से कई परिवार बेघर हो गए हैं और हजारों रुपए की सम्पत्ति जलकर खाक हो गई है और ४५ कि० मी० की दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय से दमकल जाने के बाद ही आग पर काबू पाया जा सका है ? क्या यह भी सही है कि आग लगने का कोई कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है और अन्धविश्वास के कारण सारे गांव वाले उसे दैवी प्रकोप या भूत प्रेत का करिश्मा समझ कर आंतकित हैं ? यदि हां, तो आग लगने के परिणामस्वरूप बेसहारा हो गए लोगों को राहत पहुंचाने हेतु तथा उक्त अन्धविश्वास को समाप्त करने के लिए, आग लगने के सही कारण का पता लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

दिनांक ६-४-७८ को जिला फैजाबाद की तहसील अकबरपुर, परगना मिझौड़ा के ग्राम मौरापारा में घटित अग्निकान्ड से ५ परिवार प्रभावित हुए जिसमें से ३ परिवारों की केवल छप्पर की सरिया तथा उसमें रखी हुई लकड़ी व कंडी जल

गयी परन्तु शेष २ परिवारों का सम्पूर्ण मकान एवं सामान जल कर नष्ट हो गया। कुल २३,३६८ रु० की सम्पत्ति की हानि हुई। आग दमकल द्वारा बुझाई गई थी। गांव वालों तथा प्रभावित मकान के स्वामियों ने आग बुझाने का प्रयास नहीं किया था क्योंकि उन्हें भ्रम था कि यह ब्रह्म आग है। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है।

परगनाधिकारी अकबरपुर ने घटनास्थल पर पहुंच कर गांव वालों को समझा बुझाकर उनके अन्ध विश्वास को समाप्त कर दिया है।

उक्त अग्निकान्ड से प्रभावित ५ परिवारों में से एक व्यक्ति श्री मनीराम को जो सहायता का पात्र था, १०० रु० तत्कालिक सहायता के रूप में दिया गया और ३०० रु० उसे गृह निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रभावित व्यक्ति को भी गृह निर्माण हेतु ३०० रु० स्वीकृत किया गया। शेष ३ परिवारों को नियमानुसार किसी प्रकार की सहायता देने की आवश्यकता नहीं पाई गयी। प्रभावित व्यक्तियों में से कोई भी तकावी लेने का इच्छुक नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आग लगने के कितनी देर बाद वहां दमकल पहुंचा और उसके पहुंचने के कितनी देर बाद आग बुझाने का काम शुरू हुआ ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, इतने विवरण से सूचना प्राप्त नहीं है कि किस वक्त दमकल पहुंचा और किस वक्त आग बुझाई ?

श्री मित्र सेन यादव (जिला फैजाबाद)--

मैं मान्यवर, मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश स्तर पर तमाम जगहों में आगजनी हो रही है। इसको देखते हुए क्या मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जहां ऐसी घटनायें होती हैं, वहां अहेतुक सहायता पहुंचाने का तुरन्त प्रयास किया जाय ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

मान्यवर, जहां तक सहायता का सम्बन्ध है वह तो दैवी आपदा में सहायता देते हैं और आग न लगे इसका प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए।

इलाहाबाद जिले के ग्राम महजना के तालाब भूमि पर अवैधानिक इन्दराज

*६--श्री अठईराम (जिला इलाहाबाद) श्री कैलाश नाथ सिंह (जिला वाराणसी), श्री मिठाई लाल (जिला वाराणसी) तथा श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद के तहसील हंडिया में ग्राम महजना की लगभग २१४ (दो सौ चौदह) बीघा आराजी तालाब एवं भूमिदान की जमीन पर बिना किसी मुकदमा तथा बिना तारीख फैसला तथा बिना किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के ही सन् १३६८ फ० की खतौनी में राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा सीरदारी एवं भूमिधरी में बड़े लोगों के नाम दर्ज कर दी गई हैं ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जनपद इलाहाबाद की तहसील हंडिया, ग्राम महजना की खतौनी १३६६-६८ फसली में भूदान की कोई जमीन दर्ज नहीं है। १४६ बीघा ११ बिस्वा तालाब दर्ज है

तालाब के खाते पर तहसीलदार के आदेश दिनांक १० फरवरी, १९६० व नायब तहसीलदार के मुकदमा नं० २७१५/२७-१०-६०, मुकदमा नं० २१८७-२१९२ दिनांक २९ जुलाई, १९६१ मुकदमा नं० १ व २ दिनांक १८ जुलाई, १९६२, के आदेशों के अनुसार ७२ बीघा २ बिस्वा भूमि पर कई व्यक्तियों के नाम दर्ज करने का अमलदरामद किया गया है किन्तु जमीन के बारे में उल्लेख नहीं है और अमलदरामद करने वाले के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसलिये इन आदेशों के सम्बन्ध में सन्देह है और इसकी पूरी जांच, राजस्व परिषद् से एक अधिकारी भेजकर कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री अठई राम—

मान्यवर, मैं राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन जमीनों पर नाम दर्ज किये गये हैं वह किन-किन व्यक्तियों के नाम हैं और कितना रकबा दर्ज किया गया है और वे किस गांव के रहने वाले हैं ?

दूसरा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस गांव में चकबन्दी चल रही है जब तक इसकी जांच की कार्यवाही पूरी न हो जाय तब तक धारा ५२ का प्रकाशन रोक देने की कृपा करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

१३६६-६८ फसली की खतौनी में कई लोगों के नाम बहवाले आदेश नायब तहसीलदार, हंडिया मुकदमा नं० २१८७ २१९२ तथा अन्य आदेश दिनांक २९ जुलाई, १९६१ व १८ जुलाई, १९६२ द्वारा तालाब के खाते से ७२ बीघा २ बिस्वा दर्ज होने के इन्दराज पाये जाते हैं। बंजर के खाते तथा तालाब के खाते से १६ बीघा भूमि जूनियर हाईस्कूल, ग्रामेपुर के नाम दर्ज करने का आदेश बहवाले नायब तहसीलदार हंडिया का फैसला मुकदमा नं० २७१५/२७-१०-६० का इन्दराज है।

१३६६-६८ फसली की खतौनी में उपरोक्त आदेशों के हवाले के बाद लेखपाल के हस्ताक्षर तो नहीं हैं किन्तु नामांतर बही में श्री श्यामकिशोर लेखपाल के हस्ताक्षर बताये जाते हैं।

मान्यवर, इसमें जैसा मैंने पहले कहा, कुछ सन्देह लगता है। इसलिए इसकी पूरी छानबीन कराकर कार्यवाही की जायेगी।

आगरा के निकट कार से चांदी व सिक्के की बरामदगी

*७—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या यह सही है कि बिक्री-कर अधिकारी, आगरा ने दिनांक १९ मार्च, १९७८ को आगरा के नजदीक एक कार जिसमें १५ क्विन्टल चांदी जिसकी कीमत लगभग २० लाख रुपया होती है को पकड़ा और आगरा कैन्ट के स्टेशन मास्टर की डायरी को भी इस मामले में सील किया ? यदि हां, तो पूर्ण तथ्य क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

सहायक स्टेशन मास्टर, आगरा कैन्ट से १८-३-७८ को प्राप्त सूचना के आधार पर विभागीय अधिकारियों ने त्वरित कार्यवाही करके थाना कोसी कलां, जिला मथुरा पर एक कार की तलाशी में चांदी तथा सिक्के बरामद किये। इस सम्बन्ध में नियमानुसार ४८,००० रु० जमानत के रूप में वसूल किये गये हैं। मामले में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। आगरा कैन्ट के स्टेशन मास्टर की डायरी की सम्बन्धित प्रविष्टि की नकल ली गई है जिसे स्वयं रेलवे कर्मचारी ने पृष्ठांकित किया है

नोट--नियम २६ (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

[२८ अप्रैल, १९७८ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार का कथित निर्देश

*२--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या संस्थागत वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बिक्री-कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क लगाने के सम्बन्ध में अक्तूबर अथवा नवम्बर १५, १९७७ में कोई निर्देश सुझाव प्राप्त करने हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस बारे में राज्य सरकार के विचार क्या हैं ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

देवरिया जिले के ग्राम चटिया की ग्राम समाज की भूमि एवं पोखरे का अवैधानिक इंदराज

*३--श्री हरि केवल प्रसाद--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम चटिया, परगना एवं तहसील तलेमपुर, जनपद देवरिया में ग्राम समाज की भूमि एवं पोखरा जिसमें अथाह पानी रहता है, कभी भी जोता बोया नहीं जाता है, को किसी स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति ने अपने नाम वर्ग-४ में दर्ज करा लिया है जिसके सम्बन्ध में दिनांक १९ सितम्बर, १९७७ का शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वर्ग-४ खारिज करके भूमि तथा पोखरे को ग्राम समाज के नाम दर्ज किए जाने के सम्बन्ध में कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

देवरिया जनपद के ग्राम चटिया, परगना सलेमपुर मझौली, तहसील सलेमपुर के प्रधान का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक १९ अक्तूबर, १९७७ को प्राप्त हुआ था। उस प्रार्थना-पत्र में उक्त ग्राम के गाटा संख्या ५१५, ५१६, ५५१, ३३२, ५१४, २३२, ५७०, ५०५ व १०७/३६४ पर वर्ग ४ के इन्द्राज के सम्बन्ध में शिकायत की गई थी। इस सम्बन्ध में की गई जांच से पता चला कि उनमें से कोई नम्बर ऐसा नहीं है जो पोखरी हो अथवा जिसमें अथाह पानी भरा रहता हो। गाटा संख्या-५१६ की जमीन कुछ नीचे अवश्य है परन्तु उसमें जड़हन की फसल होती है। चकबन्दी के दौरान गाटा संख्या-५१४/२ वि (०-२०), ५१४/२ मि (०-१७) व ५१६/४ (०-१८) से वर्ग ४ का इन्द्राज खारिज होकर ग्राम समाज के नाम दर्ज हो चुका है। गाटा संख्या-५५१/१ (०-०६) ५५१/२ (०-१२) व ५५१/३ (०-०८) मतरुक थे जिनमें से प्रथम दो गाटे परती ग्राम समाज तथा तीसरा गाटा सड़क पी० डब्लू० डी० अंकित किया गया है। कुछ नम्बरान चकबन्दी के पहले से ही विभिन्न व्यक्तियों के नाम भूमिधरी या सीरदारी भी अंकित थे। इन इन्द्राजों के बारे में ग्राम सभा तथा खातेदारों के बीच चकबन्दी के दौरान उप-संचालक स्तर तक मुकदमें चल चुके हैं तथा वर्तमान इन्दराज चकबन्दी न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार है। गाटा संख्या १०७/३६४ व ५७० इस ग्राम में नहीं है।

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम हरसिंहपुर तराई का गंगा की बाढ़ से कटाव

*४--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के ग्राम हरसिंहपुर तराई, विकास क्षेत्र शमशाबाद की आबादी और कृषि की सारी भूमि इस वर्ष १९७७ को गंगा जी के बाढ़ से कट जाने की सूचना शासन को उसके दिनांक १२ सितम्बर, १९७७ को भेजे गए आवेदन-पत्र से मिली है? शासन ने उनकी सहायतार्थ कौन-कौन कदम उठाए हैं?

श्री शारदा भक्त सिंह--

वर्ष १९७७ में ग्राम हरसिंहपुर तराई विकास क्षेत्र शमशाबाद की आबादी और कृषि योग्य भूमि गंगा की बाढ़ से नहीं कटी है। ३५ एकड़ क्षेत्रफल की कृषि भूमि बाढ़ से प्रभावित हुई परन्तु फसलों को ५० प्रतिशत से कम की क्षति हुई जिसके कारण छूट देने का नियमानुसार प्रश्न नहीं उठता। प्रभावित क्षेत्र के काश्तकार एक एकड़ से अधिक भूमि वाले है जिनको नियमानुसार कोई अहेतुक सहायता नहीं दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त इस ग्राम का कोई मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। अतः गृह निर्माण अनुदान देने का प्रश्न भी नहीं उठता है। इस ग्राम की जो भूमि पहले से ही दरिया बुर्द है की १३८४ फसली की रिलीफ खतौनियां बन चुकी है जिसके अन्तगत कुल देय भू-राजस्व मु० ५६७.३० में से ४८८.४६ रु० की प्रदान की गई है।

फैजाबाद जिले के ग्राम फतेहपुर में पुनः चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

*५--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद सदर तहसील, जिला फैजाबाद में चकबन्दी शुरू में कराने की वजह से एक-एक किसान को तीन से लेकर पांच चक तक दिये गये हैं? यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों में पुनः चकबन्दी कराने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। क्या इस सम्बन्ध में गांव फतेहपुर, ब्लाक पूरा के किसानों ने कई बार सरकार को प्रार्थना-पत्र देकर मांग भी की थी?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां, यह सही है कि वर्ष १९५४ और १९५९ के बीच की अवधि में जिन तहसीलों मे चकबन्दी हुई थी वहां बहुत से खातेदारों को तीन से लेकर पांच चक तक दिये गये थे ।

जनपद फैजाबाद की सदर तहसील उन २५ तहसीलों में से एक है जिनमें दुबारा चकबन्दी कराने का निर्णय शासन ने ले लिया है पर यह कार्य प्रदेश में चकबन्दी का एक चक्र पूरा हो जाने के बाद ही प्रारम्भ किया जावेगा ।

इस सम्बन्ध में अतीत में फतेहपुर के किसानों का एक प्रार्थना-पत्र ब्लाक प्रमुख के माध्यम से शासन को प्राप्त हुआ था ।

कन्सालिडेशन स्टाफ एब्जार्वशन कमेटी की रिपोर्ट की संस्तुतियों का कार्यान्वयन

*६--श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

क्या शासन को यह जानकारी है कि चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों को अन्य विभागों में खपाने के लिए वर्ष १९६६ में 'कन्सालीडेशन स्टाफ एब्जार्वशन कमेटी' का गठन हुआ था और उक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को दे दी है ? यदि हां, तो उक्त कमेटी की मुख्य संस्तुति क्या है और उसे लागू करने की दिशा में शासन ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

यह सही है कि १९६६ में चकबन्दी अधिष्ठान के कर्मचारियों की छटनी की सम्भावना दिखाई पड़ रही थी, शासन ने एक समिति इन कर्मचारियों को अन्यत्र खपाने के लिए गठित की थी और उस समिति की रिपोर्ट भी शासन को प्राप्त हुई थी तथा उस पर शासन द्वारा निर्णय नवम्बर, १९६७ में लिए गए थे । इस समिति की मुख्य संस्तुतियों का विवरण संलग्नक सूची में अंकित है । इसके बाद परिस्थितियां बदल गई और चकबन्दी अधिष्ठान के ७४ प्रतिशत के लगभग पद १ अप्रैल, १९७२ से प्रारम्भ करके अब तक स्थायी किये जा चुके हैं तथा चकबन्दी अधिष्ठान को पेन्शन योग्य भी माना जा चुका है । इन परिवर्तित परिस्थितियों में १९६७ में लिए गए निणयों का कार्यान्वयन आवश्यक नहीं रह गया है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९३४ पर)

*७--श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

[४थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या ७२ के अन्तर्गत उत्तरित ।]

*८--श्री गनेशी लाल चौधरी--

[११वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

हरिजनों पर अत्याचार के सम्बन्ध में सामूहिक जुर्माने की व्यवस्था

*९--श्री गनेशी लाल चौधरी (वकील) (जिला सीतापुर]--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार ने अभी हाल में यह फैसला किया है कि जहां पर हरिजनों पर सवर्णों द्वारा अत्याचार की घटनायें होंगी वहां कलेक्टिव अर्थ दण्ड दिया जाएगा ? यदि हां, तो यह योजना क्या है और अब तक किन स्थानों पर कलेक्टिव अर्थ-दण्ड लगाया गया ?

श्री राम सिंह—

भारत सरकार द्वारा पारित नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, १९५५ की धारा १०-ए द्वारा राज्य सरकारों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे किसी क्षेत्र के निवासियों के उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय किसी भी अपराध से सम्बद्ध होने अथवा उसके किये जाने में किसी भी प्रकार से सहायक होने की दशा में उन निवासियों पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपित (Impose) कर सकती है ।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा १०-ए तथा उसके अधीन बनाई गई नागरिक अधिकार संरक्षण नियमावली, १९७७ के प्राविधानों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है ।

राज्य सरकार द्वारा अभी तक किसी स्थान पर सामूहिक अर्थ दण्ड नहीं लगाया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९३५ पर)

वित्त एवं लेखा सेवा का एकीकरण एवं ज्येष्ठता सूची

*१०—श्री राम नरेश पांडेय (जिला देवरिया)—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६९ से आज तक उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के एकीकरण का कार्य पूरा कराकर सम्बन्धित अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

जी हां, एकीकरण के फलस्वरूप सम्मिलित ज्येष्ठता सूची तैयार की गई है और शीघ्र ही संसूचित की जायेगी ।

हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा कथित प्राइमरी विद्यालय का संचालन एवं अध्यापकों का वेतनमान

*११—श्री हरिकेवल प्रसाद—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राइमरी विद्यालय के शिक्षकों का वेतन-मान १६५ रुपए है तथा अप्रशिक्षित का १३८ रुपए है और क्या यह सही है कि पत्रांक ४९०९-५१५८/७७-७८, दिनांक ११ जून, १९७७ को लेखा ३१२८-३५२८/७५-७६, दिनांक ५ जुलाई, १९७५ द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया था कि उक्त अध्यापकों को वही महंगाई भत्ता दिया जाय जो जिला परिषद् के शिक्षकों को दिया जाता है ? यदि हां, तो उक्त आदेश का पालन न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह—

जी नहीं । हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा प्राइमरी विद्यालय संचालित नहीं किए जाते हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जिले के ग्राम खोपा के हरिजनों का सीलिंग भूमि के पट्टे सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*१२--श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील के गांव खोपा के भूमिहीन हरिजनों ने २ जनवरी व ९ जनवरी, १९७८ को एस० डी० एम०, करवी को प्रार्थना-पत्र देकर दुबारी गांव में सीलिंग की जमीनों के पट्टे दिए जाने की मांग की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां । प्रार्थना-पत्र की जांच कराने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम खोपा में गांव सभा अथवा सीलिंग की कोई भूमि उपलब्ध नहीं है । ग्राम खोपा, गांव सभा दूबारी अथवा न्याय पंचायत दूबारी के अन्तर्गत नहीं आता है । अतः दूसरी न्याय पंचायत के निवासियों को जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा १९८ (१) के अन्तर्गत भूमि दिये जाने का प्राविधान न होने के कारण प्रार्थियों को नियमानुसार भूमि नहीं दी जा सकी ।

*१३--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[८वें मंगलवार म तारांकित प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

बांदा जिले के ग्राम भभई के हरिजनों को भूमि का पट्टा एवं भूमि पर वन विभाग का कब्जा

*१४--श्री राम सजीवन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की तहसील करवी के गांव भभई के १४ हरिजनों मंगल, भूरा, चुन्ना आदि ने मुख्य मंत्री को दिनांक १७ जनवरी, १९७८ को प्रार्थना-पत्र भेजकर शिकायत है कि उनकी पट्टे की जमीनों को वन विभाग छीनकर जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लिया है और उन्हें उजाड़ दिया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां । शिकायत की जांच कराई गई जिससे ज्ञात हुआ कि गाटा संख्या ३५८ (कुल क्षेत्रफल ८२ बीघा १६ बिस्वा) पहले ग्राम सभा में निहित था । उक्त गाटा को ७० बीघा भूमि के सीरदारी पट्टे ग्राम सभा द्वारा शिकायत कर्त्ताओं को दिनांक १४-९-६४ को दिए गए थे । वर्ष १९६५ में इनमें से ९ पट्टेदारों ने कुछ भूमि पर तिल की फसल बोई थी किन्तु भूमि कटी-पिटी तथा ऊंची-नीची होने के कारण फसल नहीं हुई । इसके बाद पट्टेदारों द्वारा इसे बोया नहीं गया और बंजर पड़ी रही । बाद में शासन की विज्ञप्ति दिनांक २६-२-६६ द्वारा प्रश्नगत भूमि का पुनर्ग्रहण कर लिया गया और फिर इसे वन विभाग को हस्तान्तरित कर दिया गया ।

वन विभाग द्वारा उसे आरक्षित वन घोषित करने हेतु वन अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक ७-४-६७ को जारी की गई किन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई । अतः वन विभाग ने धारा २० के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी करके इसे आरक्षित वन घोषित कर दिया । यह विज्ञप्ति गजट दिनांक २२-९-७३ में प्रकाशित हुई । अतः वन विभाग द्वारा जबरदस्ती कब्जा कर लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जिले के ग्राम गोकुल पुरवा का मरघट एवं श्री श्रीधर शुक्ल को भूमि का पट्टा

*१५—श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के गोकुल पुरवा (अतर्रा) के हरिजनों का मरघट अतर्रा को श्री श्रीधर शुक्ल द्वारा जबरदस्ती जोतने के सम्बन्ध में दिनांक १७ नवम्बर, १९७७ का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार अविलम्ब उस मरघट पर से कब्जा हटाएगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

उक्त शिकायती-पत्र पर जांच कराई गई जिससे विदित हुआ कि विवादित भूमि का पट्टा श्री श्रीधर शुक्ल को भूदान समिति द्वारा दिनांक २० जनवरी, १९७४ को किया गया था जिसके आधार पर वे काबिज है। विवादित भूमि पर चिटका/श्मशान का होना नहीं पाया जाता। अतः उस पर से कब्जा हटाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद जिले की सदर तहसील में पुनः चकबन्दी किए जाने सम्बन्धी पत्र

*१६—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद की सदर तहसील में दुबारा चकबन्दी कराने के बारे में प्रश्नकर्ता का दिनांक १३ फरवरी, १९७८ का पत्र मिला है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू हो जाएगा और इस कार्य को अविलम्ब शुरू कराने में शासन के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां। पत्र मिला था। फैजाबाद जिले की सदर तहसील उन तहसीलों में से एक है, जिनमें चकबन्दी का कार्य १९५४ और १९५९ के बीच किया गया था। ऐसी सभी तहसीलों मे दुबारा चकबन्दी कराना सिद्धान्त रूप में शासन ने स्वीकार कर लिया है' पर यह कार्य प्रदेश में चकबन्दी का एक चक्र समाप्त हो जाने के बाद ही प्रारम्भ किया जा सकेगा, क्योंकि चकबन्दी एक आयोजनागत स्कीम है, जिसका कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित है और जिस पर होने वाला व्यय आयोजनागत व्यय का भाग माना जाता है।

बहराइच नगर के जूनियर हाई स्कूलों से हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की छात्राओं की छात्रवृत्ति की मांग

*१७—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि लगभग चार वर्षों से नगर क्षेत्र बहराइच के जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ने वाले हरिजन एवं पिछड़े वर्ग की छात्राओं को हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता का विभाग द्वारा एलाटमेन्ट नही होता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री राम सिंह--

जी हां ।

इस सम्बन्ध में जिले से कोई मांग सितम्बर, १९७७ तक नहीं प्राप्त हुई थी । वर्ष १९७७-७८ में निदेशालय में जो मांग आयी उस पर बजट प्राविधान सीमित होने के कारण अतिरिक्त धनराशि आवंटित नहीं की गई ।

*१८--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

[९वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बिक्री-कर कार्यालय, गोपीगंज, वाराणसी का आकस्मिक निरीक्षण एवं पकड़ी गयी कालबाधित पत्रावलियां

*१९--श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी)--

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २४ जून, १९७७ को बिक्री-कर कार्यालय, गोपीगंज, वाराणसी का निरीक्षण करते समय बिक्री-कर आयुक्त ने कई सौ ऐसी फाइलें पकड़ी जिनमें कर निर्धारण आदेश समय से पारित न किए जाने से केस कालबाधित हो गए थे, जिनकी वजह से लगभग बीस लाख रुपये की राजस्व की हानि होने का अनुमान है ? यदि हां, तो तत्कालीन सहायक बिक्री-कर अधिकारी तथा उपायुक्त, बिक्री कर, वाराणसी जो निरीक्षण अधिकारी हैं के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

२४ जून, १९७७ के आकस्मिक निरीक्षण में बिक्रीकर आयुक्त ने सहायक बिक्रीकर अधिकारी के पास लगभग ३४७ पत्रावलियां ऐसी पाई, जिनमें मामले कालबाधित हो गये थे । राजस्व की अनुमानित हानि का विवरण उपलब्ध नहीं है ।

सम्बन्धित सहायक बिक्रीकर अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है । निकटस्थ उच्च अधिकारी, सम्बन्धित सहायक आयुक्त (शासकीय), बिक्रीकर को सचेत कर दिया गया है । उपयुक्त, बिक्रीकर के विरुद्ध कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन दिये जाने का आधार

*२०--श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सूचना मंत्री कृपया बतायेंगे कि समाचार-पत्रों को सरकारी विज्ञापन देने का क्या आधार है ? क्या विज्ञापन देने से पहले सम्बन्धित जिलाधीश से पत्र के प्रकाशन की संख्या का प्रमाण-पत्र मांगा जाता है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री राम सिंह--

दैनिक साप्ताहिक पत्रों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर विज्ञापन दिये जाते हैं :--

(१) दैनिक पत्रों का आकार ५० × ३८ सेन्टीमीटर और पृष्ठ संख्या ४ से कम न होनी चाहिए ।

साप्ताहिक पत्रों का आकार ३५×२५ सेन्टीमीटर और पृष्ठ संख्या ४ होना चाहिए ।

दैनिक समाचार पत्रों की सशुल्क प्रसार संख्या १००० तथा साप्ताहिक पत्रों की सशुल्क प्रसार संख्या ५०० से कम न होनी चाहिए ।

(२) समाचार पत्रों में अश्लील, व्यक्तिगत आक्षेप, चरित्र हनन और साम्प्रदायिकता फैलाने वाले लेख प्रकाशित न होते हों । पत्र का प्रकाशन छः माह तक नियमित रहा हो ।

(३) अन्य पत्रों की, जो उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करते तथा पाक्षिक और मासिक पत्रों को सूचना निदेशक अपने विवेक से विज्ञापन देने के लिये अधिकृत हैं ।

स्मारिकाओं और व्यावसायिक होम जर्नल्स को माह नवम्बर, १९७७ से विज्ञापन नहीं दिये जाते ।

जी हां । सशुल्क प्रसार संख्या की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है ।

सशुल्क प्रसार संख्या के आधार पर यह निर्णय होता है कि विज्ञापन दिये जावें या नहीं । यदि हां, तो किस दर पर । अतः यह जांच की जाती है तद्नुसार ही शासन की नीति जांच करवाने की है ।

सहकारी लेखा परीक्षकों की शैक्षिक योग्यता

*२१—श्री राजनाथ सिंह—

क्या वित्त मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सहकारी लेखा परीक्षकों के चयन हेतु निम्नतम योग्यता क्या है ? क्या इसी विभाग के क्षेत्रीय लेखापरीक्षा अधिकारी, उप मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी के पद टेक्निकल हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे—

सहकारी लेखा परीक्षकों के चयन हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक की डिग्री है । क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी, उप मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी एवं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के पद टेक्निकल नहीं हैं ।

बस्ती जिले के ग्राम धोवहा एवं मैनिहवा की बंजर भूमि

*२२—श्री विश्वनाथ पांडे (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के तहसील डुमरियागंज के अन्तर्गत तप्पा बारिक पारके ग्राम धोवहा एवं मैनिहवा में कुल बंजर भूमि खेती योग्य अलग-अलग गांव में कितनी है ? कितनी भूमि पट्टे पर उठाई जा चुकी है और कितनी शेष है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

बस्ती जनपद के ग्राम धोवहा व मैनिहवा में खेती योग्य बंजर भूमि के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रकार है :

ग्राम—धोवहा

कुल खेती योग्य भूमि	१६० एकड़
पट्टे पर उठाई गई भूमि	१२१ एकड़
शेष	३९ एकड़

ग्राम मैनिहवा

कुल खेती योग्य भूमि	४४ एकड़
पट्टे पर उठाई गई भूमि	शून्य
शेष	४४ एकड़

बाराबंकी जिले के ग्राम अब्दुल्लापुर में हरिजनों को भूमि का पट्टा एवं शिकायती-पत्र

*२३—श्री सन्त बक्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अब्दुल्लापुर तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी के भूमिहीन हरिजन खेतिहर मजदूरों का भूमि के गलत पट्टे करने के सम्बन्ध में कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र शासन को दिनांक ६ जनवरी, १९७८ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो गलत पट्टे करने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार है ? सरकार ने उक्त पत्र पर एवं अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां, इस शिकायती पत्र पर तहसील द्वारा जांच कराने पर यह ज्ञात हुआ है कि तथाकथित गलत पट्टे वर्ष १९६५ में सम्बन्धित ग्राम सभा की भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा हरिजनों को किये गये थे । उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा १९८ (२) की कार्यवाही में ये सभी पट्टे सही पाये गये । उस समय गांव सभा भूमि को पट्टे पर उठाने का पूर्ण अधिकार भूमि प्रबन्धक समिति को ही था, अतः किसी अधिकारी के जिम्मेदार होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जांच के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि उक्त पट्टों का गांव के नक्शे में रेखांकन (तरमीम) न होने के कारण किसानों ने मौके पर अपनी सुविधानुसार मनमाने ढंग से कब्जा कर रखा है । सम्बन्धित लेखपाल को इस प्रकार की गलतियों के कारण सेवा मुक्त कर दिया गया । अब रिकार्ड आपरेशन करा के विवाद को हल कराने हेतु प्रस्ताव भेजने पर जिलाधिकारी द्वारा विचार किया जा रहा है ।

आजमगढ़ जिले में महुला गड़बल बांध और घाघरा नदी के बीच गंग बरार देवार में कछार क्षेत्र की घोषणा और निर्धारित की गयी भूमि की मालियत

*२४—श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़) तथा श्री राम जनम (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़ में घाघरा नदी के किनारे बांध और नदी के बीच ३०४ गंग बरार ग्राम देवार कछार घोषित हैं और उनमें से १७३ ग्राम निकाल कर बांगर क्षत्र घोषित किए गए हैं ? यदि हां तो किस आधार पर ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

आजमगढ़ जनपद की तहसील सगड़ी में घाघरा नदी के किनारे महुला गड़बल बांध और घाघरा नदी के बीच ३०४ ग्राम न होकर केवल १३३ ग्राम हैं, जो कछार क्षत्र घोषित हैं ।

*२५—श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव तथा श्री राम जनम—

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्रय-विक्रय निबन्धन (रजिस्टर्ड बैनामा) हेतु तहसील सगड़ी-जिला आजमगढ़ में घाघरा नदी के किनारे बांध और नदी के बीच ३०४ गंग बरार कछार देवार क्षेत्र की मालियत ७,००० रु० प्रति एकड़ तथा बांध से दक्षिण बांगर क्षेत्र का १६,००० रु० प्रति एकड़ रखा गया है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—

नहीं । कछार देवार क्षेत्र, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ में भूमि की मालियत किस्म जमीन के आधार पर ४,००० रु० से ६,००० रु० तक प्रति एकड़ तथा बांगर क्षेत्र के किस्म जमीन के आधार पर ७,००० रु० से १६,००० रु० तक प्रति एकड़ रखी गयी है । भूमि की उक्त मालियत किस्म जमीन के आधार पर निर्धारित की गयी है ।

*२६—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[भारत सरकार से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

टिहरी गढ़वाल जिले के गांव धणजी के साविक बन्दोबस्त गांव हालात नामे के रिकार्ड की मांग

*२७—श्री इन्द्रमणि बड़ोनी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या राजस्व मन्त्री को मालूम है कि ग्राम धणजी, तहसील देव प्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल के निवासियों द्वारा अपना साविक बन्दोबस्ती गांव हालात नामा (जिसमें प्रत्येक ग्राम के हक हकूक रहते हैं) का रिकार्ड सन् १९७७ से मांगा जा रहा है ? यदि हां तो उनको रिकार्ड क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

प्रश्नगत रिकार्ड की प्रतिलिपि के लिये नियमानुसार कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए एक शिकायत अवश्य प्राप्त हुई कि रिकार्ड गायब हैं और जो उपलब्ध है उनमें एक इन्दराज पर स्थायी पलट कर उसे अस्पष्ट करने का प्रयास किया गया

है, शिकायत की जांच कराई गई । प्रारम्भिक जांच से मालूम हुआ कि पाक्षिक बन्दोबस्ती अभिलेख से ग्राम धणजी का गांव हालात नामा १९५६ से पूर्व ही मौजा बस्ती में उपलब्ध नहीं है और न फेहरिस्त में दर्ज है । हाल बन्दोबस्ती अभिलेख के गांव हालात नामे में एक इन्दराज स्पष्ट करने की जांच अभी नहीं की जा सकी है क्योंकि अभिलेख न्यायालय में दाखिल है ।

*२८—श्री अब्दुल हलीम खां—

[८वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या ६० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*२९—श्री लक्खी सिंह—

[दिनांक ६-४-७८ को वक्तव्य हो जाने के फलस्वरूप निरस्त]

सचिवालय के सचिवों एवं उप-सचिवों का विशेष वेतन एवं कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता दिये जाने की मांग

*३०—श्री सन्त बक्श रावत—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत सचिवों एवं उप सचिवों को सचिवालय भत्ता दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सचिवालय के अन्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी सचिवालय भत्ता दिए जाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत सचिवों एवं उप सचिवों को कोई सचिवालय भत्ता नहीं दिया जाता, किन्तु यदि सचिवालय भत्ते का आशय विशेष वेतन से हो तो सचिवालय सेवा से पृथक अन्य सेवाओं के जो अधिकारी सचिवालय में उप सचिव, संयुक्त सचिव आदि के पद पर नियुक्त होते हैं उन्हें फाइनेन्शियल हैन्ड बुक वाल्यूम II, पार्ट II के नियम ९(२५) के अधीन विशेष वेतन दिया जाता है । सचिवालय सेवा के उप सचिव/संयुक्त सचिव आदि को उक्त विशेष वेतन इस कारण नहीं दिया जाता क्योंकि इन पदों पर काम करने के लिए उन्हें जो उच्च वेतनमान मिलता है, वह कार्य की दुरूहता को दृष्टि में रखकर निर्धारित किया जाता है ।

२—सचिवालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को सचिवालय भत्ता दिये जाने के प्रश्न पर विचार करने के उपरान्त इसलिए अस्वीकृत कर दिया गया है क्योंकि इन कर्मचारियों की सीधे सचिवालय में ही नियुक्ति होती है और इनके कार्य को दृष्टि में रखकर इनके वेतनमानों को निर्धारण किया गया है ।

आजाद हिन्द फौज (आई० एन० ए०) की सेवा को पेन्शन में अर्हकारी सेवा मान लिए जाने की मांग

*३१—शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सेवा से मुक्त होने वाले अधिकारियों की पेन्शन स्वीकार करते समय उनकी यदि आई० एन० ए० में कोई सेवा रही हो और आई० एन० ए० में सम्मिलित होने से पूर्व से भारतीय सेना में आफिसर रहे हों तो क्या केन्द्रीय सरकार की भांति ऐसे सेवा मुक्त अधिकारियों को उनकी आई० एन० ए० तथा उसके बाद प्रान्तीय रक्षा दल व होम गार्ड में की गई सेवाओं को जोड़ते हुए पेन्शन में लाभ देने का विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री मधुकर दिघे—

आजाद हिन्द फौज (आई० एन० ए०) की सेवा को पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा मान लिये जाने के सामान्य प्रश्न पर शासन द्वारा कुछ समय से विचार किया जा रहा है जिस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायगा ।

बांदा जिले के हवालात में वसूली के सम्बन्ध में बन्द किये गये किसानों के साथ कथित दुर्व्यवहार

*३२—श्री देवकुमार (जिला बांदा)—

क्या यह सही है कि बांदा जिले की बबेरू तहसील में सरकारी मतालबों की वसूली के सम्बन्ध में हवालात में बन्द किसानों के साथ अधिकारियों द्वारा किए जा रहे अमानवीय दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रश्नकर्त्ता विधायक को दिनांक १–२ मार्च, १९७८ की रात में अन्य नागरिकों के साथ आमरण अनशन पर बैठना पड़ा और उसी स्थिति में एस० डी० एम०, बबेरू द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी व जिलाधीश, बांदा को शिकायती–पत्र लिखना पड़ा ? यदि हां, तो हवालातियों और विधायक की शिकायतें क्या थीं और शासन ने उन पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

यह सही नहीं है कि हवालात में वसूली के सम्बन्ध में बन्द किसानों के साथ अमानवीय दुर्व्यवहार अधिकारियों द्वारा किया गया । यह सही है कि विधायक श्री देव कुमार यादव अन्य नागरिकों के साथ अनशन पर बैठे । यह सही है कि विधायक महोदय ने परगनाधिकारी, बबेरू के माध्यम से मुख्यमन्त्री जी को सम्बोधित करते हुए एक शिकायती पत्र लिखा तथा हवालातियों द्वारा एक शिकायती पत्र परगनाधिकारी बबेरू के माध्यम से जिलाधिकारी, बांदा को लिखा गया ।

विधायक महोदय व हवालातियों की मुख्य शिकायतें थी कि हवालातियों को टट्टी पेशाब की आजादी नहीं है तथा हवालातियों को फाका करना पड़ रहा है तथा बिना मौका दिये ही इन बकायादारों को बन्द कर दिया गया है ।

इन शिकायतों की सूचना प्राप्त होने पर जिलाधिकारी, बांदा ने परगनाधिकारी, बांदा को तहसील बबेरू भेजा, जहां विधायक महोदय से विचार–विमर्श करके यह निर्णय लिया गया कि जो व्यक्ति बकाये का आंशिक भुगतान कर दें अथवा जमानत दे दें उन्हें छोड़ दिया जाय । इस निर्णय के फलस्वरूप ही विधायक महोदय तथा अन्य नागरिकों ने जो लगभग ३ घंटे से अनशन पर बैठे थे, अनशन समाप्त कर दिया । निर्णय के फलस्वरूप सभी बकायेदार रिहा कर दिये गये । अन्य शिकायतें जांच के बाद सही नहीं पाई गई ।

*३३—श्री रियासत हुसैन—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

नैनीताल एवं अल्मोड़ा जिलों में ओलावृष्टि से क्षति

*३४—श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९७८ के दूसरे सप्ताह में हुई ओलावृष्टि से नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में किन तहसीलों के अन्तर्गत गेहूं तथा अन्य फसलों की कितने प्रतिशत क्षति हुई है, और इस प्रकार की क्षति से प्रभावित किसानों को सरकार द्वारा लगान माफी के साथ अन्य क्या राहत देने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

माह मार्च, १९७८ में जिला नैनीताल की तहसील कालाढूंगी दिनांक २-३-७८ को तथा तहसील हल्द्वानी दिनांक १७-३-७८ को ओलावृष्टि से प्रभावित हुई है जिसके फलस्वरूप रबी फसलों को २० प्रतिशत से ७५ प्रतिशत तक क्षति पहुंची है।

जनपद अल्मोड़ा में तहसील बागेश्वर को छोड़कर, जहां ओला वृष्टि से फसल सूक्ष्म रूप से प्रभावित हुई और हानि २५ प्रतिशत से भी कम रही, जनपद की अन्य तहसीलों में किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई।

नैनीताल जिले के जिन क्षेत्रों में ओलावृष्टि से फसलों को ५० प्रतिशत से अधिक हानि पहुंची है वहां कृषि देयों की वसूली अगली फसल तक स्थगित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त उन कृषकों के प्रति जिनकी फसलों को ओलावृष्टि से ५० प्रतिशत से अधिक हानि हुई है, अन्य प्रकार की सभी सरकारी देयों की वसूली में अगली फसल तक उत्पीड़क कार्यवाही न किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। जिला स्तर पर लगान माफी के प्रस्ताव भी तैयार किये जा रहे हैं जिनके प्राप्ति होने पर शासन यथोचित विचार करेगा।

अल्मोड़ा जिले की तहसील बागेश्वर में फसलों को २५ प्रतिशत से भी कम हानि हुई है अतः नियमानुसार किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

*३५—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[दिनांक ११-४-७८ के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या २ द्वारा उत्तरित]

आपातकाल में श्री शिव प्रसाद वर्मा, पंचायत लेखा परीक्षक एवं श्री सुदर्शन लाल अग्रवाल, सहकारी लेखा परीक्षक की नजरबन्दी एवं वेतन का भुगतान

*३६—श्री प्रदीप कुमार बजाज (जिला देवरिया)—

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश के अधीन कार्यरत कितने कर्मचारी आपातकाल के दौरान नजरबन्द रहे? कितने नजरबन्द कर्मचारियों के दक्षतारोक सम्बन्धी एवं अन्य भुगतान सम्बन्धी मामले कितने समय से अनिर्णीत पड़े हुए हैं और क्यों? शासन द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री मधुकर दिघे—

आपातकाल के दौरान केवल दो कर्मचारी नजरबन्द रहे। उनमें से श्री शिव प्रसाद वर्मा, पंचायत लेखा परीक्षक का कोई भुगतान अवशेष नहीं है।

दूसरे कर्मचारी श्री सुदर्शन लाल अग्रवाल, सहकारी लेखा परीक्षक आपातकाल लागू होने के पूर्व से ही दिनांक ८-१०-१९७४ से मीसा के अन्तर्गत नजरबन्द थे तथा उक्त अवधि में भी नजरबन्द रहे।

दिनांक १-७-७७ को पुनः स्थापित किये जाने पर निलम्बन अवधि के वेतन का भुगतान कर दिया गया है तथा गृह किराया भत्ते के भुगतान के आदेश दिये जा चुके हैं। उक्त कर्मचारी का दक्षतारोक दिनांक १०-११-७२ को देय हुआ था

परन्तु वर्ष १९७१-७२ में इनकी चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि होने तथा कुछ अवधि की सत्यनिष्ठा भी उस समय प्रमाणित न होने के कारण वे दक्षता रोक पार कराये जाने के योग्य नहीं पाये गये। अब उनको सेवा में पुनः स्थापित किया गया है, अतः आगामी वर्ष के इनके कार्य को देखने के उपरान्त इस प्रकरण पर पुनः विचार किया जाना सम्भव होगा।

सहायक चकबन्दी अधिकारी, बिलिया करनपुर, जिला प्रतापगढ़ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*३७--श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक चकबन्दी अधिकारी, बिलिया करनपुर (स्थान दीवानगंज), तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ के विरुद्ध ग्राम बड़ारी के किसानों जिसमें हरिजन तथा पिछड़ी जाति के लोग अधिक थे, कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के यहां दी ? क्या बन्दोबस्त अधिकारी पट्टी जांच के सम्बन्ध में दिनांक २८ फरवरी, १९७८ ई० को बड़ारी गांव में गए ? यदि हां, तो जांच का क्या फल रहा ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी हां। सभी वर्गों के किसानों द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी जांच बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, पट्टी ने २८ फरवरी, १९७८ को मौके पर की। सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार के समान महगाई भत्ता दिये जाने की मांग

*३८--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह अपने सेवा निवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों का महंगाई भत्ता केन्द्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के समान करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मधुकर दिघे--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिजन बेसिक प्राइमरी पाठशाला, भटनी भवानी, देवरिया के अध्यापकों का कथित प्रार्थना-पत्र

*३९--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन बेसिक प्राइमरी पाठशाला, भटनी भवानी, भटनी खास, ब्लाक भटनी, जिला देवरिया के अध्यापकों द्वारा दिनांक १० सितम्बर, १९७७ को उनकी मांगों के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह—

प्राप्त सूचनानुसार इस प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र उपलब्ध नहीं है। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

तहसील जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर में भूमि एवं जोत बही का आवंटन

*४०—श्री कन्हई सिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर में वर्ष १९७७–७८ में कितने आवंटियों को भूमि पर कब्जा दिलाने की व्यवस्था की गयी ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण रहे हैं ? क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम सभा मिर्जापुर में कृषकों को उनकी काश्त की जोतबहियां नहीं प्राप्त हुयीं ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

तहसील जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर के गांव सभा तथा सीलिंग भूमि के समस्त ८३७८ आवंटियों को वर्ष १९७७–७८ में आवंटित भूमि पर कब्जा दिला दिया गया है। जोतबहियां वर्ष १९७०–७१ ई० (१३७७–७८) फसली में तैयार करके काश्तकारों को उन ग्रामों में वितरित की गई थी, जिनमें उस समय चक-बन्दी क्रियायें नहीं चल रही थी। ग्राम सभा मिर्जापुर उस समय चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत चल रहा था, जिसके कारण इस ग्राम में जोतबहियां वितरित नहीं की गई हैं।

एटा जिले के तहसीलदार, श्री एन० पी० शर्मा के विरुद्ध थाना कासगंज में लिखायी गयी रिपोर्ट

*४१—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि एटा जिले की कासगंज तहसील के तहसीलदार (श्री एन० पी० शर्मा) के विरुद्ध दिनांक १३ जनवरी, १९७८ को क्राइम नम्बर ३५, धारा १६१, १०९, १२०, २२४, २२५, १४७, ३२३ ताजीरात हिन्द व ५(२) भ्रष्टाचार निरोधक का थाना कासगंज में मुकदमा कायम हुआ है और उनको जमानत पर रिहा किया गया है ? इस सम्बन्ध में क्या प्रश्नकर्ता का कोई पत्र राजस्व मन्त्री को मिला था ? यदि हां, तो अब तक ड्यूटी पर रहने और उनको चार्ज से मुक्त न करने का क्या कारण है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

श्री शर्मा ने न्यायालय से अपनी एण्टीसिपेटरी (anticipatory) जमानत करा ली है। प्रश्नकर्ता का पत्र मिला था। चूंकि न्यायालय में तहसीलदार के विरुद्ध चार्ज शीट नहीं दी गयी है, इसलिए उनको निलम्बित नहीं किया गया।

*४२—श्री राम देव दुबे—

[८वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४३—श्री मित्रसेन—

[५वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

अंशकालिक सब-रजिस्ट्रारों के पद को समाप्त किये जाने की कथित सिफारिश

*४४--श्री राम जनम राय (जिला गाजीपुर)--

क्या संस्थागत वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के निबन्धन विभाग के अंशकालिक सब-रजिस्ट्रारों के पद को १९६५ में वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में समाप्त करने की सिफारिश की थी ? इसके बावजूद भी यह पद अब तक चलाए जा रहे हैं ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने सब-रजिस्ट्रार के पद हैं और उनमें से कितने अंशकालिक सब-रजिस्ट्रार के पद पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी--

१९६५ में कोई वेतन आयोग नहीं था । उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति १९६४-६५ ने अपनी रिपोर्ट में निबन्धन विभाग में अंशकालिक सब रजिस्ट्रारों के पद को समाप्त करने की कोई सिफारिश नहीं की थी । अतः ऐसी किसी सिफारिश के बावजूद उक्त पदों को अब तक चलाये जाने का प्रश्न नहीं है । वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में सब रजिस्ट्रार के कुल २२२ पद हैं, जिनमें से ५६ अंशकालिक सब रजिस्ट्रार कार्य कर रहे हैं ।

गौड़ जाति को अनुसूचित जाति की सुविधा दिये जाने की मांग

*४५--श्री राजमंगल तिवारी (जिला देवरिया)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) ऐक्ट संख्या १०८, १९७६ भारत सरकार द्वारा गौड़ जाति को परिशिष्ट १८ के क्रम ३६ पर अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश मे मान्य है, तथा उत्तर प्रदेश में हरिजन कल्याण पुस्तिका वित्तीय वर्ष १९७६-७७ के पेज ३० परिशिष्ट-१ में ६६ नम्बर पर गौड़ जाति अनुसूचित जाति की सूची में अंकित है ? यदि हां, तो वर्तमान आदेश में गौड़ जाति को अनुसूचित जाति के लिए सुविधा न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह--

जी नहीं ।

इस जाति को अनुसूचित जातियों को उपलब्ध सुविधायें दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील सादाबाद, जिला मथुरा के छोटे किसानों की सूची

*४६--श्री हुकमचन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी की तहसील सादाबाद, जिला मथुरा में २ एकड़ से कम भूमि वाले किसानों की सूची ३० अक्तूबर, १९७७ तक तहसील मुख्यालय में उपलब्ध न होने का क्या कारण है, क्या सरकार यह भी बताएगी कि सूची के अभाव में बहुत से कृषक खाद व बीज के अनुदान से वंचित रह गए, यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों की सूची तहसील मुख्यालय में रखना अनावश्यक था क्यों कि शासन के आदेश के अनुसार एक एकड़ से कम के काश्तकारों को गेहूं का बीज और खाद का निःशुल्क वितरण किया जाना था। छोटे किसानों की सूची आवश्यकता पड़ने पर तैयार कर ली जाती है। सादाबाद तहसील में सूचियां तैयार करने वाले सुपरवाइजर कानूनगो तथा लेखपाल उस समय कृषि गणना तथा बाढ़ और गरकी के क्षेत्रों का सर्वेक्षण तथा प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के आवश्यक कार्यों में व्यस्त थे इसलिए ३०-१०-७७ तक किसानों की सूची नहीं बन सकी। फिर भी यह सूचियां नवम्बर, १९७७ में बना दी गयीं और सम्बन्धित खंड विकास अधिकारियों को बीज और खाद के वितरण हेतु दे दी गयी। सूची के अभाव में छोटे कृषक इस लाभ से वंचित नहीं रहे। सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

बस्ती जिले की ग्राम सभा जमुहवा में भूमि का अनियमित पट्टा

१—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के ग्राम सभा जमुहवा के सभापति ने ग्राम सभा कि सैकड़ों बीघा बंजर जमीन अपने सम्बन्धियों व ऐसे लोगों के नाम पट्टा कर दिया है जो उसके कानूनन हकदार नहीं हैं? इस सम्बन्ध में जिला अधिकारी के यहां प्रार्थना-पत्र दिया गया है तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां, जिलाधिकारी को दिये गये प्रार्थना-पत्र के फलस्वरूप की गई जांच से ज्ञात हुआ कि सम्बन्धित सभापति द्वारा ११७ व्यक्तियों को दिये गये ११९ बीघा ९ बिस्वा, १ धु० भूमि के पट्टों में से, ३८ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि कानूनन हकदार नहीं हैं तथा १-१८-६ बीघा का एक पट्टा ऐसा है जिसे सभापति द्वारा अपने साले श्री पुल्लू पुत्र तालुकदार को दिया गया है। इनसे प्रभावित ४४, बीघा ७ बिस्वा ५ धु० क्षेत्र भूमि के पट्टों को निरस्त कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की गई है तथा मामला अतिरिक्त जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है।

आगरा जिले की फिरोजाबाद तहसील के अन्तर्गत सिरसा व सेंगर नदी की बाढ़ से प्रभावित गांव

२—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विगत माह १९७७ में जनपद आगरा की फिरोजाबाद तहसील में सिरसा नदी व जमुना नदी की बाढ़ से किन-किन ग्रामों की कितनी-कितनी फसल बर्बाद हुई तथा किन-किन ग्रामों में किन-किन को कौन-कौन सी सहकारी सहायता दी गयी?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिला आगरा की फिरोजाबाद तहसील के २६ गांव सिरसा व सेंगर नदी में अगस्त/सितम्बर, १९७७ में आई बाढ़ से प्रभावित हुए। जमुना नदी की बाढ़ से किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई।

उपरोक्त २६ ग्रामों में ३६६० एकड़ क्षेत्रफल में फसल को ७५ प्रतिशत क्षति पहुंची । ग्रामवार क्षति ग्रस्त क्षेत्रफल संलग्न सूची में उल्लिखित है । इन ग्रामों में बाढ़ से प्रभावित नियमानुसार पात्र लोगों में १७८ बाढ़ पीड़ितों को ४,०४५ रु० अहेतुक सहायता के रूप में एवं ११२ बाढ़ पीड़ितों को २२४० रु० मुख्य मंत्री कोष से आर्थिक सहायता के रूप म दिए गए । १२ व्यक्तियों को १,१६० रु० आपदा तकावी के रूप में दिए गए । प्रभावित ग्रामों में सहायता के लिए पात्र व्यक्तियों को जो-जो सहायता दी गयी है उसका विवरण संलग्न है । जिन-जिन लोगों को सहायता दी गई उनकी सूचीं भी संलग्न है ।

वाराणसी जिले की महराजगंज, नायब तहसीलदार सर्किल में कपड़े का आवंटन

३--श्री श्यामधर मिश्र--

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के महराजगंज नायब तहसीलदार सर्किल में जो १९७६ के अन्त तथा १९७७ के प्रारम्भ म गरीबों को कपड़ा बांटने के लिए आया था ? वह कपड़ा किनको-किनको और कितना बटा ?

श्री शारदा भक्त सिंह---

बाढ़ के सम्बन्ध में महराजगंज नायब तहसीलदार के सर्किल में चादरें बटी थीं । ये चादरें १०० व्यक्तियों को बांटी गईं । प्रत्येक व्यक्ति को एक चादर दी गई थी । इन व्यक्तियों के नामों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९३६ पर)

४---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[८ वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बहराइच जिले की तहसील नानपारा के अन्तर्गत फर्जी बेनामी पट्टा

५---श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)--

क्या राजस्व मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद बहराइच की तहसील नानपारा में १३७५ फसली के फर्जी, बेनामी पट्टे बनाए जा रहे हैं जिससे ग्राम सभा मंझरा, सोहनी, बसथवां, सुजौली, गौर पिपरा आदि में ग्राम समाज की जमीन को बेनामी पट्टे द्वारा हड़पा जा रहा है और यह पट्टे क्षेत्र में चल रही चकबन्दी के कर्मचारी अधिकारी गलत ढंग से दाखिल-खारिज की कार्यवाही कर रहे हैं ? क्या उपरोक्त फर्जी कार्यवाही को रोकवाने तथ जो पट्टे अब तक चकबन्दी में दाखिल खारिज हुए हैं उन अवैध पट्टों को निरस्त किया जायगा ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी नहीं । ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि १३७५ फ० के फर्जी बेनामी पट्टे बनाये जा रहे हैं ।

यदि कोई अवैधानिक पट्टों का मामला शासन की जानकारी में आता है तो उस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही की जायगी ।

†छापी नहीं गयी ।

आजमगढ़ जिले में भूमि का आवंटन एवं अमल दरामद की कार्यवाही

६—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगा कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत विगत भूमि आवंटन में कितने पट्टे किए गए ह और उनमें से कितने आदेशों को अमल दरामद सरकारी कागजात में कर दी गयी है और कितनी बाकी है ? यदि बाकी है, तो क्या उनकी अमल-दरामद शीघ्र कराई जायगी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जनपद आजमगढ़ में विगत भूमि आवंटन में कुल ८१,१३९ व्यक्तियों को ३४,४५७·३३५ एकड़ भूमि आवंटित की गयी है। इन सब पट्टों का अमल-दरामद सरकारी कागजात में कर दिया गया है।

आजमगढ़ जिले के ग्राम जैतपुर व मुरारपुर के हरिजनों के भूमि के पट्टे की अमल-दरामद

७—श्री दयाराम भास्कर—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत तहसील घोसी, परगना नत्थूपुर, गांव जैतपुर के बुद्धू व मधुई और मुरारपुर के झिन्नू आदि हरिजनों को दिए गए पट्टों को अमल-दरामद करके कब्जा दिला दिया गया है ? यदि, नहीं, तो क्यों ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ग्राम जैतपुर, परगना नत्थूपुर, तहसील घोसी के बुद्धू व मधुई हरिजन तथा ग्राम मुरारपुर के झिन्नू आदि हरिजनों को दिये गये सीलिंग में अतिरिक्त घोषित भूमि के पट्टों का अमल-दरामद करा कर कब्जा भी दिला दिया गया है। बुद्धु को आवंटित भूमि ग्राम बमनौली कांजी, परगना नत्थूपुर, तहसील घोसी का चक में कट जाने के कारण दूसरे व्यक्ति के चक में पड़ गयी है जिस पर उन्हें उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा ४८ में आदेश प्राप्त करने के बाद कब्जा दिलाने की कार्यवाही की जायेगी।

तहसील ज्ञानपुर, जिला वारसी तथा नायब तहसीलदार महाराजगंज के क्षेत्र में अतिवृष्टि एवं दी गयी सहायता

८—श्री श्यामधर मिश्र—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में ज्ञानपुर तहसील में सन् १९७६ में अधिक वर्षा होने के कारण जो गरीबों के मकान गिर गए थे उनके लिए कितनी सरकारी सहायता दी गयी थी ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जिला वाराणसी की तहसील ज्ञानपुर के लिए कुल ४,३७,५०० रु० की धनराशि सहायता कार्यों के लिए दी गई थी। उसमें से जिन व्यक्तियों के मकान क्षतिग्रस्त हुये थे, को ५८,७०० रु० की सहायता वितरित की गयी।

९—श्री श्यामधर मिश्र—

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि महराजगंज तहसील, वाराणसी के नायब तहसीलदार के हलके में किन-किन व्यक्तियों को इस मद में कितना रुपया बांटा गया है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

तहसील ज्ञानपुर के अन्तर्गत नायब तहसीलदार महाराजगंज के क्षेत्र में ५९३ व्यक्तियों को कुल ५८,७०० रु० वितरित किया गया, जिनकी ग्रामवार सूची† संलग्न है।

† छापी नहीं गयी।

बरेली जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति को गृह निर्माण एवं सुअर खरीदने हेतु वितरित धनराशि

१०—श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७६-७७ तथा १९७७-७८ ई० में बरेली जिले में हरिजनों, गिरिजनों तथा जन जातियों में कुल कितना रुपया गृह निर्माण, बैल खरीदने, सिलाई मशीन और सुअर पालने हेतु सहायतार्थ बांटा गया ? तथा यह रकम व्यक्तिवार कितनी-कितनी दी गयी ?

श्री राम सिंह—

बरेली जनपद में वर्ष १९७६-७७ में अनुसूचित जाति के केवल एक व्यक्ति को सुअर पालने हेतु १,००० रु० स्वीकृत किया गया जिसका भुगतान वर्ष १९७७-७८ में किया गया। गृह निर्माण, बैल खरीदने और सिलाई मशीन हेतु अनुसूचित जाति तथा जनजाति के किसी भी व्यक्ति को कोई धन स्वीकृत नहीं किया गया।

हमीरपुर जिले के माल विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थायीकरण

११—श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हमीरपुर जनपद में माल विभाग में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक अवधि से कार्यरत हैं तथा उनमें कितनों की सेवाएं स्थायी हैं तथा कितने अस्थायी ? क्या इन अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए शासन विचार कर रहा है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

हमीरपुर जनपद के माल विभाग में चतुर्थ श्रेणी के १३५ कर्मचारी तीन वर्ष की अधिक अवधि से कार्यरत हैं। इनमें १२९ कर्मचारी स्थाई हैं और ६ कर्मचारी अस्थाई हैं। स्थाई पदों के उपलब्ध होने पर तथा कर्मचारियों का कार्य और आचरण संतोषजनक रहने पर उपर्युक्त अस्थाई कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जायगा।

इटावा जिले के ग्राम सरसई नावर व कुर्सी में चकबन्दी

१२—श्री महेन्द्र सिंह यादव (जिला इटावा)—

क्या राजस्व मन्त्री जी को जानकारी है कि इटावा जनपद के ग्राम सरसई नावर एवं कुर्सी तहसील भर्थना व विधुना में चकबन्दी में घोर अनियमितताएं की गयी हैं? यदि हां, तो सरकार इसके सुधार के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

शासन को इस बात की जानकारी है कि इटावा जनपद के इन ग्रामों में चकबन्दी के दौरान कुछ त्रुटियां रह गई थीं तथा कुछ अनियमितताएं भी हुई थीं।

तहसील भर्थना जिसमें ग्राम सरसई नावर स्थित है, में चकबन्दी क्रियायें वर्ष १९६८ में समाप्त हो चुकी है और इस तहसील में प्रदेश की अन्य २५ तहसीलों के साथ-साथ दुबारा चकबन्दी कराये जाने का सिद्धान्त रूप में निर्णय शासन द्वारा लिया जा चुका है। तहसील विधुना के ग्राम कुर्ती में चकबन्दी क्रियायें चल रही हैं और प्रकाश में आई त्रुटियों के निराकरण हेतु संदर्भ बनाकर उप संचालक, चकबन्धी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

१३—श्री सुखपाल पाण्डेय—

[८वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बहराइच जिले के ग्राम सहोनी में ग्राम सभा की भूमि के आवंटन की मांग

१४—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के परगना व तहसील नानपारा में ग्राम सभा सहोनी के ग्राम सहोनी में वर्तमान समय में कितने एकड़ भूमि ग्राम सभा की शेष है? उक्त भूमि को भूमिहीनों में वितरण किया गया है? यदि नहीं, तो उक्त भूमि को कब तक वितरण कर दिया जायेगा?

श्री शारदा भक्त सिंह—

ग्राम सभा सहोनी, जिला बहराइच में १८३-१३६ एकड़ ग्राम सभा की भूमि है जिसमें से ९-७९० एकड़ चकबन्दी क्रियाओं में सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आरक्षित कर दी गई है। अवशेष भूमि में से केवल ७३-७१६ एकड़ भूमि कृषि योग्य है और शेष अकृषि योग्य है।

वर्तमान समय में ग्राम सहोनी चकबन्दी क्रियाओं के अन्तर्गत है, जिसके सम्पन्न होने के उपरान्त कृषि योग्य गांव सभा भूमि का आवंटन कर दिया जायगा।

उन्नाव जिले की तहसील सफीपुर के कतिपय ग्रामों में गंगा नदी से कटाव

१५—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार को जानकारी है कि उन्नाव जनपद की तहसील सफीपुर के ग्राम उलरापुर, लोनारी लोखरिहा, ठकुरिया पुरवा, आदि ग्राम गंगा के कटाव से कट कर बह गए हैं और वहां के निवासी गृह विहीन तथा भूमि-विहीन हो गए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन ग्रामों के निवासियों को पुनः बसाने के लिए कोई भूमि प्रदान करेगी?

श्री शारदा भक्त सिंह—

यह सही नहीं है कि ग्राम उलरापुर, लोनारी, लोखरिया गंगा नदी के कटान से कटकर बह गए हैं। वास्तविकता यह है कि यह ग्राम तथा कुछ और ग्राम भी आंशिक रूप से गंगा की कटान से प्रभावित हुए हैं। ग्राम ठकुरिया पुरवा इस वर्ष कटान से प्रभावित नहीं हुआ है। यह ग्राम लगभग १२ वर्ष पूर्व कटान से प्रभावित हुआ था और वहां के निवासियों को भूमि संख्या ७८ पर बसा दिया गया था और तब से वह लोग उक्त भूमि पर घर बनाकर रह रहे हैं।

प्रभावित व्यक्तियों के पास कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। कटान से आबादी स्थल ही प्रभावित हुआ है। कटान से कोई व्यक्ति भूमि विहीन नहीं हुआ है।

कटान से प्रभावित ग्रामों के पीड़ितों को पुनः बसाने हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है जहां पीने की पानी की व्यवस्था के लिए दो हैण्ड पम्प लगा दिए गए हैं और पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता भी दी गई है।

१६—श्री दयाराम भास्कर—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

आजमगढ़ जिले के ग्राम बूढ़ानपुर में भूमि आवंटन के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

१७—श्री दयाराम भास्कर तथा श्री सन्त बक्श रावत—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ तहसील फूलपुर, परगना कोड़िया, ग्राम बूढ़ानपुर के हरिजनों को आवंटित भूमि हड़पने की साजिश ब्लाक कर्मचारी कर रहे हैं जिसके बारे में हरिजनों ने दिनांक २ अगस्त, १९७७ को आवेदन-पत्र माननीय मुख्य मन्त्री, राजस्व मन्त्री, उत्तर प्रदेश जिलाधिकारी, आजमगढ़ दिनांक १६ जुलाई १९७७ को माननीय मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश दिनांक १४ दिसम्बर, १९७६ को, माननीय राजस्व मन्त्री मुख्य मन्त्री, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को दिया है? यदि हां, तो उस पर किन किन अधिकारियों की जांच की और क्या रिपोर्ट शासन को दी है?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जनपद आजमगढ़ के ग्राम बुढ़ानपुर के कुछ हरिजन निवासियों के शिकायती-पत्र दिनांक १४ दिसम्बर, १९७६ व १६ जुलाई, १९७७ तथा १ अगस्त, १९७७ शासन को प्राप्त हुए थे जिनमें इस बात की शिकायत की गयी थी कि वहां के कुछ रूढ़िवादी लोगों के प्रयास से ब्लाक निर्माण के लिए भूमि हड़पने की साजिश कर ली गई है। मामले में जिलाधिकारी द्वारा नायब तहसीलदार अतरौलिया से जांच कराई गई जिससे ज्ञात हुआ कि भूमि प्रबन्धक समिति, बूढ़नपुर ने दिनांक २० जनवरी, १९७६ के अपने प्रस्ताव द्वारा १९ व्यक्तियों को सीरदारी पट्टे पर भूमि उठाने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया, किन्तु उनमें से केवल ५ व्यक्तियों को ही परगनाधिकारी द्वारा भूमि दिया जाना स्वीकार किया जा सका क्योंकि शेष १४ व्यक्तियों को आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि की आवश्यकता ब्लाक के निर्माण हेतु थी। इस प्रकार इन १४ व्यक्तियों को पट्टा देने का न तो प्रस्ताव ही स्वीकृत हुआ और न उन्हें आवंटन किया गया।

द्वितीय वेतन आयोग नियुक्त किये जाने की मांग

१८—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वितीय वेतन आयोग नियुक्त करने के बारे में विचार कर रही है? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या होगी तथा वह कब तक नियुक्त कर दिया जायेगा?

श्री मधुकर दिघे—

नया वेतन आयोग नियुक्त करने के सुझाव पर उपयुक्त समय पर सरकार विचार करेगी।

१९—श्री दयाराम भास्कर—

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाया गया ।]

देवरिया जिले के ग्राम करौदी व कुशहारी में सीलिंग भूमि का आवंटन

२०—श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के सीलिंग ऐक्ट के बाद की भूमि को स्थानीय भूमिहीनों व गरीबों में वितरित कराने हेतु दिनांक ३ जनवरी, १९७८ को प्रश्नकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

जी हां, मामले की जांच कराई गई । ग्राम करौदी के स्वर्गीय श्री माधो शाही के उत्तराधिकारी गोपाल जी शाही के मामले में सीलिंग की कार्यवाही अभी अन्तिम नहीं हुई है । उच्च न्यायालय के आदेश से कार्यवाही स्थगित है । ग्राम कुशहरी के श्री बंका पान्डे उर्फ राम चन्द्र पान्डे पुत्र ब्रह्मदेव पान्डे की मृत्यु हो चुकी है । उनके तीन पुत्रों के हिस्से में सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत कोई भूमि अतिरिक्त नहीं पाई गई है । श्री ब्रह्मदेव पान्डे के शेष तीन पुत्र सर्वश्री ब्रह्म स्वरूप पान्डे, गुलाब पान्डे तथा वेद व्यास पान्डे के विरुद्ध सीलिंग कार्यवाही के अन्तर्गत क्रमशः ३०-२९ एकड़, १-७९ एकड़ तथा १५-४९ एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई थी जिसका आवंटन पात्र व्यक्तियों में कर दिया गया है।

२१—श्री गनेशी लाल चौधरी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अल्मोड़ा जिले के ग्राम उड़ियारी, पट्टी नाकुरी निवासी श्री पदी राम को लीज पर दी गयी भूमि

२२—श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री पदीराम पुत्र श्री कोटराम निवासी ग्राम उडियारी, नाकुरी, जिला अल्मोड़ा, जो भूमिहीन था, को भूतपूर्व जिला अधिकारी, अल्मोड़ा (श्री सुशील चन्द्र तिवारी) द्वारा जो आवास हेतु भूमि आवंटित की गयी थी और जिसमें भवन निर्माण भी हो चुका था, वर्तमान जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा उस हरिजन के आवास को आपातकाल के दौरान तोड़ा गया और उनकी उक्त आवंटित भूमि उससे छीन ली गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस गरीब हरिजन को पुनः भूमि आवंटित करके उसमें उनके आवास हेतु भवन निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

श्री पदी राम पुत्र श्री कोटा राम, निवासी ग्राम उड़ियारी, पट्टी नाकुरी, तहसील बागेश्वर, जिला अल्मोड़ा के नाम मकान चौक हेतु डेढ़ नाली भूमि दिनांक २४-३-७६ को ३० वर्ष की लीज पर स्वीकृत की गई थी । ग्राम सभा के प्रधान श्री प्रेम राम तथा ग्राम बड़यूढ़ा के २४ हरिजनों ने आपत्ति की कि स्वीकृत भूमि आमगोचर पनघट की है, भूमि वन पंचायत से मिली है, श्री पदी राम के पास १२

कमरों का पक्का दो मंजिला मकान है, और उन्होंने धोखे से भूमि स्वीकृत कराई है। अतएव उन्हें स्वीकृत भूमि दिनांक २७-१०-७० को खारिज कर दी गई। श्री पदो राम को कोई भवन सरकार द्वारा आपात्काल में नहीं तोड़ा गया। चुंकि श्री पदो राम भूमिहीन नहीं है, उन्हें भूमि आवंटित करने का कोई औचित्य नहीं।

२३--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

२४--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

[पांचवें शुक्रवार के लिए स्थगित]

चकबन्दी में हुई त्रुटियों के विरुद्ध आयोग के गठन की मांग

२५--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी के विरुद्ध कम जमीनों की पैमाइश, मालियत के अनुसार चक न देने तथा बचत जमीन का गलत इस्तेमाल करने व मूल चक पर चक न देकर छोटे-छोटे काश्तकारों को क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की छानबीन के लिए कोई आयोग गठित करने का विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शारदा भक्त सिंह--

जी नहीं। ऐसे किसी आयोग के गठन की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

कतिपय विषय

श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)--

जिस आशा से प्रश्न दिया गया था, उसका जवाब ही यदि नहीं आया तो इसका फायदा ही क्या रहा ?

श्री अध्यक्ष--

आप यह लिख कर दे दीजिए।

श्री हुकुम सिंह परिहार--

दुबारा इजाजत होगी ?

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर प्रश्न देदें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न है। मेरे पास आपके द्वारा, अनुसचिव द्वारा हस्ताक्षरित सूचना आई है कि मुकीमुर्रहमान तथा अन्य सदस्यों को, काशीपुर जिला नैनीताल में नगर के मुख्य बाजार के बीच दुकान पर बैठे श्री तुलाराम को गोली मार देने के सम्बन्ध में दी गई नियम ५१ की सूचना को आपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वीकार किया है और उस पर वक्तव्य देना आज के लिए निश्चित था लेकिन आज वह कार्य सूची में नहीं है । तो क्या मेरे प्रश्न को आपने रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया या अन्य कोई तिथि निश्चित कर दी है या और कोई बात है ? यह आप बता दें कि यह आज क्यों नहीं आया है ?

श्री अध्यक्ष—

इसे मैंने निश्चित किया था, किन्तु मुख्य मंत्री जी ने कहा, कि अभी सूचना उपलब्ध नहीं है । उन्होंने २ तारीख तक स्थगित करने का अनुरोध किया था जिसे मैंने स्वीकार कर लिया है । अब यह २ तारीख को आएगा ।

हैदरगढ़, बाराबंकी के ग्राम गंगापुर-संसारा तथा सुकुलपुर में अग्निकांड के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं नियम ३०१ के अन्तर्गत आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील के अन्तर्गत ग्राम गंगापुर-संसारा तथा सुकुलपुर में भीषण अग्निकान्ड हो जाने के कारण लगभग ४० हरिजन परिवार के लोगों की चल एवं अचल सम्पति जल कर राख हो गई जिनकी जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं रह गया है ।

उपरोक्त ४० हरिजन परिवार के लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है । सरकार द्वारा अभी तक जानबूझकर कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई ।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि अग्निकांड से पीड़ित हरिजनों को आवास हेतु १००० रुपये के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को राजकीय अनुदान दिया जाय । भोजन एवं वस्त्र की तुरन्त उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें ।

आशा है कि इन हरिजनों की समस्याओं के निराकारण हेतु सरकार अविलम्ब अपनी जनप्रियता का परिचय देगी ।

मिर्जापुर में कोटा सुपर थर्मल पावर तथा कनहर परियोजना से प्रभावित ग्रामवासियों को अन्यत्र बसाने तथा उनको सुविधाएं देने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, मैं आपके अनुज्ञा से इस सदन के माध्यम द्वारा सरकार का ध्यान जनपद मिर्जापुर के कोटा सुपर थर्मल पावर से प्रभावित १६ ग्राम सभा तथा कनहर परियोजना दुद्धी से प्रभावित ११ ग्राम सभा के किसानों मजदूरों तथा बनवासियों को बलपूर्वक हटाया जा रहा है, उनके घरों को धराशायी किया जा रहा है, खेतों में खड़ी फसल को नष्ट किया जा रहा है। इस प्रकार का घोर अत्याचार, अफसरशाही की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ईश्वर प्रसाद—]

श्रीमन्, मिर्जापुर का दक्षिणांचल हमेशा कालखंड के मुंहापुर बसा हुआ है। हम एक बार नहीं तीन-तीन, चार-चार बार उजाड़े गए, वीना रेणुकूट, रेणु सागर, कन्नौजिया, डाला, ओवरा आदि स्थानों पर उद्योग लगाए गए, हमारी जमीन ले ली गयी, बेकार किया गया, अब तक न तो सही रूप से प्रतिकर दिया गया, न तो बसाने की व्यवस्था की गई, बनवासी अनुसूचित जाति के किसानों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए बाध्य किया गया। पुनः कोटा थर्मल सुपर पावर हाउस में २,००० मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना है, जिसके अन्तर्गत १६ ग्राम सभा तथा कनहर परियोजना दुद्धी के अन्तर्गत ११ ग्राम सभा के किसानों, मजदूरों तथा बनवासियों को बलपूर्वक बेघर किया जा रहा है, उनकी जमीन ले ली जा रही है फसल को नष्ट किया जा रहा है, फलदार वृक्ष, कुआं बांध तथा मकान का प्रतिकर सही ढंग से नहीं दिया जा रहा है, उनको बसने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है।

नौकरी तथा ठेकेदारी में कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। इस प्रकार के भयावह आतंक से वहां के किसानों तथा बनवासियों में असंतोष व्याप्त है। प्रतिदिन अधिकारियों के घेराव, प्रदर्शन एवं अनशन का क्रम जारी है, जिसके कारण कभी भी अप्रिय घटना घटने की सम्भावना है।

अतः आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कोटा सुपर थर्मल पावर तथा कनहर परियोजना के अन्तर्गत उजाड़े जाने वाले किसानों मजदूरों तथा बनवासियों की जमीन, कुआं बांध, फलदार वृक्ष, मकान आदि का प्रतिकर दिये बिना हटाया न जाय, उनको बसाने के लिए व्यवस्था की जाय। वर्ग ४, नजूल व पुमर्वास की जमीन का प्रतिकर दिलाया जाय, व्यापार, ठेकेदारी तथा नौकरी में प्राथमिकता के आधार पर सुविधा दी जाय जिससे कि इस क्षेत्र के किसान बनवासियों को राहत मिल सके तथा बिगड़ती हुई भयावह स्थिति से बचाया जा सके।

जिला अस्पताल शाहजहांपुर में लखनऊ निवासिनी श्रीमती विमला जेटली की रहस्यमय मृत्यु के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, श्रीमती विमला जेटली लखनऊ की मौत जिला अस्पताल शाहजहांपुर में बड़े रहस्यमय ढंग से तारीख २१ अप्रैल को हुई है। यह प्रगट नहीं हो रहा है यह दुर्घटना है या कोई साजिश है। उनका अपने घर से चला जाना और फिर शाहजहांपुर अस्पताल में जली हुई हालत में भर्ती होना और उनके पति का अस्पताल के कार्ड पर गलत नाम देना यह सभी रहस्यमय मालूम होता है। वे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती की गयीं। उनको अस्पताल में किसने भर्ती किया कौन उन्हें ले गया और अब तक पुलिस ने उस पर क्या कार्यवाही की है, इन तमाम बातों पर पर्दा पड़ा हुआ है। अतएव निवेदन है कि इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी वक्तव्य देने का कष्ट करें तथा इस सम्बन्ध में अभी तक पुलिस ने क्या जांच की है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निर्धन आश्रम, हरिद्वार के महन्त द्वारा चार हरिजन महिलाओं के अपहरण तथा महन्त पर भ्रष्टाचार के आरोप के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, सम्प्रति हरिद्वार में स्थित आश्रल में ४ हरिजन महिलाओं का आश्रम के फार्म पर काम न करने के कारण आश्रम के महन्त द्वारा अपहरण कर लिया गया। और उन्हें आश्रम के किसी सुरंग में छिपा रखा है। उक्त हरिजन महिलाओं का अपहरण करीब ६ दिनों पूर्व २३ अप्रैल, १९७८ को किया गया। महिलाओं के परिवार वाले व स्थानीय नागरिक काफी चिन्तित हैं।

उक्त आश्रम महिलाओं की हत्या व मूर्ति की तस्करी के लिए काफी कुख्यात है।

इसके पूर्व निर्धन आश्रम में दिसम्बर, १९७५ में अभिलाषा नाम की युवती के साथ बलात्कार और उसकी हत्या का मामला भी हरिद्वार के क्षेत्रीय समाचार-पत्र 'अपने लोग' में प्रकाशित हो चुका है। इसके अलावा ९ अक्तूबर, १९७४ को अल्मोड़ा के भगवान जागेश्वर मंदिर से चुराई गई ११२ किलो वजन का अष्टधातु की मूर्ति अमेरिका भेजने के असफल प्रयास में दिल्ली की सी० बी० आई० शाखा ने ४ अप्रैल, १९७५ को आश्रम के एक स्वामी सूरतानन्द को गिरफ्तार भी किया था। इस मूर्ति में १६ किलो सोना था जो आश्रम की जमीन में गाड़ी गयी थी, बरामद हुई।

इस समय हरिजन महिलाएं अवैधानिक रूप से छिपाई गई हैं। महन्त (केशवानन्द) एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इस वजह से स्थानीय पुलिस कोई भी कदम उठाने में असमर्थ हो रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से अविलम्ब कार्यवाही की अपेक्षा है ताकि हरिजन महिलाओं का उद्धार हो सके और शासन निर्धन आश्रम व उनके महन्त श्री केशवानन्द के सम्पूर्ण कार्य कलापों की सी०बी०आई० से जांच कराये।

मुजफ्फरनगर के ग्राम फतहपुर के जगत सिंह तथा उनके दो साथियों की हत्या के विषय को नियम ३०१ को अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री बाबू सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने जनपद मुजफ्फरनगर की एक दुखद घटना की ओर दिलाना चाहता हूं।

घटना—लगभग एक माह पूर्व ग्राम फतेहपुर थाना शामली के श्री जगत सिंह तथा उनके दो साथी अपनी ट्रैक्टर ट्राली से गन्ना फैक्टरी, शामली में गन्ना पहुंचा कर लौट रहे थे रात्रि के ११ बजे लगभग। जब ये तीनों व्यक्ति अपने ग्राम फतहपुर के समीप पहुंचे तो पहले से इकट्ठे कुछ लोगों ने जिनकी संख्या लगभग १० बतायी गयी, जो हथियारों से लैस थे ने जगत सिंह तथा उनके दोनों साथियों की हत्या कर दी तथा उसी ट्रैक्टर ट्राली में इन लोगों की लाशें डाल कर ले गये और लगभग ६० मील दूर गंगा की नहर में फेंक दिया और ट्रैक्टर ले कर फरार हो गये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबू सिंह—]

आज तक केवल ग्राम के तीन व्यक्ति जो कि रिपोर्ट में नामजद थे, दो पकड़े गये तथा एक स्वयं न्यायालय में पेश हुआ परन्तु अन्य व्यक्ति जो इस घटना से सम्बन्धित हैं तथा मुख्य कातिल हैं उनमें से कोई गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई और न ही आज तक ट्रैक्टर का कोई पता चला है।

मान्यवर, इस घटना से सारे जिले में भारी सनसनी तथा भय का वातावरण बना हुआ है और कृषकों को अपने कृषि कार्य को रात्रि में करने में भय लगने के कारण कठिनाई बढ़ती जा रही है। जिले की पुलिस बार-बार कहने पर भी इस घटना में कोई रूचि नहीं ले रही है, शासन की भारी बदनामी हो रही है और जनता ने यहां तक कहना आरम्भ कर दिया है कि सम्बन्धित पुलिस अधिकारीगण मुलजिमों से साज कर चुके हैं और शमली पुलिस के सी० ओ० राणा जी जो कि पहले से ही मुलजिमों से साज किन हुए बताये जा रहे हैं, उनके जानवरों के लिए चारा तथा घी का प्रबन्ध मुलजिमान बहुत पहले से ही करते रहे हैं, यह बात सारे क्षेत्र में पूर्ण रूप से मालूम है। घटना से पहले तथा बाद में भी मुलजिमान राणा जी के यहां प्रतिदिन आते रहे हैं। मान्यवर, घटना की गम्भीरता तथा पुलिस की पूर्ण लापरवाही पर तुरन्त सरकार सम्बन्धित पुलिस अधिकारीगण के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करें और घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य दें ताकि जिले में फैली बेचैनी दूर हो सके।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य, विधान सभा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

सर्वश्री राघव राम मिश्र तथा राजेन्द्र कुमार गुप्त सदस्यगण, विधान सभा ने सूचना दी है कि २५ अप्रैल, १९७८ को श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य विधान सभा ने सदन में यह कहा था कि स्वर्गीय पंडित दीन दयाल उपाध्याय की प्रतिमा जहां लगी है वह वही पार्क है जिसमें कई साल पूर्व चुनी हुई पालिका ने सर्वसम्मति से आचार्य नरेन्द्र देव की स्मृति में एक बहुउद्देशीय भवन बनाने का निर्णय लिया था। उक्त माननीय सदस्यों का कहना है कि श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का यह कथन असत्य है तथा आदरणीय सदन को जानबूझ कर गलत सूचना देकर दोनों महापुरुषों का विषय बनाने के सुविचारित उद्देश्य से किया गया है। माननीय सदस्यों का विवाद का कहना है कि नरेन्द्रालय बनने के लिए जिस पार्क को चुना गया था एवं जिस स्थान पर स्वर्गीय श्री दीन दयाल जी की प्रतिमा लगायी गयी है वे स्पष्ट रूप से दो स्थान हैं तथा दोनों के बीच की दूरी लगभग दो फर्लांग से अधिक है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने अपने स्पष्टीकरण में एक तो प्राविधिक आपत्ति की है कि सर्वश्री राघव राम मिश्र तथा राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना नियमानुसार सचिव, विधान सभा को सम्बोधित न हो कर मुझे सम्बोधित है। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में यह भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने सदन में कोई गलत बयानी नहीं की। उन्होंने सदन में कहा था कि जब फैजाबाद के नागरिकों में नरेन्द्रालय वाले पार्क में पंडित दीन दयाल जी की प्रतिमा की स्थापना का विरोध हुआ तो जिला प्रशासन ने माननीय मुख्य मन्त्री, जो पंडित दीन दयाल जी की प्रतिमा का उद्घाटन करने आ रहे थे, का प्रोग्राम रद्द करा दिया और नरेन्द्रालय वाले पार्क में पंडित दीन दयाल जी की प्रतिमा की स्थापना का विचार त्याग करके दूसरे दिन उसे

नगर पालिका के सामने वाले पार्क में स्थापित किया गया । श्री राघव राम मिश्र एवं श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने अपनी सूचना में ऐसे कोई तथ्य नहीं दिये हैं जिससे यह सिद्ध हो कि श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने जानबूझ कर सदन को गुमराह करने के लिए असत्य कथन किया था । इसमें विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न अन्तर्गस्त नहीं है । अतः मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

नियम ३०१ के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मैंने नियम ३०१ के अन्तर्गत दिया था, क्या राजनैतिक आधार पर स्वीकार नहीं की गई है ?

श्री अध्यक्ष--

आप जो प्रश्न उठाना चाहते हैं, आजमगढ़ में लोक सभा का चुनाव हो रहा है तो चुनाव में इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप सदन में आयेंगे तो यह अनुचित होगा । मैंने आपके प्रश्न को देखा और विचार करने के बाद अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह आरोप और प्रत्यारोप का प्रश्न हो जायगा । इसलिए मैंने अनुमति नहीं दी ।

श्री गुलाब सेहरा--

एफ० आई० आर० की कापी लगाई और गिरफ्तारी नहीं हुई । जनता पार्टी के लोगों के नाम दिए हैं, जिन्होंने ऐसा काम किया है । अगर लोगों को भय रहेगा तो किस तरह से वोट दे पायेंगे ....।

श्री अध्यक्ष--

उसको मैंने ३०१ में स्वीकार नहीं किया है । अब आप बैठिए, विवाद का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य विधान सभा, के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

श्री राघव राम मिश्र (जिला खीरी)--

मान्यवर, जब कोई विशेषाधिकार का प्रश्न आता है तो उसमें स्पष्टीकरण...

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसको अग्राह्य कर दिया है । आप कृपया बैठिए ।

श्री राघव राम मिश्र--

मान्यवर, मेरी बात तो सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठिए । इसमें कोई प्रश्न नहीं हो सकता है । नियम ६४, ६५, ६६, विशेषाधिकार से सम्बन्धित है । मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप कृपया बैठ जाइये ?

श्री राघव राम मिश्र--

मान्यवर, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने इसको अग्राह्य कर दिया है । मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं इसमें निर्णय कर चुका हूं । अब इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री राघव राम मिश्र--

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री अध्यक्ष--

इसका निर्णय तो मुझे करना है ।

श्री राघव राम मिश्र--

मान्यवर, इसमें महापुरुष दीन दयाल जी का नाम आया है ।

श्री अध्यक्ष--

आप तो फिर आपत्ति कर रहे हैं । इसकी मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री राघव राम मिश्र--

मैं मान्यवर, यह पूछना चाहता हूं कि इसमें एक इतने महान पुरुष का नाम लिया जा रहा है . . .

श्री अध्यक्ष--

आप फिर इस पर विवाद करना चाहते हैं ? इसको मैंने अस्वीकार कर दिया है । कृपया बैठें ? आप आज्ञा कर रहे हैं । मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । मैंने एक निर्णय दिया है । आप तो अवज्ञा कर रहे हैं । आप कृपया बैठ जाय ?

श्री राघव राम मिश्र--

मान्यवर, उन्होंने स्पष्टीकरण में यह आरोप लगाया है....

श्री अध्यक्ष--

मैं कहता हूं कि आप बैठ जायं ?

श्री राघव राम मिश्र--

[***]

श्री अध्यक्ष--

मैंने एक निर्णय दे दिया है । आप अपना स्थान ग्रहण करें । जो अभी माननीय राघव राम मिश्र ने कहा है वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा ।

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

कार्य मंत्रणा समिति ने आज दिनांक २८ अप्रैल, १९७८ को अपनी बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए :

(१) २९ अप्रैल, १९७८ को १ बजे अपराह्न से ६ बजे अपराह्न के स्थान पर ११ बजे पूर्वाह्न से ५ बजे अपराह्न तक उपवेशन हो, जिसमें ११ बजे पूर्वाह्न से २ बजे अपराह्न तक सिंचाई मन्त्री से सम्बन्धित अनुदान और २ बजे अपराह्न से ५ बजे अपराह्न तक न्याय एवं कारागार मंत्री से सम्बन्धित अनुदानों को लिया जाय।

(२) श्री शम्भू नाथ चौधरी, श्री नरेश चन्द्र वर्मा तथा श्री बाबू राम वर्मा की सूचनाओं पर सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए १५ प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत चर्चा के लिए ११ तथा १२ मई, १९७८ को सांयकाल ५ बजे के बाद दो-दो घन्टे का समय निर्धारित किया जाय।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्ताव पेश करने के पूर्व मेरा निवेदन है कि जो समितियों का चुनाव हुआ है, वह गलत हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रस्ताव नहीं है, दूसरा है।

श्री मधुकर दिघे (संसदीय कार्य मंत्री)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रण समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिनकी सूचना श्री अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से जिसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा आज सदन को दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अर्जक संघ तथा शोषित समाज दल द्वारा ग्राम दयानतपुर, जिला कानपुर में रामायण तथा मनुस्मृति के जलाये जाने का एलान तथा सद्भावना समिति द्वारा उसका विरोध किये जाने के कारण साम्प्रदायिक संघर्ष के वक्तव्य पर शोधन वक्तव्य

श्री सत्य देव त्रिपाठी (पर्वतीय विकास उप मंत्री)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्जक संघ तथा शोषित समाज दल द्वारा दिनांक ३० अप्रैल, १९७८ को ग्राम दयानतपुर, जिला कानपुर म रामायण तथा मनुस्मृति को जलाए जाने का एलान तथा सद्भावना समिति द्वारा इसका विरोध किये जाने के कारण साम्प्रदायिक संघर्ष होने की सम्भावना के सम्बन्ध में डा० अश्वनी कुमार चतुर्वेदी

'राकेश' तथा श्री मौजी लाल कुरील द्वारा दी गयी सूचनाओं पर जो वक्तव्य मैंने दिनांक २७ अप्रैल, १९७८ को विधान सभा में दिया था उसमें भ्रमवश एक स्थान पर त्रुटि हो गई है जिसका पता मुझको बाद में चला। दिया गया वक्तव्य और सही वक्तव्य निम्नवत् है—

दिया गया वक्तव्य	सही वक्तव्य
अर्जक संघ तथा शोषित समाज दल जनपद कानपुर की ओर से श्री शिव कुमार भारतीय आदि चार व्यक्तियों के नाम से एक पर्चा शीर्षक "चेतना दिवस पर रामायण व मनुस्मृति की होली जलेगा" के वितरण उनकी मांगें एवं २९ अप्रैल, १९७८ को 'शम्बूक वध उर्फ राम राज्य,' नाटक के मंचन तथा ३० अप्रैल, १९७८ को ग्राम दयानतपुर में रामायण एवं मनुस्मृति की होली जलाने की घोषणा तथा सवर्णों में उसकी प्रतिक्रिया की जानकारी शासन को तथा जिला अधिकारियों को है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है एवं घटनाक्रम पर दृष्टि रखी जा रही है।	अर्जक संघ तथा शोषित समाज दल द्वारा जनपद कानपुर की ओर से श्री शिव कुमार भारतीय आदि पांच व्यक्तियों के नाम से एक पर्चा शीर्षक "चेतना दिवस पर रामायण व मनुस्मृति की होली जलेगी" के वितरण उनकी मांगे एवं २९ अप्रैल, १९७८ को 'शम्बूक वध उर्फ राम राज्य' नाटक के मंचन तथा ३० अप्रैल, १९७ को ग्राम दयानतपुर में रामायण एवं मनुस्मृति की होली जलाने की घोषणा तथा सवर्णों में उसकी प्रतिक्रिया की जानकारी शासन को तथा जिलाधिकारियों को है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है एवं घटनाक्रम पर दृष्टि रखी जा रही है।

वर्ष १९७७-७८ के लिए निर्वाचित विधान सभा की समितियों तथा स्थायी समितियों के सदस्यों को वर्ष १९७८-७९ के लिए भी निर्वाचित समझे जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निर्णय करता है कि इस दिन को वर्ष १९७७-७८ के लिए निर्वाचित लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा मंत्रियों को परामर्श देने वाली २९ स्थायी समितियों के लिए विधान सभा द्वारा निर्वाचित सदस्य उक्त समितियों में वर्ष १९७८-७९ के लिए भी निर्वाचित समझें जायं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, इन समितियों का नामांकन १९७७-७८ के लिए किया गया था और आपने आदेश दिया था, उसी के अनुसार नामांकन १९७७-७८ के लिए किया गया। श्रीमन्, मार्च १९७८ तक इन समितियों का चुनाव नहीं हुआ। तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि

नामजदगी जो हुई वह बेकार हो गयी, क्योंकि मार्च तक अपनी अवधि तक, उनका चुनाव नहीं हुआ। यदि हो जाता ३१ मार्च, १९७८ के पूर्व तो उससे चुनी हुई समितियों का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार माननीय विधान सभा को है और ऐसी परम्परा भी हमारी विधान सभा की रही है। तो पहले तो मेरा कहना यह है कि उनका चुनाव ३१ मार्च के पहले नहीं हुआ इसलिए इन समितियों का नामांकन ही अवैध हो गया और उनको मार्च अप्रैल में निर्वाचित करने का कोई औचित्य नहीं है और ये समितियां चूंकि चुनी नहीं गयी है इसलिए इनका कार्य–काल नहीं बढ़ाया जा सकता है और माननीय संसदीय कार्य–मन्त्री ने कार्यकाल बढ़ाने का सीधा प्रस्ताव नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि उसको चुना हुआ मान लिया जाय। तो स्वयं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को संदेह है नियम सम्बन्धी। इस लिए उन्होंने सीधा कार्य काल बढ़ाने का प्रस्ताव न करके यह किया। तो मेरी आपत्ति है। मैं आपको व्यवस्था चाहता हूं और आशा करता हूं कि ऐसी व्यवस्था करें कि फिर से नामजदगी दाखिल की जायं और १९७८–७९ के लिए विधिवत् चुनाव के लिए घोषणा नियमानुसार की जाय।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)––

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष––

व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं होती। आप बैठिये। माननीय मंनेजर सिंह जी ने जो आपत्ति प्रस्तुत की है, साल १९७७–७८ के लिए उन कमेटियों के नामांकन हुए थे। लेकिन उनका चुनाव समय पर नहीं हो सका और कुछ कमेटियों की जो नामजदगियां १९७७–७८ में हुई थी उनका चुनाव अप्रैल के महीने में हुआ। लेकिन नियम ३११ के अन्तर्गत नियमों को निलम्बित करके जो प्रदत्त अधिकार है उसके अनुसार ही सदन ने अपने प्रस्ताव द्वारा निश्चय करके चुनाव की अवधि बढ़ा दी, सदन अपने कार्य संचालन के लिए स्वयं पूरे तरीके से सक्षम है उसने यह निर्णय किया। अब सब कमेटियों के चुनाव विधित हो गये हैं और चूंकि यह कमेटियां सन् १९७७–७८ के लिये बनी थी और उनका कोई कार्यकाल रहा ही नहीं, इसलिये माननीय संसदीय काय मंत्री जी ने यह प्रस्ताव किया है। अब अगर माननीय मैंनेजर सिंह जी इसका विरोध करते हैं और यह सदन सक्षम है, वह अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तो नये चुनाव होंगे अपने आप ही। लेकिन इस प्रस्ताव को पेश करने का अधिकार तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री को है ही। माननीय मैंनजर सिंह जी तो इस सदन के बहुत पुराने सदस्य हैं, वे जानते हैं, समितियों का समय एक बार नहीं अनेकों बार बढ़ा है। इसलिये इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रेवती रमण रस्तोगी––

एक व्यवस्था का प्रश्न मेरा है। इस विषय से वह भिन्न है।

श्री अध्यक्ष––

इसके बाद आप रख सकते हैं, अभी तो यह चल रहा है। व्यवस्था पर व्यवस्था का प्रश्न नही उठाया जा सकता।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)--

आपके माध्यम से मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि जिन कमेटियों के बारे में माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है वे कब बनीं उसकी सूचना कोई माननीय सदस्यों को नहीं है ? जब हमें उसकी जानकारी है ही नहीं, तो उसके कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव कैसे आ सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

अगर आप नहीं पढ़े तो उसका इलाज मेरे पास कोई नहीं है । आपके पास सारे नाम पहुंच गये होंगे ।

श्री शिवलाल मित्तल (जिला बस्ती)--

न पहुंचे हों तो क्या अंधेरे में रख कर हमसे पास करा दीजियेगा ? अधिकांश सदस्यों को मालूम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

आपको स्मरण होगा, यहां सदन में ही मैंने पढ़ कर सुनाया था कि इन इन कमेटियों के चुनाव सम्पन्न हो गये हैं । यह आपका फर्ज था कि अगर आपके पास नहीं पहुंचे तो मालूम करते कि आप किस कमेटी में हैं ।

(व्यवधान)

श्री रेवती रमण रस्तोगी--

इसी प्रश्न पर व्यवस्था का प्रश्न है, नारायण ।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था पर व्यवस्था नहीं हो सकती ।

श्री रेवती रमण रस्तोगी--

जिस समय नाम मांगे गये थे उस समय एक ह्विप जारी किया गया था कि हम लोग अपने नाम न दें । तो यह चुनाव कैसे हो गया, नारायण । (हंसी) इस पर विचार कीजिये नारायण । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग शान्ति रखिये । ह्विप जारी करने वाला प्रश्न इस सदन का नहीं है, वह जनता पार्टी का है, आप उसे जनता पार्टी में ही उठाइये । हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप शांत रहें । मैंने यही घोषणा की थी कि इन-इन कमेटियों के चुनाव हो चुके हैं । अब मैं इस प्रस्ताव को लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि यह सदन यह निश्चित करता है कि इस सदन को वर्ष १९७७–७८ के लिए निर्वाचित लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति तथा मंत्रियों को परामर्श देने वाली २९ स्थायी समितियों के लिए विधान सभा द्वारा निर्वाचित सदस्य उक्त समितियों में वर्ष १९७८–७९ के लिए भी निर्वाचित समझे जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष––

श्रीमती पुष्पा तलवार ने एक काम रोको प्रस्ताव दिया है । वह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल तथा इण्टर की परीक्षाओं के पर्चे गेस पेपर्स की आड़ में पूर्व प्रकाशित होने के कारण गम्भीर स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में है । इस सम्बन्ध में श्री सोहनवीर सिंह तोमर के प्रस्ताव पर मैंने माननीय शिक्षा मंत्री को निर्देश दिया है कि उसमें व्यवस्था करें और उन्होंने आश्वस्त भी किया कि वह इसकी जानकारी भी आपको दे देंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)––

एक व्यवस्था का प्रश्न । माननीय सोहनबीर सिंह तोमर ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया है, नियम ५१ या ५२ में चर्चा तो ले सकते हैं, अलग से नहीं ले सकते हैं, कार्य–स्थगन के प्रस्ताव को नियम ५१ में आप ले लें, कल ही आपने व्यवस्था दी, आज यह कैसे हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष––

मैंने यह कहा है कि इस प्रश्न पर पहले ही इस सदन की नियमावली में यह व्यवस्था है कि जो प्रश्न पहले से विवाद के लिए लिया गया है, वह उसमें नहीं लिया जा सकता है । मैंने श्रीमती पुष्पा तलवार के काम रोको प्रस्ताव को इस लिए अस्वीकृत किया है कि पहले से श्री सोहन बीर सिंह तोमर के प्रस्ताव पर माननीय शिक्षा मंत्री को निर्देश दिया गया है कि वह आवश्यक जाँच करके व्यवस्था करें ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)––

तो क्या सोहन बीर सिंह तोमर के नाम के साथ उनका नाम भी उस प्रस्ताव के साथ जोड़ा जायगा ?

श्री अध्यक्ष––

जी नहीं ।

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या ६१--राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ६२-सिंचाई अधिष्ठान अनुदान संख्या ८५--सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या ८६--बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

*श्री बलवीर सिंह (सिंचाई मंत्री)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्रीराज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६१--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ७४,२१,८८,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ६२-सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के किए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ३६,६४,६५,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्मपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष अनुदान संख्या ८५-सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,६९,६६,७२,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ८६--बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २५,१०,६२,००० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(इस समय १२ बज कर ३७ मिनट पर अधिष्ठाता श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा। मैंने जो मांग पेश की हैं, ६१ जो है वह राजस्व के खर्च से सम्बन्धित है। ६२ जो है अधिष्ठान के सम्बन्ध में है और ८५ जो है वह कैपिटल एक्सपेंडीचर योजनाओं के खर्च से सम्बन्धित है तथा ८६ जो है वह बड़ी-बड़ी मल्टी परपज योजनाओं और उनका जो कैपिटल एक्सपेंडीचर होगा उनके बारे में मैंने यह पेश किया है। मान्यवर, पिछले साल ७७-७८ का बजट जो मैंने पेश किया था सिंचाई विभाग का उसमें भी यही ४ मांगें थीं जिनको माननीय सदन ने स्वीकार किया था।

मान्यवर, इस दफे जो मैंने यह बजट पेश किया है उसमें पिछले साल का जो सिंचाई विभाग को धन मिला था उससे अबकी साल ज्यादा है। बड़ी योजनाओं के लिए, मध्यम योजनाओं के लिए जो धन लिया गया है वह १४८ करोड़ है, जो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्लान से मिला है। लघु सिंचाई योजनाओं के लिए ३३ करोड़ है। बाढ़ के लिए १४ करोड़ रुपया है। इस तरह से इस दफा १९५ करोड़ रुपया मिला है। मान्यवर, पिछले साल जो पैसा खर्च हुआ, स्वाभाविक है कि माननीय सदस्य यह मानने के इच्छुक होंगे कि उस पैसे को खर्च करने के बाद प्रदेश की सिंचाई क्षमता में कोई बढ़ोत्तरी हुई ? विकास में कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ ? मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि सिंचाई के जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किसी सरकार पर या किसी पार्टी पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं। मैं यह कहना नहीं चाहता कि उनको असफलता हुई। मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि उन्होंने उसमें मेहनत नहीं की। क्योंकि मान्यवर, मेरा ऐसा विचार है, मेरा ऐसा कन्विक्शन है कि जो भी सरकार किसी देश या प्रदेश में बनती है चाहे वह पहले की सरकार हो या आज जनता पार्टी की सरकार हो लक्ष्य सबका एक ही है। मैं यहां तक मानता हूं कि कोई इज्म हो, कोई आइडियालोजी हो, अगर पोलीटिकल आइडियालोजी हो तो फिर एक ही लक्ष्य होता है और वह लक्ष्य है प्रदेश या देश की जनता को खुशहाल बनाना और ऐसे काम करना जिससे देश और प्रदेश की उन्नति और तरक्की हो। देश के सब लोग, छोटे-बड़े उसका फायदा उठायें, यही एक लक्ष्य होता है। तो पहली सरकार का यही लक्ष्य था इसलिए जैसा मैंने निवेदन किया कि किसी काम को बताना चाहिए। पहले चाहे कुछ कारण रहे हों, लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सन् ७६-७७ में जो लक्ष्य निर्धारित थे उसमें बदकिस्मती से १.९५ का शार्टफाल हुआ। तो मान्यवर, फिर मेरा निवेदन यह है कि ७७-७८ में हमने इसको पूरा किया।

एक सदस्य--

समझाकर कहें।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग ढंग से समझिये।

श्री बलबीर सिंह--

मान्यवर, ढंग से जिसमें समझमने की अक्ल होगी उसी को समझाया जा सकता है। माननीय ऊदल जी कहते हैं कि अंधे के आगे रोवे, अपने नैना खोवे इसी को गांव में कहते हैं अंधे को दिया नोन, वह कहे मेरी आंखें फोड़े। तो इन आंकड़ों को समझने के लिए पहले ऐसा दिमाग बनाना पड़ेगा, ट्रेनिंग हासिल करना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह दलगत मामलों में न पड़ें। यहां बहस ऐसी हो कि जहां आलोचना की जरूरत हो वहां आलोचना करें लेकिन चाहे इधर के बैंठन वाले हों या उधर के। चूंकि यह महत्वपूर्ण विभाग है इसलिए इस विभाग की कामयाबी पर, उसको जो पैसा दिया जाता है उसके सही इस्तेमाल करने पर आप सुझाव दें। आप आलोचना करें और हमारी सहायता करें कि कहां पर कमी है, यह पार्टी का सवाल नहीं है बल्कि सारे प्रदेश का सवाल है। इसलिए मैं कहता हूं कि शार्ट फाल हुआ, चाहे जिस तरह हुआ हो लेकिन हुआ। वर्ष १९७७-७८ में ५.४४ लाख हेक्टेयर क्षमता मेजर

[श्री बलबीर सिंह]

योजनाओं से बढ़ी है, माइनर इर्रीगेशन में १.२९ कुल ७.३६ लाख हेक्टेयर इस साल क्षमता बढ़ी है। इसलिए मैं फिर आपसे धन मांग रहा हूं। मैंने अनुमान लगाया कि कम से कम हमारी क्षमता नये साल में ४.४५ लाख हेक्टेयर बड़ी योजनाओं से और छोटी योजनाओं से २ लाख हेक्टेयर. इस प्रकार कुल ६.४५ लाख हेक्टेयर क्षमता बढ़ी। बाद में मैं साबित करूंगा कि इतना बढ़ा देने से इतना फायदा हुआ है। वह इस माने में कि बेरोजगारी समाप्त करने में। जो आंकड़े बढ़े हैं उ में चाहे जो इंडस्ट्री लगायें। इतना कम पैसा खर्च करके इतने रोजगार जो दे पाये हैं और नहीं दे पायेंगे।

अब प्रश्न उठता है कि माननीय सदन को और माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहूंगा कि जो योजनायें १९७७-७८ में लगभग पूरी हो गई हैं उनसे कौन-कौन जिले लाभान्वित हुये हैं। नं० १--शारदा सहायक परियोजना--इसमें अभी काम बाकी है और २-३ साल अभी लगेंगे। लेकिन खास काम लगभग पूरा हो चुका है। इसमें लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर लाभान्वित होंगे।

मान्यवर, दूसरी योजना गंडक योजना है जो कि लगभग पूरी हो गयी है। इसमें ज्यादा शेष काम नहीं है। इससे देवरिया और गोरखपुर जिले लाभान्वित होंगे। तीसरी योजना है रामगंगा परियोजना। इसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है शेष पूरा हो गया है। सहारनपुर, मेरठ, यह मैं इसलिए बता देना चाहता हूं कि सबको इसकी जानकारी हो कि उनसे कौन जिले लाभान्वित इससे होंगे, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, ये जिले इससे लाभान्वित होंगे।

चौथी योजना है कोशी सिंचाई योजना। यह भी पूरी होगयी है। नैनीताल, रामपुर, मुरादाबाद, इससे लाभान्वित होंगे।

फिर है देवकली पम्प योजना, इसमें काम चालू है। गाजीपुर लाभान्वित होगा। किशनपुर पम्प योजना, इसमें भी काम बाकी है, इलाहाबाद को लाभ पहुंचेगा। औगासी पम्प नहर, यह पूरा हो गयी है। इससे बांदा लाभान्वित होगा। इसी प्रकार जमनियां पम्प नहर में काम चालू है।

तो मान्यवर पिछले साल में कुछ योजनायें जारी रही हैं। कुछ पूरी हो गयी हैं, कुछ पूरी होने की नजदीक हैं, जिन पर पैसा खर्च किया गया है। वह है मान्यवर मध्य गंगा इसमें काम जारी है, दूसरी है टिहरी बांध। मध्य गंगा से बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, ये जिले लाभान्वित होंगे। टिहरी बांध...

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

ठीक तरह से समझाइये...

श्री बलबीर सिंह--

बहुत समझा रहा हूं लेकिन मैं क्या करूं। आपको क्या पता रामगंगा कहां है। बताइये टिहरी बांध कहां है? आपको असल जो जानकारी नहीं होगी कि इस देश में कोई टौंस नदी भी है। समझ में नहीं आता तो मैं क्या करूं? अब आप शोर कितना...

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है तो बाकी जो लोग हैं उनको तो जानकारी है कि टिहरी बांध कहां है ?

श्री बलवीर सिंह--

मैं टिहरी बांध तक गया था। टिहरी बांध के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा । जरूरी है आपने ठीक कहा । टिहरी बांध बहुत बड़ा बांध है और इससे लाभ भी काफी होने वाला है...

श्री मन्जूर अहमद--

रिसर्च की है आपने...

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आपस में बात और टोका-टाकी न करें । मंत्री जी को ध्यान से सुनें । मंजूर साहब शांत रहें ।

श्री बलवीर सिंह--

टिहरी की पुरानी योजना है । पिछले दिनों वह लटकी रही और बहुत थोड़ा-थोड़ा काम चलता रहा । इस लटकने की वजह से लोगों में एक शुबह पैदा हो गया, अनसरटेन्टी हो गयी, कि योजना बनेगी या नहीं बनेगी, एक साइकोलोजिकल असर उन पर पड़ा और थोड़ा सा एजीटेशन भी उस वक्त शुरू हो गया । अक्तूबर के महीने में मान्यवर मैं वहां गया । नेगी जी इस वक्त नहीं हैं, मेरे साथ थे, शास्त्री जी भी नहीं हैं । खैर, मैंने देखा कि उन लोगों की यह इच्छा थी कि योजना को बनना है तो काम शुरू हो, रिहेब्लिटेशन का काम भी शुरू हो जाय, नहीं बनना है तो सरकार कह दे कि नहीं बनना है । यह इतनी बड़ी बात नहीं । मैंने अपोजीशन, मुख्य विरोध इस बात का था कि टिहरी शहर उसमें डूबना है । ज्यों ही बांध बन जायगा, यदि काम अच्छी तरह से चला तो ८२ तक बनेगा, तो सारा टिहरी शहर डूब जायगा । तो उनको परेशानी होगी । ऊदल जी आप ध्यान देंगे, परेशानी हम सबको होती है । तो इसलिए वे इस चीज के खिलाफ थे और वे चाहते थे कि उनका टिहरी नगर कहीं ऐसी जगह बसाया जाय कि जहां रहने पर उनको तकलीफ न हो। उन्होंने महसूस किया कि जहां बसा रहे हैं, बादशाही थौल, वह बहुत ऊंचाई पर है और उस जगह का टेम्परेचर बहुत कम है, ठंड रहती है । तह करीब दो-ढाई हजार फीट की ऊंचाई पर रहते हैं और वह जगह ६ हजार फीट की ऊंचाई पर है । मैं वहां गया और देखा तो मैंने महसूस किया कि इनकी सही बात है । इतनी ठंड में क्यों बसाया जाय । दूसरे जहां डैम बन रहा है वह जगह भी दूर है । उससे टिहरी वालों को को फायदा नहीं । ऐसी बातें थीं जिनको मैं देखकर आया ।

[श्री बलवीर सिंह--]

इसके अलावा और बातें थीं उनको वहीं तय कर दिया। कुछ फैसले यहां लिए गये हैं जमीन के बदले जमीन, मकान के बदले मकान। मुआवजा जिस तरह से चाहते थे उस तरह से बना दिया। शायद इससे पहले प्रदेश में ऐसा फैसला नहीं किया जा सका। मैं तो चैलेन्ज करता हूं कि कहीं दूसरे प्रदेश में भी ऐसा निर्णय नहीं हो सका जैसा हमने लिया है। जो डूब क्षेत्र में लोग आयेंगे हर फैमिली को कम से कम दो एकड़ जमीन दी जायगी। सिर्फ उनको ही नहीं जिनकी जमीन डूबेगी बल्कि वहां गरीब भी हैं उनको भी दो एकड़ जमीन दी जायगी। जिनके पास मकान है उनको आज कीमत के अनुसार, जिसको पी० डब्लू० डी० तय करेगी, डेप्रीसिएशन काट कर मुआवजा दिया जायेगा। अगर किसी के मकान का मूल्य १०० रुपया आता है तो उसको ६ हजार से कम नहीं दिया जायगा। अगर वह गरीब आदमी है। अगर किसी के मकान का मूल्य डेढ़ लाख आता है तो उसको सिर्फ २० हजार रुपया दिया जायगा। इस तरह से पालिसी रखी है। वह लोग संतुष्ट हैं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

बसाने वाली बात तय हो गयी।

श्री बलवीर सिंह--

अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। हमने फैसला लिया। कोठाकोठी एक जगह है वहां उनको ले जायेंगे। यह सारी बातें सम्पन्न हैं। लेकिन फिर वहां एजीटेशन। ५ तारीख को मैं गया था। संघर्ष समिति के लोगों की बात सुनी। मैं खामोशी से सुनता रहा और समझने की कोशिश की। गांव के लोग भी आए थे। वह भी संतुष्ट थे। अखबारों में चाहें जो भी लिखा जाता रहा हो। जो संघर्ष समिति है वह अजीब है। उसमें सभी पालिटिकल पार्टीज के लोग हैं। इनका कहना है कि अगर यहां बांध बन गया तो इतना खतरनाक होगा कि यह इलाका तहस नहस हो जायगा। यह उनका कहना है हमारा यह प्रयास है कि टिहरी बांध का काम मिलजुल कर करना है पुलिस या मिलिट्री फोर्स से नहीं। जो एक्सपर्ट्स थे उनकी ही राय मानी गयी। उन लोगों ने प्रधान मंत्री को एप्रोच किया था और उन्होंने पत्र लिख दिया था कि उत्तर प्रदेश में एक सब कमेटी बनी हुई है वही फैसला करेगी। आपका फैसला वही करेगा। अगर मैं चाहता तो उसी समय फैसला खतम कर सकता था। मैं कह सकता था कि सुनवाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैंने २० मई तारीख रख दी है। सरकार संघर्ष समिति को बुला रही है और उसके सदस्यों को टी० ए० और डी० ए० देगी लेकिन काम जारी है। तो इस तरह की स्थिति है।

श्री देव बहादुर सिंह--

फैसला क्या हुआ है?

श्री बलवीर सिंह--

काश्तकार पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कुछ ऐसे विशेष लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनको फोर्स से नहीं हटाना चाहता हूं और उनकी ईमानदारी पर शुबह नहीं करता हूं। वे समझते हैं कि इसके बनने से वह बरबाद हो जावेंगे इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने विधान में बतलाया कि गलतफहमी के कारण ऐसा हुआ है। टेहरी बांध योजना से इटावा, एटा, फर्रुखाबाद आदि जिलों का

लाभ पहुंचेगा। लखबाड़ योजना से सम्बन्धित जिलों को लाभ पहुंचेगा। घाघरा नहर में बहराइच, गोंडा में पानी की कमी है, वह दूर होगी। तो मान्यवर, २३ योजनायें हैं। कान्टीन्यूड योजनायें हैं। इसके अलावा अब जो महत्वपूर्ण बात है, आपसे रुपये की मांग कर रहा हूं। इसमें कौन-कौन सी योजनायें रखना चाहता हूं, इसको मान्यवर, स्पष्ट कर देना चाहता हूं। इस वर्ष २४ नई योजनायें ली गई हैं।

(श्री मन्जूर अहमद के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

मन्जूर साहब आप शान्ति से नहीं बैठ सकते हैं ?

श्री बलबीर सिंह—

मान्यवर, आदत नहीं है।

इनमें बहुउद्देशीय योजनाओं में किसाऊ बांध है। इसका हिमाचल प्रदेश से भी सम्बन्ध है। मैं वहां के मन्त्रियों से बातचीत करके आया हूं। इससे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर आदि जिले लाभान्वित होंगे। इसके बाद एक बड़ी योजना बेबर फीडर है। इससे मैनपुरी, फर्रुखाबाद को लाभ पहुंचेगा। एक अर्जुन सहायक चेम्बर सिंचाई योजना है। इसमें आगरा और इटावा आते हैं। यहां पानी की बहुत कमी है। अपने प्रदेश में बदायूं ऐसा जिला है जहां न नहरें हैं और न ट्यूबवेल्स हैं। मैं वहां गया तो देखकर बड़ा तरस आया। मेरे पास ट्यूबवेल्स भी उनको देने के लिए नहीं थे। मैंने बहुत चाहा तो कोशिश हुई और बदायूं नहर योजना बनाई गई। यह मध्यम योजना है। इसके बाद हिंडन किशनी योजना और गंडक सिंचाई परियोजना है। इस तरह से आप देखेंगे कि २४ योजनायें हैं। मैं यह निवेदन कर दूं कि नयी योजनायें हमने ली हैं। उनकी ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछली दफा मैंने कहा था कि सेन्टर ने हमारी बड़ी मदद की है और कई योजनायें ऐसी हैं कि जिनको उन्होंने स्वीकृति दे दी है। मसलन मैंने राजघाट का जिक्र किया था। राजघाट, बानसागर और उर्मिला बांध, ये हैं। उर्मिला बांध की तो अभी स्वीकृति मिली है। राजघाट की जहां तक बात है, इसमें काम शुरू हुआ है। बेतवा नदी की प्रथम बैठक जो राजघाट के लिए बनी थी, हुयी। खैर बैठकें हो रही हैं। काम जारी है। इसी तरह से बान सागर, जो मध्य प्रदेश के लिए बन रहा है, उससे हमारे जिले भी प्रभावित होंगे। उसमें काम जारी है। इसी तरह से उर्मिला बांध बुन्देलखण्ड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें भी स्वीकृति मिल चुकी है और छोटा-मोटा काम उस पर भी जारी है।

इसके बाद में मैं थोड़ा सा ट्यूबवेल के सम्बन्ध में जिक्र करना चाहूंगा। यह बहुत जरूरी है क्योंकि ट्यूबवेल से सबसे बड़ा लाभ यह है कि उसमें पानी जल्द मिलने लगता है। मान्यवर, पिछले साल १९७७-७८ में १३९६ ट्यूबवेल मैंने एलाट किए। १४०० ट्यूबवेल बन गये और रिकार्ड हो गया। पहला रिकार्ड हुआ। जितने किये थे, उससे भी ४ अधिक बन गये। इसी तरह से देहरादून में

[श्री बलबीर सिंह--]

पिछली साल १० ट्यूबवेल शायद मंजूर हुए । १९७६-७७ में दो मुश्किल से बने। आखिर तक खिसकते रहे । लेकिन मैंने सारे इंजीनियर्स को हिदायत दी तो देहरादून में दस के दसों बन गये हैं । इसी तरह से सारे प्रदेश में ये बन चुके हैं ।

पिछले सालों तो ऐसा हुआ, मान्यवर, कि १९७५-७६ में केवल १५७ बने। सारी लिस्ट नहीं पढ़ना चाहता । १९७६-७७ में भी ११२१ ही बन पाये हैं । इस वक्त जैसा कि मैंने निवेदन किया, १४०० ट्यूबवेल अब तक वहां बन चुके हैं, ड्रिल हो चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकार्ड है ।

मान्यवर, ट्यूबवेल के बारे में चारों तरफ से शिकायतें आती हैं । एक तो पुर्जों के बारे में शिकायत है । नाली भी नही बन पायी । टूटीफूटी रहती है । बहुत सी दिक्कतें हैं ।

जहां तक पुर्जों का सवाल है, उनके लिए निर्णय शासन ने किया है कि वर्कशाप बढ़ाये जायं । उसमें कार्यवाही जारी है । एक और भी निर्णय लिया है । उसके बारे में मैंने सदन में बताया था । वह खरीदारी के संबंध में है । खरीदारी के सम्बन्ध में सोचना है कि वह किससे खरीदें । सन् १९७० में जब यह विभाग मेरे पास था, तो फैसला लिया था कि जो मूल निर्माता हैं, ये पार्ट्स भी उनसे लिए जायं । बात अपनी जगह पर सही है । लेकिन इस पर फैसला नहीं हुआ । उसके क्या कारण थे, उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन वह फैसला कार्यान्वित नहीं हुआ और पुर्जे खरीदे जाते रहे और मुमकिन है भ्रष्टाचार भी बढ़ा हो उससे । लेकिन साथ ही साथ यह भी देखा कि जब रेट्स मंगा कर देखें तो पता चला कि वे तो नीचे थे । मूल निर्माता के पार्ट्स इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वे अंधाधुंध पैसा मांगते हैं और देना पड़ता है । अगर अन्य लोगों से मंगायें, जो रिकगनाइज्ड नहीं हैं, तो वे खराब चीजें देते हैं । दो-चार दिन चलता है । इसलिए मान्यवर, फैसला लिया सरकार ने कि इस मामले को अकेले तय नहीं करेंगे और यह घोषणा कर दिया गया है । इस समय लिस्ट मेरे पास नहीं है । जो बड़ा फर्म है जहां तक मुझे याद है एक छोटे से पुर्जे के लिए १२७ रुपये चार्ज करती है, जो कि मुश्किल से बीस-बाइस रुपये में आ सकता है । इससे मैंने यह महसूस किया कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है और क्यों न इसमें दूसरे लोगों को भी शामिल किया जाय । इसमें हमारे विधायकगण भी शामिल हों और जो भी तरीका हो, दो-चार-पांच-दस आदमियों की कमेटी बना दी जाय और इसके बारे में एक नीति बना लें जिसके अनुसार खरीद की जाय ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रह जाय । हमने इस सम्बन्ध में फैसला लिया है । मान्यवर, मैं ट्यूबवेल के सम्बन्ध में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता था क्योंकि समय की कमी है । अब मैं कुछ बाढ़ के बारे में जिक्र करूंगा ।

श्री अधिष्ठाता--

अभी तो आपको उत्तर देने का भी मौका मिलेगा । इस समय आप जल्दी समाप्त कर दें तो ठीक होगा ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मंत्री जी ने ट्यूबवेल की बात उठाई है । उस पर पूंजीगत व्यय कितना हुआ और पूंजीगत व्यय नहर पर कितना हुआ, इसकी व्याख्या कर दें ।

श्री अधिष्ठाता--

आपको पुस्तिका तो मिल चुकी है ।

श्री बलबीर सिंह--

मान्यवर, मिश्रा जी तो बहुत सीनियर आदमी हैं । और इन्हें रूल बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझता । लेकिन परम्परा तो यही रही है कि जब मैं खड़ा हूं तो उन्हें इस तरह बीच में नहीं बोलना चाहिए । बाकी जो आपका सवाल होगा उसका जवाब जरूर दिया जायगा ।

श्री अधिष्ठाता--

जब आप उत्तर दें तो बता दें ।

श्री बलबीर सिंह--

मैं बाढ़ के बारे में निवेदन कर रहा था। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि बाढ़ और कटान दो बहुत बड़ी समस्या इस प्रदेश की हैं । बाढ़ और कटान से हर साल हमारे प्रदेश में लगभग ७० करोड़ रुपये की क्षति पहुंचती है और अगर कहीं भीषण बाढ़ आई तो दो सौ करोड़ रु० की क्षति होती है । इतनी भयंकर समस्या है । लेकिन इस तरफ सरकार का पूरा ध्यान है और सन् ७७-७८ में बाढ़ नियंत्रण कार्य से लिए १० करोड़ रुपया था लेकिन १० करोड़ की जगह साढ़े १४ करोड़ खर्च हुआ है। अगले साल के लिए जो करेन्ट इयर है, जिसके लिए हम मांग रहे हैं १४ करोड़ रुपया इसके लिए स्वीकृत है । अगर और जरूरत पड़ती है तो सेन्ट्रल असिसटेन्ट से और रुपया लिया जाता है । मान्यवर, १-४-७७ से १५-४-७८ तक बाढ़ नियंत्रण परिषद् ने २३.६५ करोड़ रुपये की ५२ योजनाएं स्वीकृत की हैं ।

बाढ़ के सम्बन्ध में मान्यवर, एक थोड़ी सी बात और निवेदन करना चाहूंगा बाढ़ का प्रकोप यों तो काफी जिलों में पड़ता है लेकिन जिन जिलों में ज्यादा नुकसान होता है वे गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मथुरा और आगरा तथा अलीगढ़ के जिले हैं । मान्यवर, पिछले साल गोरखपुर, देवरिय और बलिया जिलों के लिए १७६.९४ करोड़ रु० दिये गये थे, बाढ़ को रोकने के लिए और इस साल २८७.३० करोड़ रुपया दिया गया है । इसी तरह से मथुरा, आगरा, अलीगढ़ के लिए ३६.२८ करोड़ रुपया था वह ७८-७९ में ३०७.०० करोड़ हो गया (गोरखपुर) देवरिया तथा बलिया के लिए जो १७६.९४ करोड़ था वह अब ७८-७९ में २० करोड़ हो गया । इस तरह से इस साल बाढ़ को रोकने के लिए ज्यादा तेजी से काम किया जायगा और उस पैसे को उसमें लगाया जायगा । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मन्जूर साहब, आप अकेले ही सदन में हैं लेकिन शान्ति से नहीं बैठ सकते ।

श्री बलबीर सिंह--

मुझे यह परेशान दिखाई पड़ रहे हैं । उनकी समझ में शायद कुछ आ नहीं रहा है । अन्धे के आगे रोइये और अपने नैन खोइये ।

श्री श्यामधर मिश्र--

आपको भी कह दिया ।

श्री अधिष्ठाता--

हमको नहीं कहा, समझने वाले सब समझ गये ।

श्री बलबीर सिंह--

जिनको अक्ल है वह समझते हैं, यह ठीक है । पिछली दफा मैंने कुछ कमिटमेंट्स किए थे जैसे ट्यूबवेल्स में नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स की बात थी । इससे किसानों को बहुत परेशानी होती थी, वे सरकारी ट्यूबवेल के पास २०० मीटर की हद में अपना ट्यूबवेल नहीं बना सकते थे । उसके बारे में आदेश हो गये थे, मेरे पास जी० ओ० है, उसे मैंने विधायकों के पास भी भिजवा दिया था अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ।

मैंने यह भी अनुभव किया था कि जनता की जो शिकायतें होती हैं उनको सुनने के लिए जिलों अथवा खंडों में कोई अफसर नहीं होता है । नतीजा यह होता था कि वह लोग लखनऊ भागते थे या मिनिस्टरों के पीछे लगते थे । इसलिए मैंने सेवा कक्ष खोलने का वायदा किया था और वह वायदा इस हद तक पूरा हो गया है कि ५४ मंडलों में इस तरह के कक्ष खोल दिए गए हैं जो काम कर रहे हैं । मैंने भी वायदा किया था कि सिंचाई इन्दराज ठीक-ठीक नहीं होती है उसकी व्यवस्था की जायगी । मैंने सिंचाई की किताबों को छपवा दिया है । ६० लाख नहर की किताबें तथा १९ लाख नलकूपों की किताबें बांट दी गयी हैं और २५ लाख अभी छप रही हैं, छपने के बाद बांट दी जायेगी ।

पिछले वर्ष मैंने यह भी कहा था कि राजकीय नलकूपों की सिंचाई दरों को कम किया जायगा । जैसा मैंने पहले कहा था यह सब तय हो चुका है । अब सिंचाई दर रबी में ६ हजार गैलन प्रति रुपया तथा १६ हजार गैलन खरीफ में लिया जायगा । इस सम्बन्ध में सर्कुलर भी भेज दिया गया है । गूल कर की भी शिकायत थी । मैंने इस सम्बन्ध में भी जी० ओ० भिजवा दिया है कि ट्यूबवेल की नाली को प्राइवेट ट्यूबवेल वाले इस्तेमाल कर सकते हैं । अगर वह खाली है तो कोई कर नहीं लिया जायगा, न जमीन पर कर लिया जायगा जिस पर वह सिंचाई करते हैं । मान्यवर, पहले दोनों का लिया जाता था अब गूल का भी पैसा नहीं लिया जाता है और जमीन की भराई का भी नहीं लिया जाता है । किसी तरह का पैसा अब नहीं लिया जाता है । अब खत्म कर दिया है और अब इस तरह का कोई कर नहीं लिया जायेगा । अब ट्यूब वेल और गूल दोनों के एक रेट पड़ते हैं दोनों के कैलकुलेट करके देखा जा सकता है एक ही पड़ता है ।

मान्यवर, मैंने उस वक्त भी वायदा किया था विजिलेंस के सम्बन्ध में । बड़ी परेशानी है, शिकायतें आती हैं, इतने दोष लगाये जाते हैं इंजीनियर्स और दूसरे कर्मचारियों के खिलाफ । तो मान्यवर, उन्हें कहां भेजूं । भेजता हूं तो दरवाजा बन्द है क्योंकि विजिलेंस वालों के पास काम बहुत है । ८-१० साल के केस पड़े हुए हैं । मेरे कहने के बावजूद वह नहीं आते हैं । न हम ऐसे लोगों को घर भेज सकते हैं नौकरी डिस्मिस करके और न उनको कनफर्म कर पाते हैं और न पदोन्नति दे पाते हैं । तो ऐसी हालत में पड़े हुए हैं । मान्यवर, टी० ए० सी० में भी मैंने भेजा उन्होंने भी कहा हमारे यहां पहले कच्ची पेशगी होगी कि यह इनटरटेनेबुल है या नहीं । जब कोई इमिडियेट केस आये, किसी माननीय सदस्य ने

या किसी व्यक्ति ने आकर मुझसे कहा कि हमने इतने सीमेंट के कट्टे पकड़वाने हैं तो फौरन भिजवाइये किसी को इनक्वायरी के लिए। विभागीय अधिकारियों पर विश्वास लोगों को नहीं है तो हम विजिलेंस वालों को या टी० ए० सी० वालों को भेजने की कोशिश करते हैं। लेकिन तीन महीने बाद फिर वही शिकायत आती है कि वहां कोई गया ही नहीं। तो मेरे सामने बड़ी परेशानी है, कोई भी मंत्री क्यों न हो उनके सामने यह सवाल आता है। ऐसा होना चाहिये कि कोई ऐसा सेल हो जो उनकी मर्जी के मुताबिक काम करे सिंचाई विभाग में वह काम देखें और भ्रष्टाचार जाकर पकड़े। मैंने वायदा किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि कोई इस तरह का सेल सिंचाई विभाग में हो। उसकी बातें चल रही हैं मैं आशा करता हूं कि उसमें कामयाबी मिल सकेगी। यह आदेश भी कर दिये गये हैं कि जो अधिकारी दौरे पर नहीं जाते थे वह दौरे पर जायेंगे।

इसके साथ-साथ इंस्पेक्शन हाउस ठीक न होने की शिकायत थी वह भी ठीक करा दिए हैं। इसके साथ ही मैं चाहूंगा जो शिकायत होती है कि बहुत भ्रष्टाचार है चाहे ट्यूबवेल में हो या दूसरी जगह। उसके लिए आप लोगों के सुझाव आयें कि भ्रष्टाचार कैसे रोके। एक तो सवाल यह है कि किसी को मालूम नहीं है कि भ्रष्टाचार कहां से शुरू होता है और कैसे आगे बढ़ता चला जाता है और कैसे-कैसे वह फैलता है। जब तक यह जानकारी नहीं है कि बुखार कैसा है मच्छर का काटा या कैसा है तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि उसका इलाज क्या है। तो इस सम्बन्ध में मैं आपके सुझावों का आदर करूंगा। मैंने सोचा है कि इसके लिए हम एक कमीशन बना दें हाई पावर कमीशन। वह सब को पकड़ेगा और बता देगा। मंत्री को भी बता देगा उसे कोई डर लगने की बात नहीं है। मैं यह बात बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं कि इस तरह का कमीशन बैठाया जाय, जो इसकी जांच करे और जांच करके बताये कि क्या तरीके हैं। मान्यवर, इस सन्दर्भ में मैं एक और भी आपसे सलाह लेना चाहता हूं। जो मैंने अनुभव किया है।

एक सदस्य--

मन्जूर अहमद जी से सलाह ले लीजिए।

श्री बलबीर सिंह--

वह तो अपने आदमी हैं और हमारे साथ हैं। रात दिन मिलते जुलते रहते हैं। उनसे डरने की कोई बात नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। मेरे जो साथी उपस्थित हैं, उनके सामने कहना चाहता हूं उन पर आप भी विचार कर लें, अच्छा लगे तो सहयोग दें। मैं सबसे बड़ी परेशानी इन १० महीनों की मिनिस्ट्री में देख रहा हूं। ट्रांसफर का बवाल। यह हमें रोकना पड़ेगा। कोई अधिकारी ऊदल जी के पास पहुंचेगा, वह हमारे पास उसके ट्रांसफर के मामले को लेकर सिफारिश लाएंगे। हमने कह दिया कि आप हमारी पार्टी के नहीं हैं, आपसे क्या मतलब, आप तो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। यह तो मैं मिसाल दे रहा हूं, इसे ऊदल जी सही में न

[श्री बलवीर सिंह—]

समझ लें। अब कोई रियासत साहब के पास पहुंचेगा, वह उनके साथ मेरे पास आयेंगे। लोग मेरे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, मेरे वोटर के पास और मेरे सपोर्टर के पास पहुंच जाते हैं। तीन महीने तक जब मैंने जबरदस्त सख्ती बरती तो यह कुछ रुका, लेकिन फिर वही बात। मुझे डर लगता रहा कि कहीं यह नाराज न हो जायं, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि कोई नाराज हो जाए, कोई चिन्ता नहीं है। मैं यहां ऐलान करता हूं ...।

श्री ऊदल—

ऐलान न कीजिए, थोड़ा तो प्रजातन्त्र में चलेगा ही।

श्री बलवीर सिंह—

इसमें पेनाल्टी रखना ही होगा, ऐडवर्स एन्ट्री होगी, जो भी पाए जाएंगे हमने उनको इजाजत दी है चीफ इंजीनियर के पास जाइये, अपना प्रतिवेदन भेज दीजिए, एडवांस कापी मेरे पास भेज दीजिए। आप मेरे पास अपना कष्ट रख सकते है, उनके पास भी भेज सकते हैं। मेडिकल सार्टिफिकेट होगा तो उसे हम देखे लेंगे। लेकिन ट्रांसफर, प्रमोशन और पोस्टिंग के मामले में सिफारिश प्रेशर कुछ चल नहीं पायेगा। राजनीतिक प्रेशर ही नही बाहर का, पार्टी का प्रेशर भी चलता है। तो मैं घोषणा करता हूं, आपको मना लूंगा यदि आप नाराज होंगे, लेकिन जब यह सही नहीं होगा। किसी की शिकायत है तो मैं मना नहीं करूंगा। यह कहना कि फेवर कीजिए मेरा इसमे यही मत है जो इस प्रकार का प्रेशर डलवायेंगे वह सजा अवश्य पाएंगे।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी, अब आप संक्षिप्त करें, आपको इससे सदस्यों को सुनने का कम मौका मिलेगा।

श्री बलवीर सिंह—

ठीक है, यों अभी कहना तो बहुत था। इन शब्दों के साथ मैं यह मांग आप और सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसे स्वीकार करेंगे।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—६१ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

दूसरा, अनुदान संख्या—६२ की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

तीसरा, अनुदान संख्या—८५ की संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौथा, अनुदान संख्या--८६ की सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार के साथ अपने विभाग के बारे में सब कुछ माननीय सदन के सामने रखा और मुझे इस बात की खुशी भी है कि माननीय मंत्री जी पिछले साल से लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि अपने विभाग के ऊपर सम्पूर्ण रूप से कंट्रोल कर सकें। परन्तु खेद है कि माननीय मंत्री जी के सीधेपन, भलमनसाहत और शराफत का फायदा माननीय मंत्री जी का पूरा विभाग उठा रहा है और उसकी मैं अब एक-एक बात लूंगा।

सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखा जाय तो पिछले साल का और इस साल का मैंने मुकाबला किया है दोनों में क्या अन्तर है। देखने में यह आया कि जो मामले अधिकारियों से सम्बन्धित हैं, उनमें तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई है। लेकिन इस साल और पिछले साल का दोनों सालों का एस्टेब्लिसमेंट का रेकार्ड मौजूद है मैंने पिछले साल भी यह चीज उठाई थी, इस साल और विभागों में नहीं, परन्तु सिंचाई विभाग में आज भी ८०-१४० रुपये, ९०-१४० रु०, ६०-८० रुपये वेतन के कर्मचारी हैं। यह पिछले साल की कापी है और यह मेरे पास इस साल की है, दोनों में बदस्तूर उसी तरीके से लिखा गया है, किसी पद का भी आप देखें, निकाल कर तो कहेंगे कि पुराना वेतनमान है और विभागों की ग्रान्ट्स सब लोगों ने प्रस्तुत की, किसी विभाग में इस तरह का मामला अंकित नहीं है, जैसा कि इरीगेशन विभाग के अन्तर्गत है। बजट बनाने के वक्त यह जो लगातार बढ़ता गया है, वहां भी ८० रुपये तनख्वाहें दिखायी गयी हैं। उन्होंने लगा दिया है कि पुराना वेतनमान है। इस वक्त जो तनख्वाह दे रहे हैं, जिसकी स्वीकृति ले रहे हैं, उस विभाग के जैसे चीफ इंजीनियर हैं, सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर हैं, असिस्टेन्ट इंजीनियर हैं उनकी तनख्वाहें आयी हैं, तो छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहों की तरफ भी इशारा होना चाहिए था, वह नहीं है।

दूसरे परफार्मेंस क्या थी, पिछले साल और इस साल क्या है? इन दोनों का मुकाबला करें, इतना समय आपके विभाग के लोग देंगे नहीं, पता नहीं है कि पिछले ८-१० महीनों में क्या तरक्की की है। जो नकल उसमें है, वही इसमें कर दी गई है। यह कह दिया गया कि यह परफार्मेंस है। क्यों है, कहां है कुछ स्पष्ट नहीं है। यह इस प्रदेश की बदकिस्मती है कि जो प्रदेश के इंजीनियर इन-चीफ कहलाए जाते हैं, ऐसे मिले हुए हैं जिनके बारे में अलग-अलग जिक्र किया गया है, मेरे पास कई जगह के रेकार्ड्स, रिपोर्ट्स हैं, जिसमें एक जगह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि श्री हरिकृष्ण चीफ इंजीनियर बनने के काबिल नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता--

सुनिये, रियासत साहब, नाम न बोलें।

[श्री रियासत हुसैन--]

में रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। अपने से नहीं कह रहा हूं। आगे में नहीं कहूंगा। क्या है यह? क्योंकि चीफ साहब के बारे में जो माताटीला डैम पर लाखों का गोलमाल हुआ, वह रेकार्ड मौजूद है। जब नरोरा में थे तो करोड़ों का सामान गायब हो गया और जब गन्डक में थे, हजारों बोरी सीमेन्ट का पता नहीं चला। देहरादून में प्रापर्टी बना ली, वह तो बन ही जाती है। जिस काम के लिए है, १५ फरवरी, १९७८ तक का रिकार्ड देखें। ३ लाख १४ हजार हेक्टयर आबपाशी का एरिया घट गया है। पिछले वर्ष ट्यूबवेल्स से आबपाशी जो हुई थी, वह ६.५७ लाख हेक्टयर की थी और इनके समय में ५.८७ रह गई और जो नहरों से आबपासी होती थी, वह २१.४४ से घटकर २०.५७ रह गयी। तो इस प्रकार से ३.१४ लाख हेक्टयर कम आबपाशी हुई।

श्री अधिष्ठाता--

यह पूरे उत्तर प्रदेश की सिंचाई का आंकड़ा है।

श्री रियासत हुसैन--

जी हां, अब आप मीन्स आफ इर्रीगेशन को देखें, साधनों को देखें। मैं कहता हूं कि साधन बढ़े हैं, नहरें भी बनी और स्टाफ भी बढ़ा। नये-नये डिवीजन खुल गये, इंजीनियर बढ़ गए। नलकूप आपरेटर पिछले साल के मुकाबले में दो-ढाई हजार और बढ़ गये, लेकिन जो असली लक्ष्य है, वह एरिया घट गया। यह चीफ इंजीनियर साहब की वजह से हुई है। अब इसको और देखें। स्टाफ के अन्दर जो असंतोष था, आज तक आप अपने सेक्रेट्री का एप्वाइन्टमेन्ट नहीं कर सके। कोई जूनियर इंजीनियर नहीं मालूम किन कारणों से स्पेशल सेक्रेटरी हो गय और सीनियर इंजीनियर डिपार्टमेन्ट मे रह गया। छोटा हुक्म देने वाला बन गया और सीनियर हुकुम पाने वाला बन गया। आप सान्याल कमेटी की रिकमेन्डेशन को पूरी नहीं कर सके। आपका ६२-६३ में जी० ओ० जारी हुआ कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जो कनफर्म्ड हैं, उनको रेगुलराइज कर दिया जायेगा, यह असिस्टेन्ट इंजीनियर के लिए था। डेट आफ एप्वाइन्टमेन्ट आप लेंगे, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ गुजरात सरकार के खिलाफ। पटवर्धन वरसेस स्टेट आफ गुजरात और यह तय हुआ कि जिस दिन से एप्वाइन्टमेन्ट होंगे, उसी दिन से सीनियारिटी लाई जायेगी। इसकी गवर्नमेन्ट को इनफारमेशन भी है, लेकिन आज तक उसके अनुसार काम नहीं किया गया। चीफ साहब कह देते हैं कि हम नियुक्ति इन्टरव्यू से लेंगे और क्रीम लेंगे। उनको एक वर्ड याद हो गया, क्रीम। हर आदमी के सामने आ जाता है कि चीफ इन्जीनियर का क्रीम का मापदन्ड क्या होगा। क्रीम का मापदन्ड क्या होगा, इसलिए ढाई हजार इंजीनियर जो इससे एफेक्टेड हो रहे हैं, क्रीम की डिफनीशन नहीं मलूम हो रही है कि वह क्या है। इसलिए, श्रीमन्, इस चीज में भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब विभाग में इस तरीके की चीजें होंगी, तो कैसे काम होगा। एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के बारे में चीफ टेक्नीकल एक्जामिनर की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया है, उनका नाम नहीं लूंगा, चूंकि आपने मना कर दिया है, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं बता दूं।

श्री अधिष्ठाता--

अधिशासी अभियन्ता जिस जिले के हों या क्षेत्र के हों, उसको बता दीजिए।

श्री रियासत हुसैन--

श्री एल० एन० गुप्ता हैं। उसमें उन्होंने उनके बारे में दो जगहों पर विथर कट फाइंडिंग दी हैं कि उन्होंने अबदुल हुसैन, ठेकेदार को ८ हजार रुपया रेत के हिसाब से ज्यादा दिया, यह उनकी फाइंडिंग हैं और ७५ हजार रुपया बजरी के सिलसिले में। इस प्रकार से ८५ हजार रुपया अधिक पेमेन्ट हुआ, यह चीफ टेक्निकल एक्जामिनर की फाइंडिंग हो गई थी, लेकिन उस एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को बिना सजा दिए सैर करने के लिए फारेन भेज दिया गया और उसको "नो ओब्जेक्शन" या "क्लियरेन्स" सर्टिफिकेट भी दे दिया एडीशनल चीफ इंजीनियर ने। अब वह फारेन चला गया है। जब ये चीजें सामने आती हैं, तो नतीजा क्या होता है? आज जिनके आधार पर पूरे प्रदेश का इरीगेशन निर्भर है, सिंचाई का दारोमदार है, उसमें असन्तोष बढ़ रहा है, तो उस असन्तोष को समाप्त करने के लिए माननीय मन्त्री जी को जाती तौर पर कुछ व्यवस्था करना चाहिए।

अब आप देखिए कि विभाग में करप्शन की क्या हालत है। अलग-अलग बताना तो बेकार है। ये पुस्तकायें जो विभाग के द्वारा मुझे मिली हैं। इनमें मैंने २७ केसेज को देखा है। इसमें आपके विभाग से सम्बन्धित वर्ष १९७५-७९ और १९७७ तक के मामले अंकित हैं २९। जो २७ केसेज हैं, उनमें १ करोड़ २९ लाख ८३ हजार रुपयों के गोलमाल की बात कही गयी है और जिसके बारे में रेत का मामला चला, उनको आपने बाहर भेज दिया है। इसमें एक करोड़ रुपये का घोटाला है। शारदा सहायक से वह मुताल्लिक है और इन्हीं सारी चीजों की बदौलत होता है कि प्रोजेक्ट्स की कास्ट कहां से कहां पहुंच जाती है। शारदा सहायक का प्रोजेक्ट ३०० करोड़ तक पहुंच गया है, जो पहले ८२ में खत्म होना था, वह अब ८६ में पूरा होगा और जिसका ९९ करोड़ रुपये का अनुमान था, वह अब ३५० करोड़ रुपये पर पहुंचेगा। तो जो रुपया यह सदन आपके विभाग को देता कोई उसका अन्त भी होगा?

मान्यवर, गोमती एक्वीडक्ट के लिए ओरिजनल ७ करोड़ रुपये की प्लान थी, १९७४-७५ में और अब उस पर १४ करोड़ का व्यय हो गया। यानी डबल हो गया है ताज्जुब की बात तो यह है कि उसकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल नहीं ली गई। इसी तरीके से न मालूम पूरे मुहकमें में और कितनी चीजें हो रही हैं। मैं जानता हूं कि आप चाहते हैं कि आपके विभाग में यह मसला है कि भ्रष्टाचार कैसे रुके? आपने माननीय सदन में भी कहा कि मैं सब की मदद चाहता हूं ताकि भ्रष्टाचार रुके। क्या तरकीब उसमें हो? उसमें यह जरूरी है कि अगर माननीय सदस्य चाहें कि करप्शन रुक जाय, तो रुकने के बात तो नहीं कहता, लेकिन ५० फीसदी कम हो सकता है। अगर हम अपने रोजाना के तिथासी कामों में एक अपना कर्तव्य समझकर यह भी जोड़ लें कि क्षेत्र के कंस्ट्रक्टिव वर्क्स वह चाहे किसी भी डिपार्टमेन्ट के हों--चाहे इरीगेशन के या पी० डब्ल्यू० डी० के--उनको १५ दिन में कम से कम एक मर्तबा आंखों निगाह से देख लिया करें। मिश्रा जी ने कहा कि कौन सुनेगा। सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो स्पेसिफिकेशन

[श्री रियासत हुसैन]

देते हैं, रेते का, सीमेन्ट का, उसपर कोई इंजीनियर, ठेकेदार काम कर ले या करा ले, तो वह असम्भव है, क्योंकि उसी में सब बाबू और इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक के रेशयों का हिस्सा करना पड़ता है। लिहाजा यह उम्मीद करना कि एवन काम करेगा ठेकेदार, यह असम्भव बात है। लेकिन मेरा यह तो कहना है कि एवन न करो, खराब तो मत करो। ४-१ का स्पेसिफिकेशन देते हैं, अगर ठेकेदार ६-१ का भी काम करा दें, तो वह काम खराब नहीं होगा। वह एक बोरी ज्यादा लेता होती आपके कर्मचारियों, अधिकारियों का हिस्से का भी इन्तजाम हो जायेगा और एक बोरी अगली में उसका अनड्यू प्राफिट भी शामिल हो जायगा। लेकिन वह १-६ पर तो स्टिक हों जाइये? आप फील्ड पर जाकर देखें, तो अव्वल ईंट की जगह चिटखा ओबशी और लाल पेटी तक भी लग दें तो कोई प्रश्न नहीं है। रेते में कोसी का रेता माना जाता है, स्पेसिफिकेशन में, लेकिन कोसी तक तकलफ करने की जरूरत नहीं है, जहां रास्ते में कोई कहीं रेता मिल गया तो वही ले लिया और नदी में से ढेला उठा लिया और अगर पाइप लाइन हुई तो वह मिट्टी से दब गयी, फिर किसी रेते की जरूरत नहीं है। पेमेन्ट जब चेक का हो जायगा, तो कौन देखेगा? तो उस चीज को अगर हम आप जब देखने जायें तो शायद आजकल इस समाज के अन्दर वह ठेकेदार किसी और चीज से न डरें, लेकिन पेमेन्ट स्टाप न हो जाय, इससे डरते हैं और उसके लिए हम और आप मददगार हो सकते हैं कि अगर टाइमली देख लिया करें तो इतनी दहशत रहेगी कि पेमेन्ट एम० एल० ए० साहब स्टाप करा सकते हैं। लेकिन मनोवृत्ति कैसे बदले? आज आपके विभाग के अन्दर असिस्टेन्ट इंजीनियर के पास फिएट कारें, फ्रिज, टेलिविजन--सारी चीजें मौजूद हैं। क्या कभी इसपर गौर किया है कि इंजीनियर ही सबसे हाई स्टैन्डर्ड आफ लिविंग कैसे मेन्टेन करते हैं--जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक जो भी हों। क्या दुनियां भर की आमदनी उन्हीं की है, सब से ज्यादा? इतनी तो तनख्वाह है नहीं। तो बेसिकली सोचने की जरूरत है तब शायद कंट्रोल कुछ कर सकें।

पिछले साल भी मैंने इस किस्म की बातों की तरफ ध्यान दिलाया था और कोयले में लाखों रुपये का घपला हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान दिलाया था और एक आपकी जो साइफन बनी है ११८ किलोमीटर पर और एक बनी है ११२ पर दो पुल बने है पिछले साल मैंने कहा था ....।

श्री अधिष्ठाता--

आपके दो मिनट हैं।

श्री रियासत हुसैन--

जरा सुनने की बात है, ५ मिनट में खत्म करूंगा। मुझे सुझाव भी देने हैं। तो ११८ किलोमीटर पर जो पोषक नहर पर शारदा सहायक की है, उसपर पुल बना। एक ही स्पेसिफिकेशन ११.३० टन स्टील लगा और उसी ने ११२ किलोमीटर पर जो बनाया, उसमें १३६० टन लगा। एक ही नमूना और सब कुछ एक है, २ अलग-अलग ने बनाये हैं और यह इतना अन्तर है, दोनों में। इसको मन्त्री जी पूरी तरह से इंक्वायरी करवा लें।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें।

श्री रियासत हुसैन--

१५ हजार आपके ट्यूबवेल हैं और आपरेटर केवल १२,२३२ ही हैं। हर जगह ट्रेन्ड ट्यूबवेल आपरेटर मौजूद हैं, पर आपने उनकी नियुक्तियां नहीं की हैं। आप क्यों नहीं उनके एप्वाइन्टमेन्ट्स करते हैं ?

अब मैं कुछ सुझाव दूंगा। शेष बाद में कह दूंगा। इस्टीमेट्स आपके सब सर्किल में ही बनने चाहिए। प्लान डिस्ट्रिक्ट वाइज होने चाहिए। कन्ट्रोलर के बारे में भी निर्णय जल्दी ले लें तो अच्छा है। हर डिवीजन में एक जीप का भी इन्तजाम होना चाहिए। आपके मेकेनिकल और सिविल अलग-अलग विभाग हैं। सिविल में आपने जितने आदमी बढ़ाये हैं। उसी अनुपात में मेकेनिकल में नहीं बढ़ाये हैं। वहां भी उसी रेशियो में बढ़ाइये। शेष बातें मैं फिर कहूंगा।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

अधिष्ठाता महोदय, आपकी अध्यक्षता में मैं सबसे पहले बोल रहा हूं..

श्री अधिष्ठाता--

यह गलत कह रहे हैं आप। कई बार आप बोल चुके हैं। गलत से शुरू मत कीजिए।

श्री मैनेजर सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने अपने मधुर भाषण से इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का मन जीत लिया है। मैं माननीय मन्त्री जी को इसके लिए भी बधाई देना चाहता हूं, जो उन्होंने यह घोषणा की है कि जो अधिकारी किसी राजनैतिक दबाव आदि में आकर काम करेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। मैं समझता हूं इससे, आपके विभाग में भ्रष्टाचार और बढ़ जायेगा। इसके साथ ही साथ आपको यह घोषणा करनी चाहिये थी कि स्थानान्तरण के मामले में हम स्पष्ट नियम बनायेंगे और किसी भी व्यक्ति को एक जगह ३ वर्ष या अधिक से अधिक ५ वर्षों से अधिक नहीं रहने दिया जायेगा। इस समय से पूर्व किसी का ट्रान्सफर नहीं होगा और इसके बाद रोका नहीं जायेगा। जब आप एक निश्चित अवधि रख देंगे, तो काफी भ्रष्टाचार दूर हो जायेगा। फिर हर एक को एक जगह एक वर्ष या ३ वर्ष अवश्य रखा जाय। अधिकारी मनमाने तरीके से ट्रान्सफर न कर सकें।

मान्यवर, आज होता क्या है ? आपके अतिरिक्त अभियन्ता जूनियर इंजीनियर्स का ट्रान्सफर का कार्य करते हैं। उनके यहां काफी भ्रष्टाचार है। राजनैतिक दबाव से जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे कहीं ज्यादा उनके यहां हो रहा है। लखनऊ जिला सूखा घोषित हो गया, शायद उनका दिमाग ठीक हो। ७ जिले और उसमें जोड़ दिए हैं। मैं चाहता हूं कि मुख्य अभियन्ता का दिमाग कुछ ठीक काम करे और वह अपना भ्रष्टाचार कम करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजर सिंह]

इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि हमारे जिले के जूनियर अभियन्ता हटाये गये। यह निश्चय था कि अपने जिले में कोई जूनियर अभियन्ता नहीं रहेगा। रिश्वत लेकर मुख्य अभियन्ता ने बलिया के ही निवासी, जूनियर इंजीनियर को फिर बलिया जिले में भेज दिया। अगर इस पर अंकुश नहीं लगायेंगे, केवल पोलिटिकल प्रेशर पर दण्ड लगाने से काम नहीं चलेगा। सिंचाई विभाग के सचिव का पद रिक्त है। यह हमारे सिंचाई विभाग के लिए कलंक की बात है। आप जल्द से जल्द किसी आई० ए० एस० अफसर को उस पद पर बैठावें। हमारे यहां मुख्य अभियन्ता जो वरिष्ठ हैं, उनको सचिव के पद पर बैठावें। जो स्पेशल सचिव हैं, उनको किसी बोर्ड में भेज दें। ऐसे अकर्मण्य और भोंदा व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। आप योग्य व्यक्तियों को इस पद पर बैठावें ताकि जिन योजनाओं की घोषणा आपने की है उनका सही रूप में और सही समय पर कार्यान्वयन हो सके। बलिया के अधीक्षण अभियंता का स्थान रिक्त है, उस पद पर अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। मैंने माननीय मन्त्री जी का ध्यान तथा सचिव का भी ध्यान इस ओर दिलाया था, किन्तु आज तक नियुक्ति नहीं हुई। इस विभाग पर कोई अंकुश नहीं वहां पर कई महीने से काम चल रहा है। एक पागल अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर से बलिया को कभी-कभी भेज दिया जाता है, जबकि वहां पर अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता का कार्यभार सम्भाल रहे हैं। यदि आप विभाग का काम ठीक प्रकार से करना चाहते हैं, तो कल ही आप अधीक्षण अभियन्ता की नियुक्ति करें। आप गलत बयानी करते हैं। आप कहते हैं कि नियुक्ति हो गयी है। आप देखें कि कोई नियुक्ति नहीं की गयी है। जब विभाग पर अंकुश नहीं रहेगा, तो काम नहीं चलेगा ?

हमारा जिला घाघरा, टोंस, गंगा आदि नदियों से कटान के कारण विशेष रूप से प्रभावित है। माननीय मन्त्री जी ने अभी सुनाया कि गत वर्ष गोरखपुर, बलिया आदि पूरब में १७६.९ का आवंटन किया गया था और इस वर्ष २२७.२ का आवंटन किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि गत वर्ष बलिया को जो धन आवंटित था उससे कम धन इस वर्ष प्रस्तावित है, भले बलिया के अतिरिक्त गोरखपुर आदि जिलों को अधिक दिया गया हो। यदि अधिक बढ़ोत्तरी हुई है पूरब में तो बलिया के अलावा और कहीं जगह हुई है। उत्तर प्रदेश में जो नदी का पानी इकट्ठा होता है वह सब पानी सभी नदियों का, ये बलिया होकर ही बिहार से बंगाल की खाड़ी में जाता है। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि बाढ़ और कटान से सबसे अधिक पीड़ित बलिया जनपद ही है, उसके लिए विशेष ध्यान देना चाहिए और विशेष योजना बनानी चाहिए। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि कटान के लिए हमारे यहां पिछले साल मझौवा में जो प्रस्तावित योजना थी, उस योजना में अनावश्यक कटौती लखनऊ में बैठ कर अभियंताओं ने कर दिया, जिसके कारण मझौवां में भारी कटान हुआ और सैकड़ों घर कट गये, जिसको माननीय मंत्री जी, आपने स्वयं देखा। इस वर्ष मंत्री जी की घोषणा के बाद भी मझौवां की योजना अभी भी खटाई में पड़ी हुई है। कहा जाता है कि स्वीकृति हो गयी है, लेकिन कोई योजना अभी तक शुरू नहीं हुई है। अभी तक योजना खटाई में पड़ी हुई है। माननीय मंत्री जी नरदरा, जगदीशपुर के कटान का स्वयं निरीक्षण किया था तथा आश्वासन भी दिया था, किन्तु अभी तक वहां सर्वे का काम भी शुरू नहीं हुआ। तुर्तीपार से मांझी, घाघरा तथा कोरनकाडीह से जयप्रकाश नगर तक गंगा के अनेक स्थानों पर कटान है, इसके लिए कुछ व्यापक योजना बननी चाहिए।

मान्यवर, मझौवां में जो लंचिग, प्रेसिंग तथा पिंचिग की योजना बनी थी, वह कामयाब भी हुई थी। तो इसमें छोटी-छोटी ठोकरें बनायीं जायं जिससे फायदा पहुंचे। इस योजना में परिवर्तन किया गया है तो जिस अभियंता ने स्वीकृति दी है उनके खिलाफ अगले साल कार्यवाही करने के लिये तैयार रहें।

दूसरी बात बलिया जिले के बारे में सिंचाई के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। वहां नलकूपों की व्यवस्था की गयी है लेकिन वहां काम ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बलिया जिले में जो नलकूपों का आवंटन हो तो जो सिंचित एरिया है उसके हिसाब से करें।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मैं २ मिनट में समाप्त करता हूं। मान्यवर, तुर्तीपार में लिफ्ट योजना बनी थी वह योजना गलत ढंग से बनी थी। माझी में जहां पानी की नीचाई १०-१२ फीट है वहां पर लिफ्ट कैनाल बनाई जाय और पूर्वी बलिया में सिंचाई की व्यवस्था की जाय। इस क्षेत्र में लिफ्ट योजना, बांस बोरिंग योजना से सिंचाई की व्यवस्था की जाय। अंतिम बात में मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री जी वहां गये थे। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि बहुला संसहाटोला बांध मार्च तक कंपलीट हो जायगा। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर इस काम के लिये जिस तरह के लोग रखे गये हैं, उसको देखते हुये यह बांध जुलाई तक कम्पलीट नहीं हो पायेगा।

बेरिया संसहाटोला बांध है इसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति विशेष के लिये कोई काम अगर आप करेंगे तो इससे आपकी बदनामी होगी। मैंने आपको क्लियरेंस दिया था कि आपके अभियंता तकनीकी दृष्टि से जो मुनासिब समझें वह लाइन वह मानें। लोकनायक जयप्रकाश की उपस्थिति में मैंने मंत्री जी से कहा था कि जो लाइन उचित समझें वह निकालें लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिये, उसके लाभ के लिये लाइन रोक कर किसी व्यक्ति विशेष का लाभ अगर देखेंगे तो इससे आप की बड़ी बदनामी होगी और बड़ा कलंक होगा। जब मैं लोकनायक जयप्रकाश जी के पास जाता हूं तो वह इस बांध के बारे में पूछते हैं कि क्या प्रगति हुई है। तो इस कार्य को उचित ढंग से और शीघ्रता से आप पूरा करें।

*श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला ललितपुर)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बुंदेलखंड की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, बुंदेलखंड में १७ हजार हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश को ५ जोन्स में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी]

बांटा गया है । एक पर्वतीय, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी और बुंदेलखंड । इसमें स्थिति यह है कि योजना से पूर्व पर्वतीय में १६.२ सिंचाई क्षमता थी और आज ११५ हो गयी है । पश्चिमी क्षेत्र में १९२० हजार हेक्टेयर थी और आज ३० हजार ९८ हेक्टेयर हो रही है । ११७८ हेक्टेयर सिंचाई के साधन हैं । मध्यवर्ती में ६०२ हेक्टेयर योजना से पूर्व सिंचाई के साधन थे आज २४२८ हेक्टेयर सिंचाई के साधन हैं । ८२६ हेक्टेयर सिंचाई के साधन दिये गये हैं । पूर्वी क्षेत्र में श्रीमन्, योजना के पूर्व सौ हजार हेक्टेयर में सिंचाई के साधन थे आज २६४१ हजार हेक्टेयर में सिंचाई के साधन हैं ।

पूर्वी क्षेत्र में २५४१ हजार हेक्टेयर सिंचाई के साधन वहां दिये गये । बुन्देलखंड में २४७० हजार हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जबकि योजना के पूर्व २२७ हजार हेक्टेयर में सिंचाई थी और आज ५६२.७८ हजार हेक्टेयर में सिंचाई के साधन है । कुल ३३५ हजार हेक्टेयर में सिंचाई के साधन बढ़ाये गये हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी जिलों में ११७८ हजार हेक्टेयर, मध्य में ८२६ हजार हेक्टेयर, पूर्व में २५४१ और बुन्देलखंड में ३३५ हजार हेक्टेयर योजना के बाद सिंचाई के साधन दिये गये । इसलिये मान्यवर, हम तो पीछे हैं । बुन्देलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जो सारे उत्तर प्रदेश को गल्ला दे सकता है । लड़ाई के जमाने में प्रोक्योरमेन्ट स्कीम में गल्ला उसने दिया है । तो यह भी नहीं है कि वहां से शिकायतें कम हो या जमीन न हो, लोग खेती करना चाहते हैं । लेकिन आज वहां खेती की पैदावार बढ़ाने पर ही उद्योग वहां बढ़ेंगे और रोजगार मिलेंगे । जब तक किसान की क्रयशक्ति नहीं होगी तबतक सब पीछे चला जायेगा । वहां सिंचाई के साधन न होने से बुन्देलखंड हर माने में पीछे चला जाता है । पानी हम मांगते हैं जबकि वहां पानी अथाह भरा पड़ा है । बेतवा का ७५ प्रतिशत पानी बेकार चला जाता है और २५ प्रतिशत पानी ही वहां का २–३ बांधों से रोक पाते हैं । इसलिये इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । आंकड़े जो हमने दिये हैं वह १९७७–७८ के हैं और १९७८–७९ में स्थिति और खराब होती जा रही है । इस साल के आंकड़े इस प्रकार हैं––बुन्देलखंड में ५६२ से ६०५ हजार हेक्टेयर में सिंचाई हो पायेगी । जबकि मध्य में १४२८ से बढ़कर १५५१.६८ हजार हेक्टेयर, पश्चिम में ३०९८ हजार हे० से ३१७४ हजार हे०, पूर्व में २६०० हजार हे० से बढ़कर ३ हजार हे० सिंचाई होगी । इस प्रकार बुन्देलखंड बराबर पीछे है । अतः बुन्देलखंड के लिये आपको सिंचाई के साधन देने के लिये कोई विशेष योजना बनाकर वहां काम करना होगा ।

मान्यवर, राज घाट की बांध की योजना एक अच्छी योजना है, लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा बेतवा बोर्ड बनाकर उसका कार्यान्वयन हो रहा है । पता नहीं वह कब होगा । लेकिन नई योजनायें जो चल रही हैं उसमें सहजाद बांध जो हमारे गांव के पास में है उसको ४ वर्ष हो गये हैं किन्तु अभी तक उसमें आधा काम नहीं हुआ है । उसके न होने का कारण यह है कि प्रदेश के लेवेल पर बैठे अधिकारियों की मनमानी है । वहां सामान और मशीने नहीं हैं । मान्यवर, गाताटीला बांध १९५२ में शुरू हुआ और १९५६ में बन गया लेकिन सहजाद बांध १९७५ में शुरू हुआ किन्तु अभी तक उसमें आधा काम नहीं हुआ है ।

मान्यवर, जहां तक ट्यूबवेल की स्थिति है तो कहा जाता है कि बुन्देलखंड में नहीं लग सकते हैं । हमारे जालौन, हमीरपुर और बांदा में ट्यूबवेल यदि कम लग सकते हैं तो झांसी और ललितपुर में तो लगा ही सकते हैं । इसलिये वहां

इसकी व्यवस्था की जाय । मान्यवर, सूखोन्मुक्त योजना के अन्तर्गत बांध हमीरपुर, जालौन, बांदा, मिर्जापुर और वाराणसी आदि जिले लिये गये हैं लेकिन झांसी और ललितपुर नहीं लिया गया है इसलिये इनको भी शामिल किया जाय । मान्यवर, नलकूप की स्थिति यह है कि पूर्वी क्षेत्र में ६,६१७, पश्चिम में ७,५६८ मध्य में १,४४४, पहाड़ों में १०२ और बुन्देलखंड में २५५ हैं ।

तो हमको न ट्यूबवेल से पानी मिलता है न लिफ्ट इरिगेशन से और न बांध से । लिफ्ट इरिगेशन पम्प से पानी देने की कोई व्यवस्था ललितपुर में नहीं है, झांसी में तो दो-तीन जगह है । तो मेरा निवेदन है कि जो आपकी योजना है उस पर थोड़ा काम तीव्र करें ।

अभी मंत्री जी ने कहा तबादलों के बारे में । हमारे यहां एक सुपरिनटेंडिंग इंजीनियर थे । एक साल में उनको तीन बार तबादला हुआ । एक इंजीनियर थे उनका तबादला हुआ तो उन्होंने कहा अल्मोड़ा नहीं जायेंगे और अभी तक नहीं गये ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पहले ही आप से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मुझे और माननीय सदस्यों से दस-बीस मिनट और टाइम दें तब मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं वरना दस मिनट के अंदर मेरा काम नहीं होने वाला है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप मुझ से यह मत कहिये । आप को कितना टाइम मिलेगा यह मेरा काम है । आप अपना भाषण प्रारम्भ करें । यह मुझ पर पाबन्दी न लगायें कि कितनी देर में काम चलेगा ।

श्री मुकीमुर्रहमान--

मान्यवर, आपने बोलने के लिए समय दिया इसके लिए धन्यवाद । अभी तक रियासत साहब बोल चुके हैं और माननीय सदस्य बोले हैं, आंकड़े पेश करना बेकार है । मैं सदन के अंदर तीन मरतबा इस बात को रख चुका हूं । पहली बात तो यह कि एक जमाना था जब १६ सर्किल थे उत्तर प्रदेश में उस वक्त चीफ इंजीनियर तीन थे आज जब कि सौ से कुछ ज्यादा सर्किल हैं चीफ इंजीनियर है एक । दूसरी बात यह कि रात दिन हाय-हाय सदन में जो होती है कि इंजीनियर इतना खा गये, बेच गये, लूट ले गये, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि यह जो डिपार्टमेंट है पहले से पैसा लेकर के खर्च करता है जो और डिपार्टमेंट हैं वे पब्लिक से डंडे की मार पर पैसा लेते हैं । यह डिपार्टमेंट यहां से लेता है और सरकार को तकलीफ होती है कि हमारा पैसा गया । अभी इस के बारे में दो-तीन बातें बतलाता हूं माननीय सदस्य ध्यान से नोट करेंगे ।

[श्री मुकीमुर्रहमान]

एक बात तो ये कि माननीय सिंचाई मंत्री बलबीर सिंह जो पहले भी यहां थे, उन्होंने सन् ७१ में आदेश किया था कि मैकेनिकल के स्टाफ और सिविल के स्टाफ में ३३ फीसदी मैकेनिकल इंजीनियर रहेंगे। दूसरी बात उसी वक्त यह भी आदेश किया था कि टैक्नीकल स्टाफ मकेनिकल स्टाफ को ३३ फीसदी एक्स्ट्रा स्टाफ डिपार्टमेंटल काम कराने के लिए ओवर टाइम दिया जायगा क्योंकि उन्हें डिपार्टमेन्टल वर्क करना होता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि सिविल हो या मैकेनिकल आप एक मरतबा डिसाइड कर लें कि सबको डिपार्टमेन्टल वर्क करना होगा। अगर नहीं करना है तो ऐसा कह दें। सुबह से शाम तक इसी का जिक्र होता है। मेरे पास पेपर हैं इसके लिए और आपको पढ़े देता हूं। नोट करें। पहली बात, स्टोर का मामला है। सिर्फ इस वर्ष भंडार का चार्ज जिनको देना चाहिये उनको न दे करके अन्य लोगों को कार्य पर रख करके भुगतान किया जाता है चार्ज अगर अभियंता को देना चाहिए। ३७ लाख रुपये का ओवरपेमेंट किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वहां पर यह पता नहीं चलता कि स्टोर का चार्ज किसके पास है। दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि इन के यहां तीन तरह का स्टाफ है डी० टी० और पी०। डी० तो हुये डाइरेक्ट जो पब्लिक सर्विस कमीशन से आते हैं, टी० हुये टेम्पोरेरी जगह के और पी० हुये वे जिनका प्रमोशन जूनियर इंजीनियर से असिस्टेन्ट इंजीनियर की पोस्ट पर हो जाता है। इसी प्रकार लाल कमेटी १९६३ में बनी, लेकिन तब इस पर भी निर्णय हुआ तो डी० जी० शुक्ल की अध्यक्षता में १९६६ में कमेटी बनी, श्री शुक्ल ने भी पिछले कमेटी का संशोधन किया वहां सुधार होना चाहिये उन्हीं की रिपोर्ट सिंचाई विभाग, निर्माण विभाग एल० एस० जी० इ० डी० में मान ली गई फिर और सचिव रहे उन्होंने कमेटी बनायी। १९६३, १९६६, १९६९ में तीन बार निर्णय हुए लेकिन शासन न कोई निर्धारित नीति नहीं रखी अगर नहीं रखी तो १० वर्ष से अधिशासी अभियंता के पदों पर सहायक अभियंताओं के पदोन्नति कौन नियमों के अनुसार हुई है, जिसके कारण इंजीनियरों में असंतोष है और हर आदमी अपनी जगह परेशान है?

एक बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने सन् १९७१ में मीटिंग की थी तथा उस मीटिंग के अन्दर मंत्री जी ने कहा था कि जब तक मैकेनिकल इंजीनियर का केडर बढ़ाकर चीफ इंजीनियर एडीशनल नहीं रखेंगे तब तक यह काम होने वाला नहीं है। क्या यह सच नहीं है कि १९७८ में हुई पदोन्नति का कोटा उसी कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से है। अब उसे क्यों रोक रखा है? उस समय संख्या ३८० थी और सात साल में सिर्फ ४१ ही बढ़े हैं। सोचने की बात है। सिविल के अधिकारी ज्यादा होने के नाते एक हजार कुछ अधिकारी रखे गये। दूसरी तरफ मैकेनिकल अधिकारी होने की वजह से सचिव और मुख्य अभियन्ता टेक्निकल स्टाफ के साथ सरासर नाइंसाफी हुई। मैकेनिकल अधिकारी होते हैं वह मशीनरी से काम लेते हैं उसके बदले उनको क्या दिया जाता है, यह जनता पार्टी, सोशलिज्म और जय प्रकाश के आशीर्वाद के तौर पर देखें कि मजदूरों को हटा दिया गया। कालागढ़ रामगंगा परियोजना पर मंत्री जी ने भाषण दिया। राशन के ऊपर भाषण नहीं होता, भाषण के ऊपर राशन जरूर बंटा करता है। यह सोशलिज्म किस किस्म का है। हमारे २८० मजदूर इस डैम को बनाने के लिए मर गये, शहीद हो गये, उनका स्मारक भी बन गया लेकिन उसकी एवज में क्या मिला कि साढ़े १६ हजार आदमियों को नौकरी से निकाल दिया जाय, यह इस शासन का पहला कदम है, गांव की ओर बढ़ने का। मैकेनिकल इंजीनियर के चार डिवीजन

थे, उनको काटकर २ कर दिया गया और दो के लिए कह दिया कि जो डिजाइन के अन्दर हैं उनको ले लिया जाय । लेटर नम्बर और फाइल नम्बर मेरे पास है । मैं मंत्री जी को दूंगा, वह देख लेंगे । इसी तरह से साढ़े छः करोड़ का घोटाला है और आज तक रिपोर्ट नहीं आयी ।

टिहरी बांध के बारे में मंत्री जी ने उसकी खूबियां बयान की । मैं पूछना चाहता हूं कि वह कितना बड़ा है, कितने अधिकारी और कर्मचारी उसको बनायेंगे । यह फाइल लेकर मैं आया हूं । इसमें बड़ी मोटी डाक है । लेटर नम्बर है ०९१४ जिसको मैंने मंत्री जी के पास भेज दिया है । ३०० कर्मचारी हैं तो यह डैम कैसे बनेगी । सरकार की नीति है कि सरकारी लेबर को कार्य नहीं देना चाहिए तो जब यह नीति है तो करप्शन बन्द होने वाला नहीं है । मैं यह नहीं कहता कि सिंचाई विभाग लेकिन क्या इस बात का जवाब है सिंचाई मंत्री या मुख्य अभियन्ता या सचिव के पास कि जितना लेबर था वह ४२० था, गलत था या वह [**] थे जिन्होंने अपनी जान गवां दी, अपने बच्चे कटवा दिये । हमें रोशनी दी, एयर कंडीशन बनाने का मौका दिया । डैम तो दफन हो गया कि आपने उनकी नौकरी समाप्त कर दी । मुख्य अभियन्ता, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कहते हैं कि हम इन लोगों से काम नहीं ले सकते । जैसे मुगलों के जमानों में तहखाने बनवाये जाते थे और फिर हाथ काट दिये जाते थे कि कोई देख न ले ।

हमारी गर्दन कत्ल कर दी और कहा जाता है ऐसा करो । काबे में मुसलमां कहते हैं काफिर, लेकिन मयखाने में काफिर को भी काफिर नहीं कहते, तीन महीने में बदायूं में ९, चंदौसी में ३, कासगंज में २७, नरौरा में २, बरेली में ६, देवरिया में २३, बलिया में १४, बस्ती में ९, सुल्तानपुर में ३३ लोग निकाले गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जाइये और इसको लिखकर भेज दें ।

श्री मुकीमुर्रहमान--

मैं लिस्ट पढ़े देता हूं कि किसके आदेश से यह लोग निकाले जा रहे हैं । बुलन्दशहर ६, बलिया ३, सहारनपुर २, पेटीकोट न धोने पर सर्विस समाप्त ।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त कर ।

श्री मुकीमुर्रहमान--

झांसी, ललितपुर और हल्द्वानी में १३३ । मैं बतलाना चाहता हूं कि मैंने मजदूरों के साथ काम किया है । आज सदन में मैं मजदूरों की बदौलत बैठा हूं । मैं डिमान्ड करता हूं कि जिस चीफ इन्जीनियर ने रामगंगा परियोजना

नोट--[**] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री मुकीमुर्रहमान]

में काम करवाया है उसे वहां वापस कर दुबारा काम किया जाय, नहीं तो वह दिन न आये कि चाहे सदन से निकाला जाऊं या जनता पार्टी से निकाल दिया जाऊं लेकिन मजदूरों का साथ दूंगा। इसके साथ-साथ में मंत्री जी से डिमान्ड करता हूं कि जो मैकानिकल चीफ इन्जीनियर, एस० ईज० वगैरह की पोस्ट मंजूर हुई है, उनको भरा जाय। मंत्री जी तुरन्त इन लोगों की भरती करें। ऐसा करने से जो काम कर रहे हैं उसमें सुधार आवेगा और काम अच्छा होगा। एक स्पेशल सिक्रेट्री की जगह है उस पर किसी इन्जीनियर सेक्रेट्री को पोस्ट करें। मैकानिकल के लिये ३ चीफ इन्जीनियर रखने थे, वह रखे जाने चाहिये। वह मेहनत से काम कर रहे हैं, धूप म काम कर रहे हैं। ठेकेदारों की जगह डिपार्टमेन्टल काम कराइये जिससे प्रदेश ऊंचा उठे। २८ करोड़ की मशीनरी जंग खा रही है। रामगंगा परियोजना में मजदूर बेकार बठे हैं। १०,००० मजदूरों के रहने का प्रबन्ध है लेकिन वहां कुत्ते भौकते हैं और कोई जाना नहीं चाहता है। अब फिर निवेदन करूंगा। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता---

धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आपने भावुकता में जहां गुन्डा शब्द कहा है वह कार्यवाही से निकाल दिया जायगा। इसी तरह से जो नाम लिये गये हैं, वह भी नहीं रहेंगे।

श्री मुकीमुर्रहमान---

मान्यवर, मैंने किसी के ऊपर आक्षेप तो किया नहीं ?

श्री अधिष्ठाता---

लेकिन आप किसी व्यक्ति का जो यहां पर नहीं है, नाम नहीं ले सकते।

श्री मुकीमुर्रहमान---

मैंने उस व्यक्ति के लिये कहा था फलां इन्जीनियर को बुलाकर काम लिया जाय। यह नियमावली में कहीं भी नहीं है कि नाम न लिया जाय।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप किस नियम की तहत व्यवस्था दे रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता---

आप कृपया बैठ जायं। मैंने दूसरे को बुला लिया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का नियम देख लिया जाय। आप धारा देख लें।

श्री अधिष्ठाता---

आप धारा स्वयं बताइये। अब आप बैठिये।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

मान्यवर, आप किसी नियम के आधार पर कह रहे हैं कि किसी अधिकारी का नाम नहीं ले सकते ? आप बहुत ही विद्वान अधिष्ठाता हैं आपसे बहुत उम्मीद है । आप किस नियम की तहत कह रहे हैं कि कोई माननीय सदस्य किसी का नाम नहीं ले सकता ?

श्री अधिष्ठाता--

वह इस सदन में निश्चय होता है । जो व्यक्ति बाहर से आकर यहां स्पष्टीकरण नहीं दे सकता, उनका नाम नहीं लिया जाता । यही परम्परा है । आप उसको दूसरी तरह से सम्बोधित कर सकते हैं । एक अधिकारी करके ऐसा कहकर बता सकते हैं ।

(शोर)

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता---

आप जो कह रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा ।

*श्री श्यामधर मिश्र---

मान्यवर इतने जोशीले भाषण के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इतने थोड़े समय में इतने बड़े अनुदान के सम्बन्ध में इतने विस्तृत रूप से कुछ कह सकें क्योंकि समय थोड़ा है ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बड़े ब्योरे से योग्यतापूर्वक बहुत सी बातें रखीं हैं । मुझे खुशी है कि बहुत सी चीजों का स्पष्टीकरण उन्होंने किया है। मैंने शुरू में प्रश्न किया । अगर उसका उत्तर दे देते तो खुशी होती । अब प्रश्न करना पड़ता है, तो उत्तर का समय नहीं मिलता । मैं जानना चाहता हूं कि जो आज तक पूंजीगत व्यय है नहरों और नलकूपों पर वह अलग-अलग क्या है ? हमारे पास आंकड़ तो हैं लेकिन वे १९७४-७५ के हैं । उसमें पूंजीगत व्यय अनुमान से लगा सकते हैं । कोई १००/१५० करोड़ ट्यूबवेल में लगा होगा ।

श्रीमन्, सही चीज से शिकायत नहीं हो सकती है । माननीय मंत्री जी ने दो पुस्तिका बटवायी हैं । एक तो गुलाबी रंग की है और एक छोटी सी पतली सफेद रंग की है । उसमें उन्होंने स्वयं कहा है कि इस पुस्तिका में जो स्टेटमेन्ट हैं, जो सरकार का दिया हुआ बयान है, उसमें कहा गया है कि बावजूद रुपया

नोट---[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्यामधर मिश्र]

अधिक लगने के नहरों पर, इस प्रदेश में ज्यादा सिचाई ट्यूबवेल से हो रही है। करीब-करीब ४१ प्रतिशत है यह और नहरों से जो सिचाई हो रही है, वह करीब ३० प्रतिशत हो रही है। यह दो वर्ष पुरानी बात कह रहा हूं। दो वर्ष में ज्यादा प्रतिशत में फर्क नहीं हुआ होगा। तो इससे नतीजा निकालना चाहता हूं कि अगर ५०० करोड़ नहरों में खर्च हुआ और १०० करोड़ ट्यूबवेल में हुआ या ६०० करोड़ नहरों में और १५० करोड़ ट्यूबवेल मे हुआ, तो यह मतलब न लगाया जाय कि नहरें न बनायी जायं। संतुलन होना जरूरी है। दोनों का होना जरूरी है। लेकिन ट्यूबवेल में किसी तरह से कमी न किया जाय। ट्यूबवेल को और बढ़ाया जाय। क्योंकि इस समय भी और पूर्व शासन में भी पता नहीं कौन से इन्जीनियर्स बाहर से तर्क देते रहें कि ट्यूबवेल की संख्या कम होनी चाहिये। इस साल १,५०० ट्यूबवेल और पिछले साल १,३०० ट्यूबवेल हुए। कई मदों से ट्यूबवेल लगाये जा रहे हैं, इस चीज को तालिका से देखता हूं। मैं इस बात को नहीं समझ पाता। आपको ट्यूबवेल लगाना है तो चीनी मिल के लिए कैसे, इर्रीगेशन के लिए कैसे यानी किस किस्म के ट्यूबवेल लगाने हैं। आप इन सब में सरकारी पैसा खर्च करते हैं तो आप अपने विभाग से कहें कि हम पांच हजार, तीस हजार या दो हजार ट्यूबवेल सीधे लगायेंगे। इस बात को कहने के बाद अब ट्यूबवेल के आगे चलता हूं।

मैं एक अनुभव करता आ रहा हूं पहले का भी और पिछले साल का भी वह यह है कि आपने एक कमेटी बना दी है जिले में सिचाई सलाहकार समिति कहते हैं। उसमें राय ली जाती है कि कहां ट्यूबवेल लगाये जाये, कहां सिचाई हो। उस राय को आप नहीं मानते हैं मैं ऐसा नहीं कहता। लेकिन उसके बाद कोई व्यक्ति क, ख, ग, घ जैसे ट्रान्सफर के लिए आपके पास आते रहते हैं। हम तो उस जिले की कमेटी में है, इसलिए परेशानी हो रही है। हमने तय किया १० ट्यूबवेल यहां लगें और आपने यहां से तय कर दिया कि १३ लगें और तीन अमुक स्थान पर लगें, तो इससे कमेटी बनाने से क्या फायदा हुआ, इसलिए मेरा निवेदन है, जो कुछ जिले की कमेटी तय कर दे, उसमें आपके यहां से कोई रद्दोबदल न किया जाय। जहां तक इस प्रदेश में सिचाई की बात है, हमारे प्रदेश में इतना पानी है, उससे पूरे देश के एक तिहाई भाग को सिंचित किया जा सकता है और आपने उसका पूरा-पूरा इस्तेमाल किया है, यह बात सही है। एक विभाग ऐसा है और मुझे खुशी होती है आपने उसे तस्लीम किया और माननीय मंत्री जी ने बड़ी योग्यतापूर्वक और निष्पक्षता पूर्वक पुराने कार्यों की अच्छाई और खराबियों को तस्लीम किया, इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है। लेकिन उससे हमें संतोष नहीं है, केवल ३३ प्रतिशत सिचाई सरकारी साधनों से हो रही है, ऐसा आप समझते हैं और आपने जो आंकड़े दिये हैं, ये कागजी आंकड़े हैं, आज ट्यूबवेल के लिए आपने ३०० एकड़ कमांड एरिया निश्चित किया है। यहां पर माननीय मंत्री जी और उप मंत्री जी बैठे हैं और उन्हें मालूम भी होगा, अगर किसी ट्यूबवेल पर जाकर देखें, चाहे पश्चिमी जिले में, चाहे पूर्वी जिले में।

मैं वाराणसी जिले की बात बता सकता हूं। वाराणसी जिला ट्यूबवेल के लिए पूर्वी क्षेत्र में अच्छा जिला माना जाता है। वहां पर ट्यूबवेल से एवरेज सिचाई १९४ एकड़ है, जो कि हाईएस्ट है और आपने ३०० एकड़ कमांड एरिया रखा है। इस प्रकार १०६ एकड़ बढ़ा दिया है। आपने केवल स्टेटिस्टिक

बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको डेढ़ सौ या दो सौ एकड़ करें तो अच्छा है और अगर इसको कायम ही रखना है, तो तीन क्यूसेक, ५ क्यूसेक या ६ क्यूसेक का बड़ा ट्यूबवेल लगायें, तो काम चल सकता है। एक बात और कहूंगा श्रीमन्...

श्री अधिष्ठाता--

अब आपके तीन मिनट और रह गये हैं।

श्री श्यामधर मिश्र--

मुझे कितना समय दिया गया है ?

श्री अधिष्ठाता--

आपको दस मिनट दिया गया है।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, इसके सम्बन्ध में अध्यक्ष जी व्यवस्था दे चुके हैं, जो प्रोसीडिंग का भाग बन चुका है कि बजट पर बोलने के लिए विभिन्न दलों के नेताओं को १५ मिनट देंगे। आप देख लें।

श्री अधिष्ठाता--

आप बोलें। वैसे माननीय सदस्य को १० मिनट दिया गया है और ७ मिनट आप बोल चुके हैं।

श्री श्यामधर मिश्र--

अभी आपने एक माननीय सदस्य को १० मिनट समय दिया था और वे २० मिनट तक बोलते रहे।

श्री अधिष्ठाता--

आप बोलें।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं। एक गांव में १० वर्ष पहले गांव वालों ने सरकार से ऋण लेकर ट्यूबवेल लगाया था, वह बेकार पड़ा है। उन्होंने उसे बेचना चाहा लेकिन बेचने की स्वीकृत हेतु कागज साल भर से पड़ा है, स्वीकृति नहीं मिल रही है। आपने कहा कि भ्रष्टाचार और ट्रान्सफर्स के सम्बन्ध में क्या करें ? मैं आपसे कहूंगा कि आप स्वयं इंजीनियर्स का विजिलेंस डिपार्टमेंट कायम करें, नान-इंजीनियर्स जो हैं वे विजिलेंस का काम नहीं कर सकते। ट्रान्सफर्स की जो बात है अधिकारी तो चाहते ही हैं कि आप ट्रान्सफर्स में फंसे रहें। ये बड़े योग्य अधिकारी हैं चाहे किसी भी केटेगरी के अधिकारी हों। सुबह से शाम तक सर, सर करेंगे और ट्रान्सफर्स की दो चार फाइलें आपके सामने रख देंगे। नीति सम्बन्धी कुल काम खुद करेंगे और ट्रान्सफर्स का काम

[श्री श्यामधर मिश्र]

आपसे करायेंगे । दो चार काम आप करेंगे और १०० काम ये खुद करेंगे । तो आपकी यही नीति गलत है । आपसे मतलब मेरा मतलब मंत्रियों से है, सरकार से है । माप दंड आपने तय ही कर दिया है तीन वर्ष, ५ वर्ष और आप देखें कि उसका पालन हो रहा है या नहीं ?

आपने ज्ञानपुर कैनाल की स्वीकृत दे दी लेकिन १ करोड़ ८० लाख रुपया स्वीकार किया है जब कि १८ करोड़ की वह योजना है । कितने साल तक आप इसे ले जाने वाले हैं ? इसमें कुछ अधिक जल्दी होनी चाहिये । इसी तरह से किशाऊ डेम, टेहरी डेम तथा तरह-तरह के डेम्स की बातें हैं । सबसे ज्यादा खराबी सिंचाई विभाग की यह रही है, आज भी है कि लम्बी-लम्बी योजनाओं की स्वीकृति होती है । एक स्वीकृत ली तो दूसरी स्वीकृति के लिये दौड़ भाग होने लगती है, फिर तीसरी के लिये लेकिन यह कोशिश कभी नहीं होती कि उसकी अवधि बांध कर ५, १० वर्ष में उसे पूरा कर लें । एक एक योजना में दस-दस, बीस-बीस वर्ष लग जाते हैं । ७ करोड़ का काम ३५ करोड़ तक पहुंच जाता है और ३५ करोड़ का काम १०० करोड़ तक पहुंच जाता है महंगाई के कारण और बहुत से काम धन की कमी से रुक जाते हैं । इस पर आप जरा ध्यान दें ।

मैं गोवर्द्धन नाले के बारे में कहना चाहता हूं । वह विवादास्पद मसला है । पिछले साल राजस्थान तथा पंजाब ने पानी छोड़ दिया तथा एग्रिमेंट तोड़ा । इसका प्रयास किया गया कि आगे वह न तोड़ेंगे और इस बार क्यों तोड़ा गया ? आगरा मंडल की कहानी कही गई है उसमें एक फाइल है आपके यहां । उसे आप देखें ६६-६७ में एक प्रश्न आया था, राजनाथ सिंह ने किया था बिन्ध्याचल तथा मिर्जापुर के घाटों के सम्बन्ध में । २२ से २७ लाख रुपया मंजूर हुआ था काम शुरू हो गया था । लाख दो लाख की गिट्टी भी पड़ गयी थी । ६७-६८ में वित्त विभाग ने कह दिया कि रुपये की कमी है और उसके कारण वह काम आज तक स्थगित है । दो लाख की गिट्टी बह गयी, ईंट चोरी चली गयीं । ख्याल है कि इतने रुपये की कमी नहीं है कि २२ लाख रुपये के बिन्ध्याचल और मिर्जापुर के घाट न बन सकें । २२ लाख रुपये की कीमत आज ५० लाख हो गयी होगी । वह जरूरी है, उसे होना चाहिये ।

एक बात और है । वह अधिकारियों के बारे में है और मुझे अच्छी तरह से याद है कि पिछले सत्र की वह बात है । आपने घोषणा की थी श्रीमन्, जो डिप्लोमा इंजीनियर्स और जो एडहाक ढंग से नियुक्त हुए थे उनके सम्बन्ध में आपने कहा था कि परिपत्र निकाल दिया । एक मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई थी लेकिन अभी तक उनका काम पूरा नहीं हुआ । कैसे इनका काम होगा । मिनिस्टर्स की कमेटी भी बन गई लेकिन उनसे रेगुलर कितने हुए । मैंने सुना कि डेढ़ सौ भी नहीं हुए । जो आपका एक एग्रीमेन्ट हुआ था उसका बीच क्यों कर रहे हैं । यह साल जो बीता उसमें आपने करीब २८ करोड़ या ३० करोड़ रु० मुझे मालूम हुआ कि योजनागत व्यय में खर्च नहीं हुआ और उसे समर्पित कर दिया गया । यह रुपया बड़े-बड़े डेम्स और बांधों पर खर्च होना था ।

यह क्यों खर्च नहीं किया ? इंजीनियर्स की स्ट्राईक की वजह से खर्च नहीं हुआ या क्या हुआ ? हम समझते हैं कि इतनी बड़ी रकम इरिगेशन विभाग में किसी भी साल में समर्पित नहीं हुई । क्या यह इकोनोमी ड्राइव के कारण हुआ ? श्रीमन् इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं मैं आपको परेशान नहीं करूंगा और जो बात मैंने आपसे कही थी उसको स्वीकार कर समाप्त करता हूं ।

श्री बलबीर सिंह—

श्रीमन्, मिश्र जी ने जो कहा है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं । आपने कहा कि १९७६ तक कितना कैपिटल इनवेस्टमेन्ट है । तो वह मेजर एन्ड मीडियम इरिगेशन में ६२१·१५ करोड़ और ट्यूबवेल में २१९·९० करोड़ ।

दूसरी बात आपने सरेंडर की कही इसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि भ्रम फैल रहा है । यह बात नहीं है जैसा आपने कहा कि २८ करोड़ का सरेंडर है, सरेंडर जो है वह साढ़े चार करोड़ का है । इसके अलावा जो एडवांस एसिस्टेंस दी गई थी फ्लड के काम के लिए वह साढ़े ७ करोड़ दिया गया था उसमें से साढ़े तीन करोड़ खर्च हो गया और ४ करोड़ बाकी रहता है । इसके लिए हमने सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से इजाजत मांगी है कि १·६० करोड़ हम जून तक खर्च कर लेंगे और १·५० करोड़ इस साल के आखिर तक कर लेंगे । इस एडवांस एसिस्टेंस में इजाजत मिल जाने के बाद एक करोड़ का रह जायेगा । तो इस तरह से कुल साढ़े पांच करोड़ के सरेंडर की बात है । अगर इजाजत नहीं मिलती है तो फिर ज्यादा जरूर है वह करीब साढ़ आठ करोड़ होता है ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, एक दो बातें कही जाती हैं सिंचाई विभाग की तरफ से कि नहर से ज्यादा आमदनी होती है । ट्यूबवेल से कम । मैं एक निवेदन करूंगा, श्री श्यामधर मिश्र जी ने भी संकेत किया कि यह आमिक आंकड़े हैं । नहरों से जो सिंचाई होती है और जो उससे आमदनी होती है उसकी कैपेसिटी जज नहीं कर सकते हैं । ट्यूबवेल से जो सिंचाई होती है उसमें तो पानी के ऊपर टैक्स देना होता है लेकिन नहरों से तो पानी न लेने पर भी उगाही होती है । यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ट्यूबवेल भी वहीं लगते हैं जहां पहले से नहरें होती हैं । लेकिन साल भर में अगर सिंचाई नहरों से न भी हो तो भी उगाही देनी होती है । १९-१९ साल से जहां नहर नहीं चली है, वहां नहरों की उगाही बराबर वसूल ली जाती है । तो कहने को विभाग बता सकता है कि नहरों से इतनी आमदनी हुई, लेकिन वास्तव में नहरें कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं कर रही हैं । पंजाब में पहले नहरें थीं, लेकिन बाद में तबदीली आई और अब ट्यूबवेल आ गए हैं, पश्चिमी जिलों में पहले नहर थीं, लेकिन अब ट्यूबवेल आ गये हैं । अब पूर्व में भी यही होने वाला है ।

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर]

बैरूनी डिस्ट्रीब्यूटरी, जो जिला लखनऊ में है, उसके ६ माइनर्स बन्द पड़े हैं, किन्तु बराबर वहां के किसानों से उगाही की जा रही है। इसी तरह से पूर्वी शारदा कैनाल, जो बहुत अच्छी मानते हैं, उसके रूहेलखंड, नहर खंड ३ में रीवा-फरीदनगर शाखा पिछले १९-२० साल से बन्द पड़ी है और किसान बेचारे बराबर उगाही दे रहे हैं। ट्यूबवेल्स लगा ले तो ठीक है, किन्तु नहर में कभी-कभी पानी के दर्शन नहीं होते, किन्तु उगाही देनी पड़ती है। नहर विभाग हमसे बिना पानी दिए वसूल करता है और उसे वह कहता है कि यह हमारी आमदनी है। तो यह उसके परफारमेन्स से उसकी आमदनी नहीं होती है, यह तो प्लन्डर है। नहर का पानी मिले या न मिले पैसा हमें देना पड़ेगा। उत्तर में नहरों द्वारा सिंचाई अब पश्चिमी जिलों में नहीं चल सकती है। नहरें हमें पानी उतना उपलब्ध नहीं करा सकती हैं, जितनी की हमें आवश्यकता है। इसके लिए हमें दक्षिण की परिपाटी अपनानी पड़ेगी। यदि किसी के पास ४ एकड़ गन्ना है, तो २ एकड़ में वह गन्ना बोने देगा और शेष दो एकड़ पर १२२ इंच पानी की गारन्टी होती है जिसमें ४२ बार पानी मिलता है। हमारी नहरें हमें पानी की गारेन्टी नहीं दे सकती हैं, केवल पैसा लेने की गारेन्टी देती हैं। हमारी नहरों की जो कपिसिटी है, उससे वास्तविकता का कोई सम्बन्ध नहीं है।

नहरों की बात के बाद में ट्यूबवेल के बारे में यह कहना चाहता हूं कि हमारे ट्यूबवेल से एक साल में उतनी आमदनी होती है, जितना एक साल में वह बिजली का टैक्स देता है। क्या सारा आमदनी का ही जरिया है, कोई तो उपलब्धि होनी चाहिए। ट्यूबवेल लगाते हैं, उसकी लागत से किसी का कुछ तो मुकाबला होना चाहिए। ऐसी हालत में ट्यूबवेल कैसे चलेंगे। कारण इसका क्या है? ट्यूबवेल्स एम० ई० एस० और रेलवे में भी लगे हैं, नगर निगम के भी लगे हैं, लेकिन अपने यहां के ४० परसेन्ट खराब पड़े रहते हैं। वही हालत एम० ई० एस० और रेलवे वालों की होने लगे तो क्या होगा? इस खराबी का कारण यह है कि जो अपने यहां विभाग में भारी घोटाला है, वह वहां पर नहीं है। हमारे मंत्री जी अच्छे, ईमानदार और बुजुर्ग हैं, हम उनसे पूछते हैं, विभागाध्यक्ष उनके अन्तर्गत काम करते हैं। उनका सम्बन्ध उनके सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण है और एक विभागाध्यक्ष के खिलाफ मैंने मंत्री जी को शिकायत दी थी। उनके यहां से दो-दो अभियोग-पत्र मिस हो गये, तीसरा किसी तरह से विजिलेंस को दिया गया है। लेकिन यह सब होगा कैसे, विभागाध्यक्ष के लड़के उनके घर के पास फर्जी दुकान चला रहे हैं। फर्जी दुकान चल रही है और यहां लाखों रुपये का घोटाला चल रहा है। विभागाध्यक्ष ने लखनऊ में अपना मकान बना लिया है ...

श्री बलबीर सिंह—

अगर यह बात सही है कि वह हमारे घर पर कर रहे हैं, तो मैं अभी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। इस तरह की बात पर मुझे ताज्जुब हुआ है। आप भी कुछ रुक लें फिर मैं रिपोर्ट करता हूं। कोई एजेंसी मुकर्रर करा लीजिये। मैं समझता हूं कि कुछ लोग हैं जो इस तरह से मुझे बदनाम करने पर लगे हुए हैं। वह जाति-बिरादरी की बात है, मैं साफ कहना चाहता हूं, कि इस तरह से गवर्नमेन्ट से हट जाऊं, मैं अभी जाने के लिए तैयार हूं एक कांसपिरेसी बनाते हैं इस तरह से

श्री सोहन वीर सिंह तोमर---

मंत्री जी के समझने में गलती है। (व्यवधान) सुन लें, फिर से मुझे, जो कहना है। मैंने यह कहा था, मंत्री जी के घर के नजदीक और मेरे घर के नजदीक भी बेगमपुल है। मैं मंत्री जी का अत्यन्त आदर करता हूं। निहायत ईमानदार आदमी हैं। उन्हें कम से कम आवेश में नहीं आना चाहिए। उनके और मेरे दोनों के घरों के नजदीक बेगमपुल में, मुख्य अभियन्ता, जो विभागाध्यक्ष हैं, उसके लड़के की फर्जी दूकान है, मैंने उन्हें बताया था। उन्हें दूकान का नाम भी मालूम है। आपको इस तरह से आवेश में नहीं आना चाहिए। वह मंत्री हैं। यह जवाब देने की बात है। आप खुद बताइये कि बेगमपुल में आपके विभागाध्यक्ष के लड़के की एक फर्जी दूकान चलती है, वह विभागाध्यक्ष आपके यहां काम करता है, उसके खिलाफ आपने खुद विजिलेंस की जांच का आर्डर दिया है? मेरा उन पर आक्षेप करने का कोई अभिप्राय नहीं है। आपके घर के नजदीक है। मेरे और आपके घर दोनों के नजदीक है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, उन्हें अपने विभागाध्यक्ष को कम से कम हटा तो देना चाहिए। वह कैसे उनकी नीतियों का पालन करेंगे जिनकी जांच विजिलेंस से वह खुद करवा रहे हैं। माननीय ठाकुर साहब ने आवेश में आकर जाति-बिरादरी की बात कह दी, मेरा विश्वास जाति-बिरादरी में नहीं है। मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्हें इस तरह से आवेश में आ कर नहीं कहना चाहिए। मेरा कोई मंशा नहीं था, व्यक्तिगत आक्षेप करने का।

(श्री हुकुम सिंह परिहार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मान सिंह आजाद ---

मेरा नम्बर कब आयेगा?

श्री अधिष्ठाता---

समय से आयेगा। आप बैठिये।

*श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)---

मान्यवर, मैं सिंचाई अनुदान के ऊपर प्रस्तुत मांगों के सम्बन्ध में समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक तरफ हमारे मंत्री लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनके सम्बन्ध में माननीय रियासत हुसैन सरीखे जैसे कटु वाली बात करते हैं, दूसरी तरफ उनकी तारीफ करते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, जो विरोधी कोई कार्य करे, तो मजबूरी से करता है। उन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि हमारे मंत्री महोदय के लिए कि वह अत्यन्त ईमानदार आदमी हैं लेकिन यह गलत बात है कि अफसर जो हैं, वह बेईमान हैं। दो बातें उन्होंने कहीं, मंत्री जी ईमानदार हैं, अफसर बेईमान हैं।

श्री अधिष्ठाता---

उन्होंने क्या कहा, वह छोड़िये। आप खुद कहिए जो कहना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुम सिंह परिहार—

यह विभाग जो है वह बहुत पुराना है और जो मशीनरी है वह बहुत पुरानी है। इसको बहुत दिनों से पाला गया है और इसमें भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, इसकी सफाई की जाय तब भी बहुत दिनों में हो पायेगी बहुत लोगों ने तारीफ की लेकिन यह दुर्भाग्य है कि मेरे यहां का जो मुहकमा सिंचाई का है वह सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए और उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ९० ट्यूबवेल मेरे क्षेत्र में हैं, उनमें आधे के करीब बन्द पड़े हैं।

मैंने मंत्री जी से जा-जाकर कहा और चीफ इंजीनियर से भी जा-जाकर कहा और शिकायतें भी की लेकिन नलकूप नहीं चले और किसान भुखमरी की हालत में पहुंच गया। इस मुहकमे के कान पर जूं नहीं रेंगता। हमारे क्षेत्र में आगरा नहर जाती है। यह नहर आगरा और मथुरा जिले की सिंचाई करती है। हमारे क्षेत्र में आते-आते इस नहर का पानी समाप्त हो जाता है। नहर के टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता है। कोई और सिवार जम जाता है जिसके कारण पानी बन्द हो जाता है। जब अधिकारियों से कहा जाता है तो वह कह देते हैं कि कोई और सिवार के कारण पानी नहीं चल पा रहा है।

आगरा नहर को राम गंगा परियोजना से पानी मिलना था, लेकिन जब योजना पूरी हो गयी तो केवल ४५० क्यूसेक पानी देने के लिए कहा गया। पहले भी मैंने इस सदन में यह प्रश्न उठाया था कि इतने पानी से किसानों का कुछ भला होने वाला नहीं है और टेल तक पानी नहीं पहुंच पावेगा तो जवाब मिला कि यह पानी दिल्ली नगर को दिया गया है और जब दिल्ली नगर में पानी नहाने आदि से बचेगा तो वह यमुना नदी में आवेगा और फिर आगरा नहर को मिल जायगा। इस तरह की बातें की जाती हैं तो किसान का भला कैसे होगा? पिछले कई सालों से यह प्रश्न मैं उठा रहा हूं, लेकिन बराबर हाउस में आश्वासन दिए जाते हैं, परन्तु उनका पालन नहीं किया जाता है। कोई भी आश्वासन इस सरकार का पूरा नहीं हो सका। १२५० क्यूसेक की जगह के स्थान पर सौ-सौ क्यूसेक ही पानी मिल पा रहा है, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। नहर का क्षेत्रफल बढ़ता जाता है। ३-४ नहरें और निकाल दीं। नहर पर नहर बढ़ाते चले जा रहे हैं लेकिन पानी कम होता चला जा रहा है और आगरा में पानी पहुंचते-पहुंचते समाप्त हो जाता है। मान्यवर, बजट में आपने जो प्राविधान किया है कि आगरा नहर का आधुनिकीकरण किया जायेगा, वह इतना कम है कि उसका आधुनिकीकरण सम्भव नहीं है। जितना पैसा रखा गया है वह सफाई के लिए भी पूरा नहीं होगा। ओखला बांध के लिए मेरे प्रस्ताव पर आपने कहा था कि आधुनिकीकरण करेंगे जिससे आगरा नहर को पानी मिलेगा।

अब मैं नलकूपों के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में जो अधिशासी अभियन्ता हैं उनके ऊपर लाखों रुपये के गबन के आरोप हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने और सिंचाई मंत्री जी ने जांच बैठाई थी। जांच हुई लेकिन जिन कर्मचारियों ने आरोप लगाये थे उनका ट्रान्सफर कर दिया। जिन अधिकारियों ने आरोप लगाये थे उनको पनिशमेन्ट मिला और जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे उनको दंडित नहीं किया, यहां के ऊपर के अधिकारियों ने भी उनको सपोर्ट किया। यह उल्टा हुआ, मंत्री से हुकुम रुकते नहीं थे लेकिन इनके हुकुम का पालन नहीं हुआ।

मान्यवर, हमारे यहां पर नलकूप विभाग है । मेरे क्षेत्र में ९० नलकूप होने के बावजूद भी सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है । वहां के एस० डी० ओ० के बारे में भी आदेश दिया गया लेकिन उसका भी पालन नहीं हुआ । मेरी प्रार्थना है कि उस क्षेत्र में आप समुचित सिंचाई की व्यवस्था करें और उस क्षेत्र को भुखमरी से बचायें ।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान छितौनी बांध की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । पूर्वी उत्तर प्रदेश में देवरिया जनपद में यह छितौनी बांध है । जिस प्रकार से आज के महंगाई के युग में एक हाथी पाला जाय, जिसका खरीदना तो आसान हो लेकिन पालना बड़ी कठिन समस्या है । उसी प्रकार से यह छितौनी बांध है । जब माननीय कमलापति जी यहां पर सिंचाई मंत्री थे उस समय यह बना था । जितने रुपये में यह बना था उससे कहीं अधिक इसके रख-रखाव में खर्चा हुआ । हर साल जब बाढ़ आती है तब यह सूचना दी जाती है कि छितौनी बांध टूट गया । कोई साल ऐसा नहीं होता जब कि यह समाचार नहीं मिलता कि बांध टूट गया है । और अगर वहां पर १ हजार बोल्डर्स डालने होते हैं तो एक सौ ही बोल्डर्स डाले जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि हजारों रुपये का घपला कर दिया गया । हर साल होता है । तो मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस सफेद हाथी के लिए कुछ नयी दृष्टि रखें । मैं यह भी चाहूंगा कि मंत्री जी इस बात का भी पता लगायें कि इस बांध के निर्माण में कितना रुपया खर्च हुआ, कितना रुपया इसके रख-रखाव पर व्यय हुआ, और कितना इसकी मरम्मत में व्यय हुआ, इसकी भी पूरे सदन और प्रदेश को जानकारी मिलनी चाहिए, इस सम्बन्ध में एक विस्तृत जांच भी होनी चाहिए ।

इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितनी नदियां बहती हैं, उनमें गंगा और यमुना को छोड़कर सारी की सारी नेपाल या बिहार से निकलती हैं, जैसे राप्ती है, घाघरा है, बड़ी गंडक है छोटी गंडक है । जब ये नदियां मैदानों में आती हैं तो हर साल इन इलाकों में बाढ़ लाती हैं और में बाढ़ आने पर करोड़ों रूप की फसलों का नुकसान होता है । मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वे केन्द्रीय सरकार से और केन्द्रीय सरकार से बात करके नेपाल सरकार से भी विचार विमर्श किया जाय कि जो इन नदियों के उद्गम स्थल हैं उनसे किस प्रकार से बाढ़ को रोका जाय वरना हर वर्ष ४० करोड़ से लेकर १ अरब रुपये तक की फसल बरबाद होती रहेगी और अगर कोई उचित उपाय निकाला जाय तो १ अरब रुपये की फसल बचायी जा सकती है । इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने एक सिफारिश यह की है और वे पैसा तक भी देने को तैयार हैं, और शायद योजना भी प्रदेश में विचारधीन है कि जहां-जहां पर नहरे बनायी गयी हैं उनकी बगल में एक नलकूप भी लगाया जाय ताकि जो पानी का स्तर है, उसको नीचे किया जा सके । इस पर भी माननीय मंत्री जी को अच्छी तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शतरुद्ध प्रकाश--]

भ्रष्टाचार के बारे में जहां तक सम्बन्ध है, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी आपकी बहुत बड़ी है, आप ईमानदार जरूर हैं लेकिन आपके ईमानदार होने से सारे प्रदेश में सब लोग ईमानदार होंगे, बड़ा कठिन है। आज प्रदेश में ईमानदार जैसी चीज बहुत बड़ी चीज हो गयी है।

अब मैं एक रहस्य का उद्घाटन करना चाहता हूं। जब सूबे के सिंचाई मंत्री माननीय लोक पति त्रिपाठी थे तो मैं जानकारी दे रहा हूं कि जांच करा लें। मैं आरोप लगा रहा हूं इसलिए कि जांच हो भ्रष्टाचार न बढ़े। मान्यवर, लोक सभा के १९७७ के चुनाव के पहले जो पिछले सिंचाई मंत्री थे उन्होंने सूबे की नहरों का सर्वेक्षण करने के लिए एक हेलीकाप्टर खरीदा था...

श्री अधिष्ठाता--

धीरे बोलें माननीय सदस्य।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मान्यवर, मेरी तो आदत ही ऐसी है। तो मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि वह हेलीकाप्टर खरीदा गया था और कम से कम ५० लाख रुपया उसमें लगे और उसका उपयोग उस समय भूतपूर्व रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी के दौरे में किया गया जो चुनाव का दौरा किया। इसकी जांच होनी चाहिए। और कानपुर में, लखनऊ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूरे में उसके द्वारा चुनाव का दौरा किया गया। लाखों रुपये का दुरुपयोग किया गया। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसकी जांच करा लें।

श्री श्याम धर मिश्र--

आपने एक तरीका अपनाया है।

श्री अधिष्ठाता--

आप क्यों खड़े हो रहे हैं, वह मैं करने जा रहा हूं। शतरुद्ध प्रकाश जी वह नाम जो लिये हैं वह न लें, वैसे ही सम्बोधित करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मैं आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री जी अगर आप चाहेंगे तो मैं हेलीकाप्टर का नम्बर दे सकता हूं और वह कब खरीदा गया इसकी जानकारी दे सकता हूं। उस पर भूतपूर्व रेल मंत्री ने दौरा किया और सिंचाई मंत्री जो उस समय थे उनके द्वारा खरीदा गया। इस सम्बन्ध में जांच करायें। जो धन का इसमें दुरुपयोग किया गया है उस सम्बन्ध में गबन का आरोप लगाकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय।

श्री मान सिंह आजाद--

(चिल्ला कर) जांच की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

मान सिंह जी, क्या आपके लिए दूसरी विधान सभा बनानी पड़ेगी ? बिल्कुल शान्त रहिये, यह बिल्कुल निन्दनीय और बहुत ही गलत है।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसके भीतर बनारस में गंगा नदी बहती है तो १९६९ में एक लिफ्ट पम्प कैनाल की योजना बनायी गयी थी सिंचाई विभाग की तरफ से और इस योजना के अन्तर्गत २६ लघु नहरें निकाली गयीं जिनमें नरायनपुर, भुपोली और जमनियां की नहरें उल्लेखनीय हैं। हर एक का बहाव ३६० घन फुट प्रति सेकेन्ड है और इसके साथ ही साथ अन्य में १० घन फुट से ५० घन फुट प्रति सेकेन्ड का बहाव है। इस तरह से १,६२५ घन फुट प्रति सेकेन्ड के हिसाब से पानी सिंचाई के लिए गंगा में से निकाला जा रहा है।

इस तरह से मान्यवर, नरायनपुर में जो पम्प कैनाल है जो कि ३६० घन फुट प्रति सेकेन्ड से उसमें १८०० घन फुट प्रति सेकेन्ड पानी निकालने की योजना है अगर वह किया गया तो इस तरह से अगर पूरा हिसाब मिलाया जाय तो गंगा से ४,३४० घन फुट प्रति सेकेन्ड पानी इस गति से सिंचाई के लिए निकाला जायगा। मान्यवर, इससे गंगा के सूखने की आशंका हो गयी है और पानी का बहाव जाड़े और गर्मियों में ७ हजार घन फुट हो जाया करता है और कभी-कभी और भी कम हो जाता है और एक साल तो मान्यवर, ४८०० घन फुट प्रति सेकेन्ड से भी कम हो गया था। इतनी बड़ी मात्रा में जल निकालने का दुष्परिणाम पूर्वी अंचल के लिए बड़ा घातक होगा। तो मैं चाहूंगा...

श्री अधिष्ठाता---

आप समाप्त करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

तो मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। इससे गंगा के पानी का बहाव २ हजार घन फुट प्रति सेकेन्ड कम हो गया है। गम्भीर समस्या यह बनारस के लिए। तो गंगा नदी सूखे भी नहीं और सिंचाई भी हो जाय, उसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि भूमिगत जलाशयों की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि विज्ञान ने तरक्की की है। भूमिगत जल को पुनर्नवा करने पर एक योजना बनायी जानी चाहिए।

मैं चाहूंगा कि भूमिगत जलाशय बनाये जायें, जब गंगा नदी में बाढ़ आये तो उसका पानी पम्प से निकाल कर उन जलाशयों में इकट्ठा किया जा सके। पानी के जल स्तर को ठीक रखने के लिये भी इनका प्रयोग किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त। आप बैठें।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त (जिला मथुरा)—

मान्यवर, समय की सीमा को देखते हुये मैं अपने विचार संक्षिप्त में ही रखूंगा। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने सदन के इस भ्रम को दूर कर दिया कि पिछले वर्ष सिंचाई विभाग की एक बहुत बड़ी धनराशि समर्पित कर दी गयी। शासन के ही बहुत जिम्मेदार स्रोतों से यह बात निकली थी कि पिछले वर्ष बहुत बड़ी धनराशि समर्पित की गयी है। मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को इस बात के लिये भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष अनेक कठिनाइयों के बावजूद उनके विभाग का कार्यकलाप अच्छा रहा है।

जैसा कि माननीय मिश्रा जी ने कहा, मथुरा जिले के बारे में एक बात मैं वही कहना चाहता हूं। मथुरा जिले में हर साल बहुत बड़ी बरबादी गर्की के कारणहोती है। वहां के लिये जो योजना बनायी जा रही है हमें आशा है वह शीघ्र कार्यान्वित की जायेगी। पिछले वर्ष जब माननीय मंत्री जी वहां पधारे थे, उन्होंने बहुत से आश्वासन जनता को दिये थे। मैं उनको इसके लिये धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने कुछ आश्वासनों को पूरा भी किया है, पर उन पर जितनी तेजी से काम होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। हरियाणा और राजस्थान के द्वारा भी जो योजनायें चालू की जाने वाली थीं, जिसके लिये कि वायदा किया गया था, वह वायदा भी पूरा नहीं हुआ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि आज सुबह से यहां सदन में कहा जाता रहा है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी व अधिकारी भ्रष्ट हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, माननीय सदस्यों की सेवा में निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों से हम कार्य लेना चाहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण निर्माण का कार्य लेना चाहते हैं, उन लोगों के प्रति यदि हम अपनी भावनायें यही रखेंगे और यही कहते रहेंगे कि विभाग के सारे लोग भ्रष्ट हैं, अनैतिक हैं, तो यह उनके प्रति अच्छा नहीं होगा, उनके प्रति न्याय नहीं होगा और वे अपना काम भी ठीक प्रकार से नहीं कर पायेंगे। यदि ऐसा है कि हम समझते हैं कि वे भ्रष्ट हैं तो उसको तो फिर यह किया जाए कि उन सभी को हटाकर दूसरे लोगों को रखा जाए। मगर मेरी दृष्टि से यह ठीक नहीं है कि एक ओर तो हम उनसे अच्छे काम की आशा रखें और दूसरी ओर यहां पर उनके ऊपर तरह-तरह के आक्षेप लगायें। इस सदन में बैठकर बोलने की जो हमें शक्ति मिली है, विशेष प्रिविलेज मिला है, तो उसके साथ ही हमारा विशेष दायित्व भी हो जाता है। हम प्रायः अपने कर्मचारियों के प्रति नौकरशाही अथवा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम उनसे काम लेना चाहते हैं तो हमें उनको आदर देना होगा। प्रेम का व्यवहार करना होगा ताकि वे उत्साह के साथ काम कर सकें।

शासन की सेवा में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी द्वारा यह कहा गया कि अधिकारियों के भ्रष्टाचारों के आरोपों की जांच के लिए वे एक विजिलेन्स सेल बनाना चाहते हैं। स्वागत है इसका, लेकिन शासन जरा इस बात को भी देखे कि वह उनके प्रति सौतेला व्यवहार कर रहा है। माननीय मंत्री जी ने पिछले बजट के समय जो भाषण दिया था, उसकी प्रतिलिपि यहां सामने है। माननीय मंत्री जी ने इन अधिकारियों के प्रति, इन कर्मचारियों के प्रति इस सदन के फ्लोर पर कुछ वादे किए थे, मैं उनका ध्यान उन वादों की ओर आकर्षित करूंगा। आज ६०० से अधिक असिस्टेंट इंजीनियर, एडहाक,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनिश्चित हालत में पड़े हुए हैं। माननीय मंत्री जी ने वादा किया था कि वह सब रेगुलाराइज और स्थायी कर दिए जायेंगे। मुझे जानकारी है कि वह वादे पूरा नहीं किए गए बल्कि उनके साथ में एक बहुत ही वंचनात्मक व्यवहार किया जा रहा है। एक ऐसा सर्कुलर निकल गया है, जिसके जरिये से जो वादा सरकार ने किया था, उसे तोड़ा जा रहा है। मेरे पास समय नहीं है कि उस सर्कुलर का विश्लेषण करूं। अगर समय होगा तो यह सब उनकी सेवा में निवेदन करूंगा।

आज ७३ से सनवाल कमेटी की बात कही जा रही है। माननीय मंत्री जी ने वादा किया था कि सनवाल कमेटी की शर्तों को पूरा करने के लिए समिति बनाई जायगी। मैं जानना चाहता हूं कि वह समिति बनाई गई? यदि बनाई गई, तो उसका फैसला क्या हुआ और सरकार ने क्या कदम उठाया? इस प्रदेश के अन्दर अन्य स्थानों पर भी एक बड़ी खींचातान आई० ए० एस० और इंजीनियर के बीच में चल रही है। आई० ए० एस० से हमारा शासन मुक्त नहीं हो पाया और उसने हर तरह से अपमानित करने के लिए कुछ ऐसे कार्य किए हैं, उदाहरण के रूप में मैं बता देना चाहता हूं कि एक इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो कलेक्टर की हैसियत रखता था, वह एक नीचे के स्तर पर कर दिया गया है। तो श्रीमन्, यहां पर मेरे पास वर्षवार आंकड़े हैं कि किस तरह से पी० सी० एस० सर्विसेज को इंजीनियर्स से अधिक प्रोमोशन्स मिले हैं। आज स्थिति यह है कि जहां पहले एक इक्जीक्यूटिव इंजीनियर एक कलेक्टर के बराबर की हैसियत रखता था, आज वहां सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर एक पी० सी० एस० से नीचे की हैसियत पर करा दिया गया है। इंजीनियर्स के साथ यह एक अत्याचार अनाचार पिछली सरकार के समय से होता चला आ रहा है। मेरा अनुरोध है कि सान्याल कमेटी, जिसमें आई० सी० एस० और आई० ए० एस० का बाहुल्य था, उसमें जो वेतनमान प्रेसकाइब किये, उनको लागू करने के लिए कदापि कोई भी देरी नहीं की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ में एक अन्त में बात कहना चाहता हूं और वह यह बात है कि जो मंत्री जी विजीलेंस सेल का निर्माण करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि उस विजीलेंस सेल में कौन लोग होंगे। आज दरोगों को सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर के ऊपर जानकारी के लिए रखा जायगा। क्या आप सोचते हैं कि सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर से ज्यादा ईमानदार दरोगा है? अगर ऐसा नहीं है तो यह जो विजीलेंस सेल का निर्माण है यह तुरन्त बंद करना चाहिए और ये १५-१५ साल के जो केसेज पड़े हुए हैं, उनको हरगिज सुलझाना चाहिए और उनके प्रति न्याय करना चाहिए, जिससे कि इस विभाग के कर्मचारियों का उत्साह बना रहे और वे हमारे निर्माण कार्य को भी पूरा कर सकें।

*श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हम देख रहे हैं...

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरा नाम नहीं आया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिये । आपका भी नम्बर आयेगा ।

श्री राम सजीवन—

आज हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार की होड़ लगी हुई है । विभिन्न विभागों द्वारा आपस में भी होड़ है और विभागों के अन्दर स्वयं भी होड़ है। जिन विभागों को आप जनता से पैसा दिलवाते हैं वह कहते हैं कि हमको कहा जाता है कि भ्रष्टाचारी हैं लेकिन जो सीधे, सिंचाई विभाग, पी० डब्ल्यू० डी० जो सीधे सरकार का धन हड़प जाते हैं, उनको आप नहीं कहते हैं । यही चीजें यहां पर प्रतिध्वनित हुई हैं । मेरा निवेदन है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है ।

आपके सिंचाई विभाग में तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है । पहले १० प्रतिशत कमीशन था और अब यह २५ प्रतिशत या ५० प्रतिशत तक पहुंच गया है । आप नारा देते हैं कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे तो कोई ठोस कदम कोई सख्त कदम आपने साल भर में उठाया हो यह दिखाई नहीं पड़ता । नतीजा यह है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । बहुत लोग कहते हैं कि मंत्री जी ईमानदार हैं । तो अकेले ईमानदार होने से प्रदेश और जनता तथा किसानों का भला होने वाला नहीं है । इसलिए आप सख्त कदम उठायें । अब जैसे आपका नियोजन और अनुसंधान विभाग है । यह योजनायें बनाता है । हमारे बांदा जिले में एक पयसनी नहर परियोजना है । ३ साल से लगातार ४०.५० लाख रुपये का प्राविधान होता है, लेकिन आपका नियोजन और अनुसंधान विभाग उसको डाले पड़ा है पता नहीं कब तक इस योजना को डाले पड़ा रहे । इसी तरह से बुंदेलखंड के अंदर जितने बांध बन रहे हैं, इस इलाके में सूखा पड़ता है यहां बांध ही सबसे सफल हैं । लेकिन इनकी स्वीकृति नहीं मिलती है । भारत सरकार की स्वीकृति के लिए आपके द्वारा प्रयास नहीं होता है । जिससे किसानों को लाभ नहीं मिल पाता है । बराबर हमलोग लिखते हैं लेकिन कोई असर दिखाई नहीं पड़ता है । इसलिए आपसे निवेदन है कि जरा सक्रियता होनी चाहिए । पकड़-धकड़ भी होना चाहिए तब जाकर वहां सही ढंग से काम हो सकता है । जो छोटी-छोटी चालू योजनायें हैं तो उनमें कहीं नहर टूटी है, कहीं पर गूल नहीं है ।

आप निर्माण के लिए पैसा देते हैं, तलहटी की मिट्टी इधर से उधर पलट देते हैं और असल काम नहीं होता है । इस सम्बन्ध में विधायक आपको लिखकर देते हैं मैं समझता हूं कि सारे सदन के विधायक लिखकर देते हैं लेकिन टेक्निकल ग्राउन्ड पर उन सुझावों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है । तो जो विधायक किसान से मिलते-जुलते हैं उनके हमदर्द हैं उनके सही सुझावों को मानिए । मान्यवर, तमाम जिलों में किसी में एक हजार ट्यूबवेल हैं, किसी में ५ सौ ट्यूबवेल हैं लेकिन बांदा जिले में केवल ४० ट्यूबवेल हैं तो इनकी संख्या बढ़ायी जानी चाहिए जिससे किसानों को लाभ मिल सके । त्रिवेणी नहर पंप योजना, मंत्री जी वहां गए थे कहा था शुरू कर देंगे । लेकिन निर्माण का काम आपके आश्वासन के बावजूद नहीं शुरू है । आपके विभाग वाले आपका कहना नहीं मानते हैं तो मेरा निवेदन है कि सख्ती से और सक्रियता से कदम उठायें जिससे किसानों का भला हो सके । धन्यवाद !

श्री हरी राम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो सिंचाई सम्बन्धी बजट रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं ।

(माननीय सदस्यों के आपस में बातचीत करने पर)

श्री अधिष्ठाता--

ऊदल जी, आप शांत रहें ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं तो शांत हूं ।

श्री हरो राम वर्मा--

मान्यवर, इसके साथ ही साथ मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस धन पर जो कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बंगले बनाने वाले हैं उनको अच्छी भूमि पर न बनाया जाय बल्कि जो भूमि ऊसर और बेकार पड़ी है, उस पर वह मकान और बंगले बनाए जायं क्योंकि प्रदेश की आबादी बढ़ रही है, जिससे खेती योग्य जमीन तो बढ़ायेंगे नहीं किन्तु आबादी बढ़ेगी ।

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह भी अनुरोध करूंगा कि नहरों के बजाय, चूंकि यह अंग्रेजों की थीं, हम इतनी बड़ी जनसंख्या वाले हैं और जमीन कम है ऐसी दशा में मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा नलकूप लगाए जायं । बड़ी-बड़ी नहरें जो गरीब किसानों से खेतों को छीन लेती हैं । यहां सबसे ज्यादा ५ बीघा से ज्यादा खेती वाले नहीं हैं । इसलिए बड़ी-बड़ी नहरों को बनाने के लिए यदि उन किसानों की जमीन छीन लेंगे तो इससे उनकी रोटी रोजी कैसे चलेगी ? इसलिए निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा नलकूप लगाए जायं ।

मान्यवर, इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार रहा कि उनके इंजीनियर कमीशन अभी तक लेते रहे और ठेकेदारों से उनका काम चल जाता था और मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि इंजीनियर अब किसानों से भी पैसा लेना चाहते हैं और लेते हैं । इस सम्बन्ध में मैं एक घटना की चर्चा करना आवश्यक समझता हूं । हमारे निर्वाचन क्षेत्र अकबरपुर में एक गांव सतरही है वहां का मंझू नामक व्यक्ति का पेड़ नहर में पड़ गया लेकिन उसको मुआवजा नहीं मिला । वह ६ महीने से इंजीनियर के यहां दौड़ रहा है लेकिन आज तक वह इसका निर्णय नहीं कर सके जबकि उसने प्रमाण-पत्र भी दे दिया है । लेकिन अधिकारी उस प्रमाण-पत्र को मानने के लिए तैयार नहीं हैं । वह इसको इसलिए लटकाए हुए हैं कि वह उनको पैसा दें । जितने विभाग हैं उनके हर मामले टेक्निकल सेल को गए हैं लेकिन सिंचाई विभाग का ऐसा रहा, जिससे किसान का सीधा सम्बन्ध नहीं रहा, उनके निर्णय से किसानों का सम्बन्ध नहीं रहा । इसलिए किसानों ने उनकी ओर नहीं देखा । इसलिए वह अब इस दशा में उतर आये हैं कि किसानों से भी पैसा वसूलें । अतः इस पर ध्यान देने की जरूरत है ।

मान्यवर, इस विभाग के इंजीनियर हम लोगों की बात या किसानों के हित की बात सुनना नहीं चाहते हैं । हमारे निर्वाचन क्षेत्र में एक खालिसपुर अटौली स्थान है, जहां पानी नहीं मिलता । वहां नलकूप लगाया जा रहा है, लेकिन पानी का स्ट्रेटा नहीं मिला । लेकिन इंजीनियरों ने प्रदेश सरकार को आज तक इसकी रिपोर्ट नहीं भेजी कि इस गांव को अनुसंधान विभाग को सौंपकर सर्वेक्षण कराकर वहां नलकूप लगाया जाय । वहां इतने गरीब किसान हैं कि जब सरकार ने नलकूप

[श्री हरी राम वर्मा--]

नहीं लगाया, जिले के सिंचाई विभाग ने नहीं लगाया। तो वहां के किसान कैसे लगायेंगे। तो मैं यह चाहूंगा कि उस गांव के बारे में मामला अनुसन्धान विभाग को भेज दिया जाय और वह अनुसन्धान विभाग उस पर सर्वे करके नलकूप लगाए। इसी तरह से अकबरपुर टांडा वाली सड़क के पूर्व में एक महराजगंज बाजार है उस बाजार को जाने वाली सड़क पूरी की पूरी नहर में पड़ गई। मान्यवर, मैं बार-बार लिखता चला आ रहा हूं लेकिन अभी तक इनके इंजीनियरों ने यह नहीं देखा कि वह रास्ता कैसे दें, जबकि वह रास्ता इन्हीं लोगों ने खत्म किया है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

(श्री संगम लाल का नाम पुकारे जाने पर तथा कई सदस्यों के खड़े होने पर)

बीस आदमी एक साथ कैसे बोलेंगे। सभी को अवसर मिलेगा। अनुदान कल भी चलेगा।

(श्रीमती राम रति देवी के कुछ कहने पर)

राम रति जी आपको आदत पड़ गई है झगड़ा करने की। यह ठीक नहीं है। सबको एक ही बार अवसर मिल रहा है। मानसिंह जी आप बैठें।

श्री मान सिंह आजाद--

आपने जो यह कहा कि सबको एक ही बार समय मिल रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें। आपको तो क्योंकि रोज-रोज (व्यवधान)

श्री मान सिंह आजाद--

आपका विवेक इस तरह का...

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिए।

श्रीमती राम रति देवी (जिला फैजाबाद)--

एक व्यवस्था चाहिए और वह यह कि लगभग एक हफ्ते से हर विषय पर खड़ी हुई हूं और मुझे मौका नहीं दिया गया।

श्री अधिष्ठाता--

यह जरूरी नहीं है।

श्रीमती राम रति देवी--

आज दिन भर की कार्यवाही में कोई भी महिला नहीं बोली। मैंने बार-बार अनुरोध किया।

श्री अधिष्ठाता—

आपको समय मिलेगा ।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने यह उपस्थित करना चाहता हूं कि जब सदस्य खड़े होते हैं तो आप अपने विवेक के अनुसार सदस्यों से यह कह दिया करते हैं कि समय अवश्य मिलेगा, धैर्य रखें । क्या यह आपके लिए संभव है सब सदस्यों को समय देना ? यह आपका वायदा है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वीरेन्द्र पति जी आप तो स्वयं समझदार हैं । मैं यह कहता हूं कि समय अवश्य मिलेगा लेकिन यह कब कहा कि कब मिलेगा । जब आप सदस्य हैं जरूर समय मिलेगा । कभी भी मिलेगा ।

(श्री मानसिंह आजाद के खड़े होने पर)

मान सिंह जी आप बैठें । ऐसी बात नहीं है । आप इसके बाद कायदा जैसा है माननीय सदस्य खड़े होते हैं, खड़े हो जाइए। मेरी दृष्टि आप पर पड़ेगी तो मैं जरूर समय दूंगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आप नाहक गुस्सा हो जाते हैं....

(शोर)

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । अब तक पिछली सरकारों ने शब्दजाल और लफ्फाजी के बलबूते पर सिंचाई और कृषि के मामले में किया। मान्यवर, हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा धरती और फसल राम भरोसे रहा करती थी । बरसात होती थी तो उसमें पैदावार हो जाती थी और अगर बरसात नहीं होती थी तो सूखा पड़ जाता था । अब जनता पार्टी की सरकार ने कृषि की ओर ज्यादा ध्यान दिया है, जिसके वजह से खेतों को पानी मिल सकेगा । मैं मंत्री जी का ध्यान प्रतापगढ़ की ओर ले जाना चाहता हूं । हमारा जिला बहुत छोटा जिला है, उसमें ६-७ छोटी बड़ी नदियां बहती हैं और इसके साथ ही २०-२५ नाले बहते हैं । कुछ नदियां ऐसी हैं, जो ३-४ मील चलकर फिर उसी बिन्दु पर आ जाती हैं । नतीजा यह होता है कि ३-४ मील का इलाका नदियों से घिरा रहता है । न वहां नहर का प्रबन्ध है और न नलकूप का । नहर इसलिए नहीं जा सकती कि नदियां हैं । नलकूप के लिए यह नियम है कि ३००-४०० एकड़ समतल जमीन हो तभी नलकूप लग सकता है । पिछली बार भी मैंने नलकूप लगाने के लिए कहा था लेकिन यह कहा गया कि वहां ३००-४०० एकड़ समतल

[श्री संगम लाल—]

जमीन नहीं है। जैसा कि अन्य सदस्यों ने भी कहा है कि मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां की स्थिति को देखते हुए यह जो ३००-४०० एकड़ का कमांड एरिया रखा है इसको घटाकर १५० कर दिया जाय ताकि नलकूप लग सके और अपनी क्षमता के अनुसार पानी भी दे सके।

हमारे यहां नलकूप के जो तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता थे उनके खिलाफ तमाम शिकायतें थीं। माननीय मंत्री जी प्रतापगढ़ गए थे और उन्होंने सबके सामने उनसे कहा कि बोरिया बिस्तर बांधो, आपको यहां नहीं रहना है। लेकिन आश्चर्य है कि वह अपने मन चाहे जिले फैजाबाद में चले गए और उन पर जो आरोप थे उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। वहां के स्टोर कीपर और अधिशासी अभियन्ता ने घटिया किस्म के पुर्जे खरीद कर रख लिए जिसकी वजह से नलकूप दस पन्द्रह दिन चलकर खराब हो जाते हैं। बीच में जब मंत्री जी से शिकायत की तो उन्होंने जिले के अधिशासी अभियन्ता को लिखा कि कितने नलकूप बन्द पड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब आप चोर से ही पूछेंगे कि तुमने कहां-कहां चोरी की तो वह कैसे बतलायेगा। उन्होंने लिख दिया कि ३-४ नलकूप खराब हैं और वह जल्दी ही ठीक हो जायेंगे। मेरा सुझाव है कि जहां इस तरह के आरोप लगाये जाते हैं तो किसी दूसरे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उनकी जांच कराई जानी चाहिए। तभी सही स्थिति मालूम हो सकती है। निर्माण विभाग, विद्युत् विभाग, सिंचाई विभाग इन सब विभागों में बिना कमीशन लिये कोई काम नहीं होता। नतीजा यह होता है कि सारे के सारे निर्माण कार्य घटिया किस्म के होते हैं। जब शिकायत की जाती है तो उनसे ही सरकार रिपोर्ट मांग लेती है। इसका कोई दूसरा कारगर तरीका निकालना चाहिए। अगर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच करायी जाय तो कुछ परिणाम निकल सकता है।

श्री बाबू सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, आपने मुझे सिंचाई बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। मान्यवर, आज प्रदेश में सिंचाई विभाग का कार्य मुख्यतया २ प्रकार का है। जहां पानी की अधिकता है वहां से पानी निकाला जाय और जहां की कमी है वहां प्रबन्ध किया जाय। हमारे प्रदेश में नहरें बहुत कम हैं और इसी के साथ-साथ स्टेट ट्यूबवेल्स भी अधिक नहीं हैं। सरकारी नलकूपों के बारे में एक भारी शिकायत यह है कि अधिकतर ट्यूबवेल्स खराब पड़े रहते हैं। नलकूपों में जो आपरेटर और अमीन आदि सरकारी कर्मचारी होते हैं वह घोटाला करते हैं और गलत सिंचाई के इन्दराज करते हैं। यह शिकायत हर जिले में चल रही है।

मान्यवर, यमुना नदी पर हमारे जनपद मुजफ्फरनगर की सीमा पर कटाव रोकने के लिये ठोकरें बनाई गईं। सरकार का काफी पैसा खर्च हुआ है लेकिन केवल कागज पर ही कार्य हुआ है। यह एक गम्भीर बात है और मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। इसके सम्बन्ध में जांच की जाय ताकि असलियत का पता लग सके। मान्यवर, नहरों तथा नालों का सफाई कार्य बरसात के बाद में किया जाता है लेकिन वास्तव में यह हकीकत है कि नहरों और नालों की सफाई केवल कागज तक सीमित रह जाती है। यह मौके पर नहीं होती है। यह गम्भीर शिकायत है। इसके साथ-साथ हमारे जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ में सिंचाई करने के लिये पूर्वी यमुना नहर है। यह प्रदेश की बहुत पुरानी नहर है

और अब केवल नाम को ही नहर रह गई है। श्रीमन् जी, इस नहर में पानी साल में एक दो बार ही आता है यमुना नदी का अधिकतर पानी हरियाना में चला जाता है। मंत्री जी ने ताजेवाला पर जो गेट बनाने का प्रबन्ध किया है, सरकार उस स्कीम को जल्दी ही कार्यान्वित करे।

श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो अनुदान की मांग प्रस्तुत की है, मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। वर्ष १९७७-७८ की अनुदान की मांग जब प्रस्तुत कर रहे थे, उस वक्त मैं तो महसूस कर रहा था कि न इस प्रान्त में भ्रष्टाचार रह जायेगा और न कोई काश्तकार ऐसा रह जायेगा कि जिसको पानी न मिल सके और सम्भवतः सूख नाम की चीज इस प्रान्त से चली जायेगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत। जहां थे, वहीं रह गये। मुझे ऐसा लगता है कि जितना आपका कुल बजट है, उसको अगर इस विभाग को ही दे दिया जाय तब भी शायद कोई निश्चित योजना पूरी नहीं हो सकेगी। इसका कारण यह है कि वे पुराने भ्रष्टाचारी आज भी कुर्सियों पर आसीन हैं। किसी का भी स्थानान्तरण नहीं हुआ। अतः मेरा सुझाव है कि किसी भी योजना को पूरा करने के लिये पैसा देने के पहले जब तक शुद्ध आचरण के कर्मचारी नहीं रखे जायेंगे, निश्चित रूप से कोई भी आपकी योजना पूरी नहीं हो सकती है।

आज भाई-भतीजेवाद का बोलबाला है। ठेकेदार से लेकर चीफ इन्जीनियर तक, कोई नहीं कह सकता है कि यह कर्मचारी या अधिकारी ईमानदार है या ठेकेदार ईमानदार है। वहां पर दो वर्ग के लोग बैठे हैं। एक तो है साइट पर काम करने वाला ओवरसियर और दूसरा कुर्सी पर बैठा हुआ अधिकारी जो केवल आफिस में बैठकर आर्डर इशू करता है।

अब मैं थोड़ा भ्रष्टाचार के बारे में बताना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में शारदा सहायक परियोजना निकलती है। जितनी धनराशि सरकार ने निर्धारित की थी, वह कई बार बढ़ाई गयी। अधिकारियों से मेरी बातचीत हुयी तो उन्होंने बताया कि यह सबसे सस्ती योजना तैयार हो गयी है। हो सकता है, मान्यवर, वह अधिकारियों की निगाह में सस्ती योजना हो, लेकिन मेरी निगाह में तो इतनी महंगी योजना कोई दूसरी शायद ही रही हो। जो भी ठेकेदार १५ दिन वहां काम किया, वह हजारपती हो गया और जो कर्मचारी वहां ६ महीने रह गया, वह करोड़पती और लखपती हो गया। मेरा कहना है कि चाहे जितना पैसा दिया जाय, यह निश्चित है कि योजना पूरी नहीं हो सकती। ऐसे ही बहराइच में सरजू पम्प कैनाल चल रही थी। आज भी उसके ठेकेदार मारा-मारा फिर रहा है लेकिन किसी का भुगतान नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि योजना बनने के पहले कुछ तो अधिकारी लोग योजना बनाने के लिये पैसा चार्ज कर लेते हैं और १६ प्रतिशत तो निश्चित रूप से हर ठेकेदार से चार्ज करते हैं। अगर नहीं दिया तो उसका भुगतान ही नहीं होगा। उदाहरण के लिये बताना चाहता हूं कि सरजू पम्प कैनाल में एक ठेकेदार ने एडवांस ६ हजार रुपये वहां के इन्जीनियर को भुगतान नहीं किया, इसलिये उसका ३० हजार रुपये का पेमेन्ट रोका गया। पेनाल्टी की गयी। जबकि काम के लिये जो समय निश्चित था, उसके अन्दर ही काम पूरा कर लिया गया। फिर आज तक उस ठेकेदार का भुगतान नहीं हुआ।

[श्री राम नारायन वर्मा--]

यही चीज स्थानान्तरण के बारे में है। स्थानान्तरण के लिये माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि कोई प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध करायें क्योंकि उसमें घोर भाई-भतीजावाद और दोस्ती चल रही है। अपने ही सम्बन्धी और रिश्तेदार को ओवरसियर इन्जीनियर रखेंगे। कोई ईमानदार कर्मचारी यह प्रयास करे कि उसका भन्डाफोड़ किया जाय, तो निश्चितरूप से बहुत दूर भेजा जाता है। इसलिये अनुरोध है कि माननीय मन्त्री जी ऐसे कर्मचारियों को हटा दें।

मान्यवर, एक और बात वर्कचार्ज कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं और वह यह है कि जिन कर्मचारियों की सेवायें दो वर्ष की हो गई है। उनकी सेवायें समाप्त न की जायें।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

(श्री सुन्दर लाल दीक्षित को पुकारे जाने पर।)

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, यहां पर सदन के अन्दर बहुत से लोग बार-बार खड़े हो रहे हैं।

मान्यवर, हम लोग यह जानना चाहते हैं कि ग्यारह बजे से हम लोग यहां बैठे हैं और बिना खाये पिये बैठे हैं कि हमें बोलने का अवसर दिया जायगा। [× ×]। हम जानना चाहते हैं कि आप लिस्ट से बुला रहे हैं या...

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जायं। (श्री मानसिंह के खड़े होने पर) माननीय मानसिंह जी जो सवाल राय साहब ने उठाया है। आप निश्चित समझें कि उसी ढंग से और न्यायपूर्ण ढंग से हम बुला रहे हैं। आप बैठ जायं। आप तो खुद ही समझदार और वरिष्ठ सदस्य हैं आप सदन की कार्यवाही में व्यवधान न उपस्थित करें और सदन चलने दें।

श्री मान सिंह आजाद--

आप बार-बार यही कहते हैं कि जब आपका समय आयेगा तो आपको समय दिया जायगा। जैसे आप चुनकर आये हैं उसी प्रकार मैं भी चुनकर आया हूं और मुझे बोलने का पूरा हक है।

श्री अधिष्ठाता--

जब आपका समय आयेगा तो जरूर आपको बोलने का अवसर दिया जायगा। आप बैठें और सदन को चलने दें।

नोट--[× ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

अधिष्ठाता महोदय ....

पशुधन उपमंत्री (श्री मुख्तार अनीस)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस माननीय सदन के दो माननीय सदस्यों श्री रामाधार राय और श्री मानसिंह आजाद ने आपके विरुद्ध पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है ....

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जायं और सदन चलने दें ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मेरा एक व्यवस्था का सवाल है । श्री मुख्तार अनीस मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं उन्होंने दो माननीय सदस्यों पर आरोप लगाया है और आप पर आरोप लगाया है । यह मंत्रि परिषद के सदस्य हैं और इन्हें जिम्मेदारी से सदन में बोलना चाहिये । इन्होंने जो आरोप लगाये हैं वह संसदीय परम्परा के विरुद्ध है और यह अपने शब्द वापस लें । यह तरीका ठीक नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठ जायं और सदन को चलने दें ।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

माननीय अधिष्ठाता महोदय ...

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने और एक साथ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग बैठें ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

इस तरह सदन नहीं चलेगा । हम नहीं बैठेंगे ।

श्री अधिष्ठाता--

श्री सुन्दर लाल दीक्षित अपना भाषण दें ।

(कई सदस्य खड़े हो गये और शोरगुल के मध्य कहने लगे कि इस तरह सदन नहीं चलेगा ।)

श्री अधिष्ठाता--

मैं १० मिनट के लिये सदन स्थगित करता हूं ।

श्री राम अधार--

[* *]

नोट--[* *]यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री राम अधार--]

(इस समय ३ बज कर ५० मिनट पर सदन की कार्यवाही स्थगित हुई तथा ४ बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री देव बहादुर सिंह---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अभी जब अधिष्ठाता महोदय बैठे थे सरकार की तरफ से माननीय मुख्तार अनीस, जो मन्त्री हैं उन्होंने अधिष्ठाता के प्रति कुछ ऐसी बात की जो मान्यवर, किसी को नहीं कहनी चाहिये लेकिन जो उत्तरदायी पद पर बैठे हों उनको निश्चित रूप से नहीं कहनी चाहिये । सदन की गरिमा में अगर उनको विश्वास हो तो वह इस तरह की बात को जो उन्होंने कही खेद प्रकट कर वापस ले लें तो बड़ा अच्छा होगा ।

*श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, माननीय देवबहादुर सिंह शायद यहां उस वक्त मौजूद नहीं थे वह सुनी हुई बात कह रहे हैं । मान्यवर, इस सदन में आप कई बार व्यवस्था दे चुके हैं कि जो लिस्ट पार्टियों की तरफ से आती है उसके आधार पर भाषण देने के लिए आप कहें उसके लिए कहीं आप बाध्य नहीं है । ऐसी व्यवस्था आप दे चुके हैं । उसी आधार पर राधे श्याम जी ने बात कही उनके कहने से ऐसी ध्वनि निकलती थी । मान सिंह जी ने कहा कि आप लिस्ट के अनुसार नहीं बोलने दे रहे हैं पक्षपात नहीं होना चाहिये । इस पर मैं खड़ा हुआ और कहा कि ऐसी बात आप क्यों कह रहे हैं । मेरी कहने की मंशा यही थी । मेरे कहने से यदि किसी को कोई भ्रम हुआ हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री राम अधार के खड़े होने पर) राम अधार जी इसमें सफाई की कोई बात नहीं । मैं कार्यवाही देखूंगा । अगर कार्यवाही में कोई बात होगी जो आपत्ति-जनक है या जिसमें किसी प्रकार की अवज्ञा है तो मैं उसको कार्यवाही से निकाल दूंगा और साथ ही ऐसी बात अगर कही है तो मैं सम्बन्धित सदस्यों से भी इस सम्बन्ध में बात करूंगा ।

*श्री राम अधार--

मान्यवर, माननीय अधिष्ठाता इस हाउस को छोड़कर चले गये इसका मुझे बहुत दुख है । हम लोगों की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई जिससे उनका अनादर हो या उनको कष्ट दिया हो । मान्यवर, श्री शतरुद्र प्रकाश डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की । हमको बताया गया था कि आज सिंचाई विभाग के बजट पर बोलना है उसमें हम लोगों का भी नाम है । मैंने कहा कि या तो हमको मालूम हो

*वक्ता ने अपना भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाय कि किन किन सदस्यों को बोलना है। वे लोग तो खा-पीकर बैठ जाते हैं। हमें नहीं मालूम कि कहां लिस्ट में नाम है। पक्षपात की कोई बात सदन से नहीं कही गई। शर्मा जी की हम लोग इज्जत करते हैं वह विद्वान आदमी हैं उनके प्रति दिल से श्रद्धा है और सम्मान है।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

ओझा जी, इस पर विवाद नहीं होना चाहिये। मैं कार्यवाही देखने के बाद अगर उसमें कोई बात गलत है तो उसे निकाल दूंगा और उसमें किसी भी सदस्य ने कोई गलत बात कही होगी तो मैं उनसे भी सम्पर्क स्थापित करूंगा।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। आज सिंचाई विभाग काफी देर से चर्चा का विषय बना हुआ है जिसमें हमारे पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार और लूट खसोट के गम्भीर आरोप लगाये और उनकी निन्दा की। माननीय मंत्री जी के बारे में भी कहा। माननीय मन्त्री जी ने जो उनके विभाग द्वारा प्रदेश के हित में योजनायें चल रही हैं उनके सम्बन्ध में बताया। उन्होंने आश्वासन भी दिये और कहा कि कुछ योजनायें पूरी होने वाली हैं। श्रीमन् कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य रियासत भाई ने कई बातों का जिक्र किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में वर्तमान सिंचाई विभाग के जो मन्त्री हैं वह बड़े ईमानदार और नेक हैं। उनके बराबर नेक इस समय दूसरा मन्त्री नहीं है। इनकी ईमानदारी पर सन्देह नहीं है। वे एक अनुभवी और वयोवृद्ध मंत्री वर्तमान मंत्रिमंडल में हैं। और इस उत्तर प्रदेश के हित में ज्यादा अच्छा होता कि देश और प्रदेश का नेतृवर्ग अपने आपसी झगड़े को खत्म करके इन वयोवृद्ध मंत्री को अपना नेता बना देता। जो कि उत्तर प्रदेश को अपने अनुभव से नया और शक्तिशाली नेतृत्व प्रदान करते। विपक्ष में मेरे बैठने का मतलब यह नहीं है कि जो सही और अच्छी बात है, उसको मैं न कहूं। अगर विपक्ष के लोग भी प्रदेश को अहित की ओर बढ़ाने की चेष्टा करेंगे, तो हम उनका भी विरोध करेंगे।

आज सिंचाई विभाग में हाहाकार मचा हुआ है। मुख्य अभियन्ता, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध इतना असन्तोष है कि इस सदन के सभी सदस्यों चाहे इधर के बैठने वाले हों या उधर के, सभी ने उनके खिलाफ गम्भीर-गम्भीर शिकायतें की हैं, अपना असन्तोष व्यक्त किया है। मुख्य अभियन्ता और अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता और सहायक मुख्य अभियन्ता के खिलाफ मैंने हजारों बार यहां पर, आपके कक्ष में और घर पर शिकायत की है, लेकिन उनके सीधेपन का फायदा उठाकर कुछ नहीं हो पाता है। आप कहते हैं कि मुख्य अभियन्ता से मिल लें। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन के उसी सदस्य का काम होता है जो बहुत तेज होता है, वरना वह आपके लिखे हुए आदेशों का पालन नहीं कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित—]

रहे हैं। मंत्री जी के आदेशों के पालन के प्रति अधिकारियों पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। सरकार बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है, व्यवस्था आपको बदलनी होगी और उसके बाद मंत्री जी के आदेश का पालन न होने पर चाहे वह मुख्य अभियन्ता हो, या अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता या अन्य कोई हो, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। उनको क्षमा नहीं किया जाना चाहिए।

मैं बाराबंकी में देख रहा हूं, जहां से शारदा सहायक परियोजना का सम्बन्धित मामला है। उस जिले के हैदरगढ़ क्षेत्र मे खण्ड २८ में और बाराबंकी के खन्ड ३५ में इनके द्वारा बड़ा अन्याय हो रहा है। जिसकी ओर सरकार का, अधिकारी का या यहां बोलने वाले किसी सदस्य का किसी का भी ध्यान नहीं गया है। मुख्य अभियन्ता और अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता वहां सामने बैठे मुस्करा रहे हैं—मुस्कराओ, हम आपको गलत बात कहते हैं। जो नहर खोदी गई है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में और सारे जिले में, इंजीनियर जो पढ़े लिखे होते हैं वे निरीह किसानों की फसल को बिना मुआवजे आदि के खोदवा डालते हैं। २-२ साल हुआ है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र, बाराबंकी क्षेत्र के किसानों की फसलें खोद डाली गई नहर विभाग द्वारा, लेकिन किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। छोटे किसान खेत विहीन हो गये हैं, जिनकी जमीन ले ली गई है, उनको जमीन देने को कहा गया था। लेकिन बाराबंकी की हैदरगढ़ तहसील में तमाम किसानों के खेत ले लिए गये लेकिन २-२ साल से मुआवजा नहीं मिला।

इस तरह से मैं अपने विभाग की अन्य खराबियों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने तो बड़ी-बड़ी पोस्टें बढ़ा दी हैं, लेकिन छोटे कर्मचारियों—फोर्थ क्लास के कर्मचारियों पर बड़े-बड़े अभियन्ता कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके विभाग के यह अभियन्ता अधिकारी इन बेचारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सब्जी मंगवाने का कार्य करवाते हैं, अपनी बीवियों की साड़ी छटवाते हैं, अपने बंगले की घास छिलवाते हैं, यह सामाजिक अपराध है। आप आदेश दें अधिशासी अभियन्ता से लेकर मुख्य अभियन्ता तक कि वह अपने बीवियों की साड़ियां न छटवाएं। यह सामाजिक अपराध है। आपकी बड़ी बड़ी परियोजनाएं बन रही हैं। शारदा सहायक के बारे में आपने आश्वासन दिया। तीस साल की कांग्रेसी सरकार, अपने अधिकारियों के भरोसे पर रही। जिसका नतीजा यह हुआ कि वह हट गयी। आप वैसे ही अधिकारियों के सहारे न रहिए। वह फर्जी आंकड़े भेजते हैं। हैदरगढ़ में, वहां का इंजीनियर एक पुस्तक निकालता है, जो विधायकों और प्रधानों को भेजता है कि इन-इन गांवों में पानी आयेगा। लेकिन जो कार्यक्रम छपा है, नहरों में पानी नहीं मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में ही नहीं पूरे प्रदेश में फसलें नष्ट हो गयी हैं। तीस साल से बाराबंकी जिले में जो कांग्रेसी लोग थे उनके क्षेत्र में ट्यूबवेल लगे। अपना राज्य बना और खुशी हुई, कि उस व्यवस्था को बदल कर कोई नया क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा। माननीय मंत्री जी ने सदन को आश्वस्त किया है कि सिंचाई के मामले में राजनीतिक दृष्टि से काम न करके किसानों के हित में बात करेंगे। हैदरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में सात-आठ ऐसे स्थान हैं जहां पर कोई सिंचाई का साधन नहीं है। त्रिवेदीगंज ब्लाक के अन्तर्गत मुहम्मदपुर, मारूफपुर और रौनी है, और हैदरगढ़ ब्लाक में शरीफाबाद, थलवारा, जारमऊ और काबीपुर आदि स्थानों पर ट्यूबवेलों की आवश्यकता है।

इसी तरह से श्रीमन् एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं। हैदरगढ़ शारदा सहायक परियोजना के खंड २८ में हैदरगढ़ के भूतपूर्व अधिशासी अभियन्ता श्री कपूर के विरुद्ध जालसाजी और गोलमाल की तमाम शिकायतें भूतपूर्व

सिंचाई मंत्री के पास थीं। फर्जी पेमेंट करने, लाखों रुपये का घोटाला करने की शिकायतें थीं, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। उस अधिशासी अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में किसी पद पर नियुक्त किया गया है। भ्रष्टाचार की पत्रावली मुख्य अभियन्ता के पास अफसरों की होगी। उसको मंगा कर देखें और जांच करवा कर दंडित करें। माननीय मंत्री जी ने भ्रष्टाचार को दूर करने की जो बात कही है मैं उनका स्वागत करती हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां आपने भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सहयोग मांगा है हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप की जो सिंचाई कमेटियां बनी हर जिले के स्तर पर।

श्री अध्यक्ष--

अब समाप्त कीजिये।

श्री सुन्दरलाल दीक्षित--

उसी तरह से निवेदन है जैसे सारे निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि जहां पर बैठेंगे ठीक उसी तरह से जनता के प्रतिनिधियों की कमेटी बना दें जो भ्रष्टाचार की निगरानी रखें और काम हो। इस तरह से भ्रष्टाचार को दूर करने में माननीय सदस्य आपको सहयोग दें।

श्री राम देव दुबे (जिला प्रतापगढ़)--

माननीय अध्यक्ष जी, आज सिंचाई के बजट पर भाषण करने खड़ा हुआ हूं। सिंचाई पर जितने आज तक बजट प्रस्तुत किए गये हैं उनमें से किसी से कम महत्व नहीं रखता है। मात्र इसलिए कि पूरा प्रदेश कृषि पर आधारित है। मैं कहता हूं कि ९० प्रतिशत इस प्रदेश का इंसान खेती पर आधारित है और श्रीमन्, खेती के लिए सबसे आवश्यक सिंचाई है। सिंचाई की स्थिति आज है क्या? मैं तीन भागों में सिंचाई को विभाजित कर सकता हूं। एक राजकीय सिंचाई के साधन, दूसरे व्यक्तिगत सिंचाई के साधन और तीसरे प्राकृतिक सिंचाई के साधन। प्रश्न है कि प्राकृतिक सिंचाई के साधनों और व्यक्तिगत सिंचाई के साधनों के अलावा राजकीय सिंचाई के साधन कितने हुए, कितने किए जा सके और सफलता कितनी मिली। उस दिशा में मेरा मतलब है बादलों पर आश्रित, झीलों पर आश्रित रहना, नदी और नालों पर आश्रित रहना यह तो प्राकृतिक साधन हैं और आज इन्हीं साधनों पर ज्यादातर सिंचाई आधारित है। राजकीय साधनों का जहां तक प्रश्न है नहरे बनवाई गयी हैं और बनायी जा रही हैं, राजकीय नलकूप लगे हैं और लगाये जा रहे हैं।

नहरों के निर्माण की दिशा में मैं कहना चाहता हूं कि मुझे आश्चर्य होता है और बड़ी तकलीफ होती है। बार-बार और निरन्तर और निरन्तर सिंचाई विभाग के मंत्रियों से कहता रहा और लोगों से कहता रहा कि नहरों का जाल बिछा देने का परिणाम अच्छा नहीं होगा। जो निर्बल हैं उनकी सारी की सारी भूमि निकल जाती है और जहां पर नहरे बन रही हैं वहां पर चकबन्दी करा दी जाये और यदि चकबन्दी हो गयी हो, तो पुनः चकबन्दी करा दी जाये जिससे जमीन सबकी निकले लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, लोग सुन नहीं रहे हैं। इतना

[श्री राम देव दूबे--]

हाहाकार मचा हुआ है कि कुछ कहा नहीं जाता है । जब हम लोग अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता कहती है कि नहरें बन्द करा दो । मैं कहता हूं कि नहरों की उपयोगिता है, नहरों के बिना सिंचाई संभव नहीं होगी । तो सरकार के सामने संकट क्या है, जहां पर नहरें निकाली जा रही हैं वहां पर चकबन्दी क्यों नहीं हो रही है । मैं मांग करता हूं कि सरकार चकबन्दी करावे जहां पर नहरें निकल रही हैं या निकल चुकी हैं । जनता यह भी कहती है कि क्या पता है कि नहरें पानी भी देंगी, ऐसा किसी को विश्वास नहीं होता है कि नहरें पानी देंगी ।

नहरों का कमान्ड काल्पनिक है । अगर नहर को किसी गांव में ५०० एकड़ भूमि सींचना है तो कमान्ड घोषित किया जाता है १५०० एकड़ भूमि का और सिंचाई कभी हो ही नहीं पाती है । अगर एक भी पानी दिया जाता है तो पूरा का पूरा नहरी रेट (लगान) वसूल किया जाता है । कैसा अन्याय है ? मैंने कई बार कहा । माननीय मंत्री जी से भी कहा लेकिन कोई हल नहीं निकला । तावान मनमाने रेट पर लगा दिया जाता है । नहर कटवाते है पतरोल और अमीन और हजारों रुपया किसानों पर तावान लगा दिया जाता है । मात्र इसीलिए कि सिंचाई विभाग का काला कानून चला आ रहा है । विभाग में ही अपनी अदालत है, वही गवाही देते हैं और तावान लगा देते हैं, जुर्माना कर देते हैं और सजा कर देते हैं । ऐसा काला कानून नहर विभाग का है । इसमें संशोधन की आवश्यकता है लेकिन इसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता है ।

मान्यवर, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जहां पर नहरें गयी हैं, किसानों की भूमि ले ली गयी है, उनको अभी तक अधिकांश स्थानों पर मुआविजा नहीं दिया जा सका है, क्यों ऐसी लापरवाही हो रही है, चल रही है, चलायी जा रही है और सरकार चुप है । कांग्रेसी सरकार चुप थी और यह सरकार भी चुप है और कोई हल निकालने की बात नहीं की जा रही है । इन नहरों के निर्माण का क्या लाभ अगर इनसे जनता को लाभ नहीं है, अगर प्रदेश के किसान सिंचाई नहीं कर पाते हैं, समय पर उनको पानी नहीं दिया जा सकता है । प्रदेश में शारदा सहायक परियोजना, गंडक परियोजना और राम गंगा परियोजना, ये तीन योजनायें छाई हुयी हैं । मैं उन पर तो नहीं कहता लेकिन जब शारदा सहायक योजना चलाई जा रही थी तो कहा गया था कि किसानों को पानी मिलेगा लेकिन अब उनका विश्वास घट गया है, उनमें असंतोष व्याप्त है कि पानी उनको नहीं मिलेगा । यहां पर बैठे-बैठे उस असंतोष का ज्ञान नहीं होता है लेकिन जब हम अपने-अपने क्षेत्रों में घूमते हैं, जनता हमसे मिलती है, तो स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक स्थिति क्या है ?

जहां तक राष्ट्रीय नलकूपों का सम्बन्ध है हमारे क्षेत्र में ८० नलकूप हैं लेकिन कभी भी ऐसा अवसर नहीं होता जबकि इनमें से ऐसे ६० भी बिगड़े न हों, केवल २० नलकूप ही चलते रहे हैं । समझ में नहीं आता कि ये क्यों बिगड़ते हैं, क्या उनके कल, पुर्जे खराब हैं, या क्या बात है ? मैं समझता हूं कि कभी इस पर विचार ही नहीं किया गया । इसमें कितने रुपयों का गोलमाल है, कितने रुपयों का घोटाला है, मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता हूं । लेकिन सिंचाई के हमारे जो संसाधन है, क्या हम उनको दुरुस्त करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा कि हमारे नलकूप आगे लगें या न लगें लेकिन जो लगे हुए हैं, वे तो सिंचाई करने के लिए सक्षम रहें । इनके खराब होने का कारण क्या है, समझ में नहीं आता है । मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वे हमें बतायें कि क्या सारे के सारे ट्यूबवेल्स की मशीनें खराब हैं । मेरा अनुरोध है कि हमारे सिंचाई मंत्री जी इस दिशा में कुछ प्रयत्न करें ?

आज भी हमारी नहर की पटरियां कच्ची पड़ी हुई हैं उनको पक्का करने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है । मैं कहना चाहता हूं कि जहां भी हमारी नहरों की पटरियां हैं, निर्माणाधीन नहीं हैं, उनको पक्का कर दिया जाय । उससे लोगों को लाभ ही होगा । आज हम लिंक रोड्स की बात करते हैं लेकिन उनका कोई कार्यान्वयन नहीं हो रहा है । मैं तो यह कहता हूं कि लिंक रोड्स की आवश्यकता को कम करने के लिये नहरों को पक्का कर दिया जाय । मेरी ऐसी मांग है । आज यातायात की एक विकट समस्या है लेकिन अगर इन पटरियों को पक्का कर दिया जायेगा तो वह कुछ हद तक हल हो जायेगी । इसके साथ-साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग जैसे सड़कों पर पेड़ लगवाते हैं उसी प्रकार से सिंचाई विभाग को भी इन पटरियों के किनारे पर वृक्ष लगाने चाहिए तभी इन निर्माण कार्यों का लोग मूल्य समझेंगे, महत्व समझेंगे कि यह जनता के हित में है, उनके उपयोग के लिए किया जा रहा है । पर मैं देखता हूं कि इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं हो रहा है ।

मान्यवर, प्रतापगढ़ जनपद में ७० प्रतिशत भूमि असिंचित है । मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर अधिकाधिक राजकीय नलकूपों को लगवाना चाहिए । वहां पर १८,००० हेक्टेयर भूमि नदी के तट पर है जो ऊंची नीची है, वहां की जो समस्या है उसके निवारण के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए । इस बात का शासन द्वारा सर्वेक्षण नहीं होता कि राजकीय नलकूप कहां पर लगे । और नहरें वहां खुदें जहां पर नहरें हैं, वहां पर कह दिया जाता है कि सारा एरिया नहरी कमांड एरिया है । मेरी प्रार्थना है कि जहां पर नहरें नहीं खोदी जा सकती हैं, नदी के कटाव की भूमि हैं वहां पर अर्थात् नदियों के कंठ पर नलकूप लगवाने चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं सिंचाई विभाग के बजट का समर्थन करता हूं ।

(श्रीमती रामरति देवी का नाम पुकारे जाने पर और कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आपको महिलाओं का ध्यान रखना चाहिए । उनका प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत है ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, उनका सम्मान भी करना चाहिए ।

*श्रीमति रामरति देवी--

अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि कई दिनों के बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया । अध्यक्ष महोदय, आज यह प्रदेश खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर बनना चाहता है । अन्न की अधिक पैदावार के लिए नहरों को अधिक से अधिक बढ़ाया जा रहा है और काफी रुपया खर्च हो रहा है । हमारे किसान भी इस दिशा में अपना योगदान सहर्ष दे रहे हैं और अपनी भूमि को खुशी-खुशी सरकार को दे रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती राम रति देवी—]

अब किसानों की कुछ समस्याएं हैं। उस संदर्भ में एक बात तो यह है कि सरकार ने इस चीज को मान लिया है कि हरिजनों की जमीन नहरों में जो जा रही है उसके लिए उनको जमीन दी जायगी। मेरा निवेदन है कि हरिजनों के अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब बिरादरी के लोग हैं, जैसे निषाद हैं, कुम्हार हैं। उनके पास थोड़ी जमीन थी वह जा रही है। तो उनके लिए जाति का प्रतिबन्ध न लगाकर छोटे-छोटे किसानों को पूरा-पूरा लाभ मिलना चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए।

दूसरी बात मेरी यह है कि नहर विभाग की जो कालोनी बन रही हैं, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है, मैं भी कहूंगी कि इनकी कालोनी ज्यादातर ऊसर जमीन पर ही बनायी जानी चाहिए। मेरे क्षेत्र फैजाबाद में जहांगीरगंज में इस तरही की हजारों एकड़ ऊसर जमीन पड़ी हुई है। तो इस क्षेत्र में इस ओर ध्यान जाना चाहिए।

सबसे बड़ा निवेदन मेरा क्षेत्रीय है। मैं यह अनुरोध करूंगी कि मेरे क्षेत्र जहांगीरगंज, जिसमें कुम्हरिया मंझा है उसमें ३०-४० गांव ऐसे हैं जो हमेशा बाढ़ से परेशान हो जाते हैं। यहां के लोग अपने जानवरों को लेकर घर द्वार छोड़कर भाग जाते हैं और काफी पैसा सरकार को भी उनकी सुरक्षा में खर्च करना पड़ता है। मैं चाहूंगी कि जो धन सरकार इनकी सुरक्षा में और उनकी हिफाजत के लिए खर्च करती है और सुविधा देने के लिए हर वर्ष खर्च करती है उसके बजाय उस क्षेत्र में एक बहुत पुरानी मांग है, वह कांग्रेस के समय में जो विधायक रहे १९७४ से यह मांग करते रहे और मैं स्वयं भी मांग करती आ रही हूं कि हमारे मंत्री महोदय उदारता से उसको मान लें। वहां पर एक रिंग बांध की व्यवस्था हर हालत में हो जाय।

मैं माननीय मंत्री जी से क्षेत्रीय समस्या के बारे में यह कहना चाहती हूं कि हमारे इसी क्षेत्र में मगनपुर माइनर जाती है। यह रामनगर से आगे है। इस क्षेत्र में जो रामनगर से आगे पड़ता है उसके आगे कई जगह पर केवल हलकी-फुलकी पुलिया के रूप में इधर-उधर दीवार खड़ी कर दी गयी है और नहर का नाम नहीं है। यह माइनर १९५४ में कागज के ऊपर जोड़ दी गयी है और आज दिन वहां पर जाकर देखा जाय तो नाम भी नहीं है।

मेरा सुझाव है कि ऐसी क्षेत्रों में, जो नदियों के किनारे पर हैं, सरकार की नीति के अनुसार कम से कम ४-६ नलकूप लगाये जायें।

सिंचाई समिति जो जिलों में बनी हैं उनके सुझाव पर आपके अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। मेरे जिले की सिंचाई समिति ने मेरे यहां एक नलकूप की स्वीकृति दो-दो बार दी, मगर अधिकारियों ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बड़े-बड़े लोग जो एक दो होते हैं वे इसलिये नलकूप वहां नहीं लगने देते ताकि वे अपने नलकूपों का पानी अधिक कीमत लेकर बेच सकें। उनके असर के कारण जो अधिकारी वहां जाते भी हैं वे केवल देखकर ही लौट आते हैं। इसलिये मंसूरगंज के लिये जो नलकूप स्वीकार हुआ है उसे शीघ्र लगवाया जाये।

गरीबों के आरक्षण के विषय में भी कहना चाहती हूं। इस विभाग में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की बहुत ही कमी है। आरक्षण के अनुसार लोग नहीं रखे गये हैं। अनुसूचित जाति एवं जन जाति की जो समिति थी

उसमें मैं भी थी और मैंने देखा हर विभागों की अपेक्षा इस विभाग में सबसे ज्यादा उपेक्षा बरती गयी है। इस ओर सरकार ध्यान दे ताकि गरीब लोगों का हित हो सके।

भूमि के सम्बन्ध में जो मुआवजा दिया जाता है उसमें भी बहुत देर की जाती है। उसे भी जल्दी से जल्दी दिलवाया जाये। अधिकारियों को आदेश दिये जायं कि वे जिला सिंचाई समितियों के सुझाव पर ध्यान दिया करें। कोई नहर किसी अमुक जगह से अगर जानी होती है और उसकी स्वीकृति होती है, मगर यह लोग दूसरी जगह से दौड़ा देते हैं, इस तरह की भी शिकायतें मिली हैं। इन शब्दों के साथ में इन अनुदानों का समर्थन करती हूं।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, मैं सिंचाई अनुदानों पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

एक सदस्य—

एक दो मिनट हमें भी अपने-अपने क्षेत्र की बात कहने के लिए दिया जाये।

श्री अध्यक्ष—

कोशिश की जायेगी कि अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर मिल सके। बलिया से तो माननीय मैनेजर सिंह बोल चुके हैं।

*श्री मन्जूर अहमद—

श्रीमन्, यह इतने बड़े प्रदेश का इतना प्रमुख विभाग है, ८० प्रतिशत लोग खेती करते हैं और सिंचाई की ही उनके लिये जरूरत होती है, मगर आज तक सिंचाई की नये ढंग की कोई व्यवस्था आज तक नहीं हो पायी। चाहे उधर वाले सिंचाई मन्त्री रहे हों, या इधर वाले रहे हों, मैं अर्से से देखता चला आ रहा हूं कि कुछ ऐसे अपाहिज लोगों को ही सिंचाई मन्त्री बनाया जाता है जो सिंचाई के बारे में स्वयं न तो कोई निर्णय ले सकते हैं, न सोच सकते हैं न सिंचाई की व्यवस्था के लिये अपनी तरफ से कोई योजना बना सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री हरी सिंह—

यही अपने बड़ों की इज्जत करने का तरीका है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इनकी भाषा भी आप नहीं समझते।

(हंसी)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मन्जूर अहमद—

पहले भी एक अपाहिज और बीमार मंत्री थे सहारनपुर के। उनको भी सिंचाई का कोई तजुर्बा नहीं था।

वह इधर ही बैठते थे, मगर ऐसी कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बाबू सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, जो आपका भाषण हो रहा है, वह सिंचाई संबंध में सुझाव देने का नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। कोई व्यवस्था नहीं।

श्री मन्जूर अहमद—

इतने दिन में, एक साल में कोई नई योजना आपकी नहीं दिखाई पड़ रही है, चाहे शारदा सहायक की बात हो या और कहीं की बात हो, सब पुरानी ही बातें हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि आपने नहरों के चलाने में कोई नई बात पैदा कर दिया हो। तो मैं इसके बारे में कुछ अच्छी बात कह सकता था, लेकिन आपने भी वही बात कही, मैं भी वही कह रहा हूं फर्क इतना है कि आज मान्यवर, ४० फीसदी हमारे ट्यूबवेल मेरठ डिवीजन में हैं। यह बड़ा प्रमुख डिवीजन है। पूरब और पश्चिम में आज ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। क्यों खराब पड़े हैं? क्योंकि वह एक हजार से ज्यादा इंजीनियर को इजाजत ही नहीं है पैसा खर्च करने की और वह कहां जायेगा, मसलन वह हापुड़ में जायेगा मोटर लेकर, एक महीने में मोटर पहुंचेगा, एक महीने में मोटर ठीक होगा।

मान्यवर, यहां पर नाली के बारे में कहा गया कि नाली की बात छोड़ दीजिए, यह बात मुनासिब नहीं है। मेरठ डिवीजन में रोजाना इसी बात पर तावान पड़ता है। शामिल गूल और सारी जितनी गूलें हैं, उसके बारे में अभी हमारे भाई प्रतापगढ़ के कह रहे थे, मेरा भी सुझाव है। कि गांवों को सड़कों से मिलाने के लिए जमीन भी खरीदनी नहीं पड़ेगी। रोजाना कटिंग होती है। आपकी सर्विस रोड तबाह हो गयी। हमारे देश का बहुत बड़ा भला होगा यदि यह कटिंग वाली व्यवस्था खत्म हो जाय। नहरों का मामला ऐसा है कि एक बार भी पानी पूरे साल में काश्तकारों को नहीं मिल पाया पूरी जमीन को और यह सही है कि जब पूरा एक दफा पानी निकल जाता है, तो उस पानी की पूरी आबपाशी काश्तकार को देनी पड़ती है, चाहे ट्यूबवेल का हो या नहर का हो।

अब मुझे कर्मचारियों को बारे में कहना है। सिंचाई विभाग में १२-१२ साल से फोर्थ क्लास के कर्मचारी वर्कचार्ज पर चल रहें हैं, उनको अभी परमानेंट नहीं किया गया है। इस विभाग में आपरेटर हैं, अमीन हैं, उनको १२-१२ १३-१३ साल हो गय, क्या तरीका है, उनके बच्चे हो गये बूढ़े हो गय, वह कहां जायं, वे आज भी टेम्परेरी हैं। हालांकि सरकार की घोषित नीति है कि तीन साल तक काम करने के बाद भी कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया जाय, परन्तु सरकार के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। जो इस प्रकार से ३ साल से ५ साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनको तुरन्त परमानेंट किया जाय। मेरा सुझाव है कि सिंचाई की नई व्यवस्था जब तक नहीं होगी, तब तक इस विभाग में सुधार

नहीं हो सकता है। नहर और ट्यूबवेल के लिए कोई अलग-अलग सरकार नहीं है। नहरों के इलाके में भी आप के ट्यूबवेल लगने चाहिये इससे यह फायदा होगा कि जब नहर नहीं चलेगी तब भी अबपाशी में दिक्कत नहीं आयेगी। इसके अलावा आबपाशी एक ही पानी की होनी चाहिये।

मान्यवर, आजकल के जो बीज हैं, खाद हैं उसके हिसाब से पानी नाकाफी है। आज नहरों से सिंचाई की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है। यह इसलिये है कि १०-१० साल आपके यहां फाइल दबी पड़ी रहती है। १९७५-७६ का ३ करोड़ रुपये का मामला है इसकी जांच करायें। शारदा सहायक से संबंधित है। इसी तरह से १०वें सेंटर का मामला दबा पड़ा है। ट्यूबवेल विभाग की, मेरठ की जांच १९७५-७६ में कराई गयी तो वहां लाखों रुपयों का गबन पाया गया। तो इस तरह से मामले दबे पड़े रहते हैं। जैसा अभी रियाजत हुसेन साहब ने कहा कि जब तक तवार ठीक नहीं है तब तक घोड़ा ठीक से नहीं चल सकता। चीफ इंजीनियर कैसे ठीक हो जायं जब माननीय मंत्री ठीक नहीं होंगे? चीफ इंजीनियर ठीक होगा तो इंजीनियर ठीक होगा। विभाग जब ठीक होगा जब मंत्री जी को ज्ञान होगा। मंत्री जी को जब आपने विभाग की जानकारी नहीं होगी, काम करने में रुचि नहीं होगी तो अफसर हावी रहेंगे। अंत में मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि जो मंत्री आपके विभाग के हैं वह बहुत काहिल हैं। यह बहुत ही प्रमुख विभाग है इसकी ओर ध्यान दिया जाय इससे भ्रष्टाचार समाप्त होगा तो सिंचाई हो सकती है।

*श्री औसान सिंह (जिला इटावा)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमें सिंचाई विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर,

सचाई छिप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से,
खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से।

मैं एक बात कह सकता हूं कि सिंचाई विभाग में जितनी सक्रियता आई है उतनी आज से पहले कभी नहीं आई है। मैं चार डिवीजनों के बारे में उदाहरण दे सकता हूं। मैं किसान का लड़का हूं गांव का रहने वाला हूं। कानपुर, इटावा, रामगंगा, भोगिनीपुर यह चार डिवीजन हैं, यहां पर हेड से लेकर टेल तक पहली बार पानी आया है। अभी तक ३० सालों में यहां नहरें पटकर बराबर हो गयीं थीं और उनमें बबूल के पेड़ तथा घास उग आई थी। कभी सफाई नहीं होती थी। तो अब नहर और बंबों की सफाई की गयी है। पहले किसान शिकायत करते थे कि हमको पानी नहीं मिलता है, टेल तक पानी नहीं पहुंचता है, लेकिन अबकी बार शिकायत करते हैं कि पानी ज्यादा है फसल नष्ट हो रही है। तो पानी की यह व्यवस्था हमारे मंत्रियों के कारण हुई है और जनता सरकार की वजह से ऐसी हुई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री औसान सिंह]

आज गांवों में किसान जनता पार्टी की जय जयकार कर रहा है। और हमारे सिंचाई मंत्री की जय जयकार कर रहा है। इस वर्ष गेहूं की अच्छी फसल इसका उदाहरण है। गेहूं का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। पूरे युद्धस्तर पर विभाग में काम हो रहा है अलबत्ता कुछ काम हो सकते हैं जिसमें गड़बड़ी हो। तो ३० साल की गड़बड़ी एक दम से साफ नहीं हो सकती है। जो इंजन जंग से जकड़ा है उसको एकदम से साफ नहीं किया जा सकता। जहां पर हम शिकायत करते हैं वहां पर अपने अधिकारियों की तारीफ भी करनी चाहिये और उत्साहवर्धन करना चाहिये। मान्यवर, पानी की व्यवस्था, जिस तरह से हमारे जीवन के लिए अन्न की आवश्यकता होती है उसी तरह से किसान को पानी की आवश्यकता होती है। मैं कहना चाहता हूं कि दर्जनों ड्रेन बनाये जा रहे हैं और वाटर लागिंग की समस्या को समाप्त करने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास चल रहा है।

मान्यवर, इसी तरह से, अभी तक यह था कि फर्जी सिंचाई लिखी जाती थी। कमांडिंग एरिया जितना होता था किसान पानी ले या ले लेकिन उस पर सिंचाई लगा दी जाती थी लेकिन आज इसमें परिवर्तन हुआ है और सिंचाई पानी लेगा तो सिंचाई ली जायेगी अन्यथा नहीं। मान्यवर, भ्रष्टाचार में भी इस विभाग में कमी हुई है। लेकिन नीचे के पतरौल और अमीन आदि की कार्य पद्धति में कोई अन्तर नहीं आया है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इसकी व्यवस्था करें ताकि उनकी कार्य पद्धति में परिवर्तन आये और वह इस विभाग को व्यापारिक विभाग न बनाकर सेवा का काम करें और गलत आबपाशी न लगावें।

मान्यवर, हमारे मित्रों ने नालों और बम्बों की सफाई के बारे में कहा तो हमें दुख इस बात का है कि वह तथ्यों को तोड़ मरोड़कर रखते हैं और सच्चाई को छिपाते हैं। पहले किसी नाले और बम्बे की सफाई नहीं हुई थी लेकिन आज उनकी सफाई हो रही है और हुई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहूंगा कि अभी तक टेल तक पानी नहीं आता था लेकिन अब पानी आ रहा है और यहां तक कि पानी अब बेकार हो जाता है। इसलिए नहरों के टेल को किसी नाले या नदियों में डाला जाय जिससे पानी बेकार न हो।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र है। हमारे वहां वाटर लागिंग की समस्या है। पिछली बार मैंने मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था इसलिये वहां काम हो रहा है। लेकिन प्रगति कम है। इसलिए मैं चाहूंगा कि अधिकारियों का ध्यान इस ओर मंत्री जी आकृष्ट करे और युद्ध स्तर पर काम कराये ताकि बरसात के पहले तक वाटर लागिंग की समस्या समाप्त हो जाय।

मान्यवर, अब मैं सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं कि नहरों की पटरियों को पक्का करा दिया जाय, रजबहों की सर्विस रूटों को पक्का करा दिया जाय। इससे दोहरा लाभ होगा। एक तो भूमि का बचाव होगा और दूसरे उस पर मिट्टी आलरेडी पड़ी हुई है जिससे पैसा कम खर्च होगा। इस तरह किसान की भूमि का बचाव होगा और सम्पर्क रोड भी बन जायेंगे। मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि इस विभाग में पैसा ज्यादा है और वापस हो रहा है। इसलिए उस पैसे से कैनाल सर्विस रूट और रजबहों के सर्विस रूट को पक्का कराया जाय और जो १५०० आबादी के गांव हैं, जैसे कि सरकार की योजना भी है, उनको उससे सम्बद्ध

करा दिया जाय । इससे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ जायेगा और यातायात की सुविधा होगी । इन शब्दों के साथ में सिंचाई विभाग के दोनों मंत्रियों को बधाई देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री गौरी शंकर भैय्या (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग के बारे में जो अनुदान प्रस्तुत किये गये हैं उनके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । १९७७-७८ में सिंचाई विभाग के बारे में जो निर्देशिक जारी की गई है उसमें ९ नहर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं की बात किया है जबकि इस साल जो निर्देशिका जारी की गयी है उसमें २ नहर लिफ्टें गायब होने वाली हैं । वह हमारे क्षेत्र में ही हटाई जा रही हैं । इसलिये मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसको देख लें और उनको हटाने का कष्ट न करें ।

मान्यवर, ट्यूबवेल के बारे में मैं कहना चाहता हूं । हमारे वहां बाढ़ की समस्या है । गंगा का पानी हमारे क्षेत्र में भर जाता है और जो पक्की, कच्ची नालियां बनती हैं वो पानी में बह जाती हैं कि नालियों की विशेष व्यवस्था भूमिगत नाली की की जाय ताकि हमारे यहां सिंचाई की व्यवस्था हो सके ।

एक और बात मान्यवर, कहना चाहता हूं और वह यह कि हमारे यहां जो ट्यूबवेल मशीन बनाने वाली विभाग है उस का काम ढीला-ढीला है । एक इंजन अगर वहां पर जाता है तो उस पर साल दो साल तक भी काम नहीं होता है । वहां पर तीस चालीस ट्यूबवेल ऐसे हैं जो तीन चार वर्ष से बगैर इंजन के हैं । उनकी बोरिंग भी हुई है, पम्प भी लगे हैं । मैं मंत्री जी का खासतौर से ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा कि बलिया के सिंचाई विभाग के इंजीनियर को निर्देश दें कि खासतौर से इस तरह के जो ट्यूबवेल हमारे यहां हैं उनके लिये इंजन मगायें ।

बाढ़ के संबंध में मैंने पिछले साल भी अपने भाषण में कहा था । गढ़ा क्षेत्र जहां से मैं आता हूं अपने आप में एक बाढ़ का इलाका होता है । इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि टोंस और गंगा नदी के बीच में कोट, बभनौली आदि ५० ६० गांव पड़ते हैं । सड़क वहां से ३ किलो मीटर दूर पड़ती है । इन्दरपुर गंगा नदी और टोंस नदी से मिला हुआ है । पिछले वर्ष ५० गज कटान थी और वह कट कर अब ३० गज रह गया है । जिस दिन दोनों नदियां मिल जायेंगी ये ५०-६० गांव रातों रात बह जायेंगे । इसलिए मेरा अनुरोध है कि दोनों तरफ से बंध बना कर इन गांवों को बचाया जाय ।

कटान की बात करना चाहता हूं । हमारे इलाके में ग्राम इन्दरपुर, कोट, बभनौली, बड़काखेत, कोटवां नरायनपुर, कोरनटाडीह, उमरपुरदीयरा, नसीरपुर में भीषण कटान है । पिछले वर्ष से यह कटान जारी है । तत्काल ही इसकी व्यवस्था करने का प्रयास नहीं होगा तो सारे गांव इस साल के कटान में बह जायेंगे ।

[श्री गौरी शंकर भैय्या]--

वाटर लागिंग की बात करना चाहता हूं । पूरा गढ़ा ब्लाक ही वाटर लागिंग के नाम से जाना जाता है । पूरा हनुमानगंज, सोहवां, गड़वाड़ ब्लाक उसी परिस्थिति में पड़े हुये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि विभाग को निर्देश दें कि खास तौर से गढ़ा परगना के लिए योजना बनायें और उसे कार्यान्वित करने की व्यवस्था की जाय ।

भ्रष्टाचार की बात कही गयी । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भोजपुरी में कहा जाता है कि "मुखिया हो कर का करव, जब गव के गांव भकोलेवा" मंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि मंत्री जी बहुत ईमानदार हैं । जितना खर्च सिंचाई विभाग पर हुआ उतना यदि जमीन पर होता तो चन्द्रलोक में आदमी नहर बना ले । मैंने नहरों के बारे में, ट्यूबवेल के बारे में, लिफ्ट पम्प के बारे में पिछले वर्ष भी कहा और इस साल भी अपने भाषण में कह रहा हूं । हमारा सौभाग्य है कि सिंचाई विभाग के मंत्री जी माननीय बलवीर सिंह जैसे अनुभवी व्यक्ति मिले हुये हैं और शारदा प्रसाद रावत जैसे नौजवान और बुद्धिमान उप मंत्री । हमारे जनपद को आशा लगी थी कि इस तरह का जो सामन्जस्य है बुजुर्ग, अनुभवी, नौजवान और जोश का, इससे बलिया की सिंचाई समस्याओं का समाधान होगा । मैंने पिछले वर्ष भी भाषण दिया था और इस साल भी दे रहा हूं, कल कहीं आप लोग पिछले साल की तरह भूल न जायें । जो बजट आप ने बाढ़ के लिए रखा है उस में पिछले साल के मुकाबले इस साल कटौती कर दी । कहीं ऐसा न हो कि इस साल अपने जिले की बात कह कर आप अगले साल भी बजट में कटौती कर दें । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के लिए विशेष ध्यान दिया जाय । रावत जी हमारे साथी थे गोरखपुर जेल में थे बड़ी उम्मीद थी कि आप सिंचाई मंत्री हो गये हैं तो हमारे इलाके का कुछ फायदा करेंगे लेकिन हमारी आशाएं धीरे-धीरे कुंठित होती जा रही हैं । हमारी आपके प्रति जो आशा है उसको बचाने के लिए आप सुनियोजित तरीके से काम करें ताकि हमारे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सके ।

श्री अध्यक्ष--

अब कल के लिए बहस स्थगित की जाती है । कल प्रश्नोत्तर काल नहीं होगा । कल ११ बजे से बहस होगी । कल ३ घंटे का समय होगा । यदि आपकी सहमति हो तो कल पांच-पांच मिनट का समय रखें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को समय मिल सके ।

श्री श्यामधर मिश्र--

कल शून्य प्रहर और ५१ की सूचनाएं तो लेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

यह मुझ पर छोड़ें ।

श्री गौरी शंकर भैया--

सूची यही रहे ।

श्री अध्यक्ष--

यही रहेगी ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

श्री गुलाब सेहरा, श्री रणजीत सिंह जूदेव ने सूचना दी है कि स्वदेशी काटन मिल, कानपुर में दिनांक ६ दिसम्बर, १९७७ को काम पर गए १६७ श्रमिकों के आज तक घर वापस न जाने के कारण उनके उसी दिन मिल में हुये गोली कांड में मारे जाने का संदेह है। इसको मैंने स्वीकार किया है। श्रम मंत्री जी इस पर शीघ्र ही वक्तव्य दें।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

मेरा निवेदन है कि श्रम मंत्री हाउस में बैठते ही नहीं। उनको बुलाया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आपका कानपुर से ज्यादा सम्बन्ध है। उनको सलाह दीजिये।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

डेट बतला दें।

श्री अध्यक्ष--

सिंचाई मंत्री जी श्रम मंत्री जी से कहियेगा कि कल वक्तव्य दें या सोमवार को दे दें।

दूसरी सूचना श्री ईश्वर प्रसाद की है, जनपद मिर्जापुर के दक्षिणी अंचल में दिनांक २० अप्रैल, १९७८ को हुई ओला वृष्टि से फसल को भारी क्षति। इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। माननीय राजस्व मंत्री इसमें सूचना प्राप्त करके वक्तव्य दें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम ५१ के अन्तर्गत जितनी लिखकर दी जाती है वह द्वि प्रति में दी जाती हैं। एक आप रखते हैं और दूसरी मंत्री के पास भेजी जाती है। सम्बन्धित मंत्री को निश्चित रूप से आना चाहिए जिससे कि वह जवाब दे सके।

कान्यकुब्ज कालेज, लखनऊ के छात्रों पर आरक्षण के नारे लगाये जाने पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

(नियोजन राज्य मंत्री) श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, दिनांक २४ अप्रैल, १९७८ को १०.०० बजे दिन लगभग ५०० छात्र कान्यकुब्ज वोकेशनल कालेज, लखनऊ से जलूस बनकर आरक्षण के विरोध में "जातिवाद पर यह आरक्षण नहीं चलेगा।" आदि नारे लगाते हुये विधान सभा मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। वहां पर उपस्थित अधिकारी व पुलिस कर्मचारी इस जलूस को रोकने का प्रयास करते रहे परन्तु जलूसी छात्र यह कहते हुये कि हम विधान सभा में घुसेंगे और आरक्षण का विरोध करेंगे, आगे ही बढ़ते रहे। जब छात्रों का यह जलूस छितवापुर चौकी के चौराहे पर पहुंचा तो छात्रों द्वारा

[श्री लक्ष्मण सिंह]--

पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। इससे तत्काल शांति भंग की आशंका उत्पन्न हो गई। अतः जलूस की भीड़ को अवैधानिक घोषित कर तितर-बितर कर दिया गया। लाठी चार्ज नहीं हुआ और किसी के चोट लगने की सूचना नहीं है। भीड़ के तितर-बितर होने के उपरान्त भी कुछ छात्र ऐसे शेष बच गये जो पुलिस द्वारा समझाने-बुझाने पर भी नहीं मान रहे थे और झगड़ा-फसाद करने को आमादा थे। अतः स्थिति को नियंत्रित करने के लिये निम्नलिखित पांच छात्रों को धारा १५१ दन्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया :--

सर्वश्री--

१--सजीव कुमार नौटियाल--बी० एस-सी० (१)

२--देवी प्रसाद मिश्रा--बी० ए० (१)

३--ब्रजेन्द्र मोहन मिश्रा--बी० ए० (२)

४--राजेश कुमार तिवारी--बी० ए० (१)

५--कृष्ण कुमार तिवारी--बी० ए० (२)

इसके पश्चात् जब कान्यकुब्ज वोकेशनल कालेज के छात्रों को यह सूचना मिली कि उनके कालेज के कुछ छात्र पकड़ लिये गये हैं तो अपना रोष प्रकट करने के लिये उन्होंने एकत्रित होकर मोरावां से लखनऊ आती हुई एक बस को कालेज के सामने चारबाग की ओर जाती हुई सड़क पर रोक लिया और उस पर पथराव करके उसके सामने व साइड के कुछ शीशों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसी बीच पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंच गया तथा बस को और क्षतिग्रस्त होने से बचा लिया। उक्त बस के ड्राइवर की सूचना पर थाना हुसैनगंज में एक अभियोग अपराध संख्या २५० धारा १४७/३३६/४२६ भा० दं० वि० के अन्तर्गत पंजीकृत होकर विचाराधीन है। इस अभियोग में कोई भी छात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामांकित नहीं है। अभियोग की विवेचना हो रही है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, वक्तव्य में बड़ा भ्रम है क्योंकि जहां मंत्री जी ने कहा कि वे नारे लगा रहे थे रिजर्वेशन के विरोध में तो फिर उनको यह कैसे मालूम हो गया कि उनका इरादा था कि वे विधान सभा में जाकर घुसेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, इस वक्तव्य की चौथी लाइन में लिखा है कि यह कहते हुये कि हम विधान सभा में घुसेंगे और आरक्षण का विरोध करेंगे अगर यह पढ़ा होता तो यह सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिये उनको रोका गया कि विधान सभा में घुस जावेंगे तब क्या रुकेंगे।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, जो मंत्री जी ने कहा कि वे यह कह रहे थे कि विधान सभा में घुसेंगे तो यह बोज रिजर्वेशन के विरोध में नारा लगा रहे थे वहीं आनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना है कि आगे लिखा है कि हम विधान सभा में जायेंगे ।

श्री रियासत हुसैन--

उनके रोके जाने के बाद में यह प्रक्रिया हुई है ।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई जिरह करने की जगह नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

यह जो बाद में लिखा है यह चार्ज बिलकुल निराधार है । अनलाफुल असेम्बली जो कही गई तो किसने डिक्लेअर की ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, उस क्षेत्र में दफा १४४ लगी हुई थी और इस प्रकार जुलूस निकालना अनलाफुल असेम्बली थी ।

श्री रियासत हुसैन--

मंत्री जी ने वक्तव्य में बतलाया है कि छितवापुर चौकी पर पथराव किया, तो कोई घायल भी हुआ ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

कोई घायल नहीं हुआ ।

श्री गुरू प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

हर जगह आरक्षण को लेकर दुर्व्यवहार हो रहा है तो इसका कोई स्थायी हल शान्तिपूर्ण ढंग से निकालने को सरकार सोच रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

श्रीमन् यह तो सरकार के अतिरिक्त विरोधी दलों के सभी माननीय सदस्यों के सोचने की बात है । शासन को यह जानकारी मिल रही है कि कुछ हताश राजनैतिक लोग विद्यार्थियों और बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आरक्षण के मामले पर जो बैठकर डिबेट में और असेम्बली और पार्लियामेन्ट में तय किया जाना चाहिये, उसमें स्वयं न कर विद्यार्थियों को उसमें लगाकर और विद्या मन्दिरों का इस्तेमाल करके गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं । अगर सदन की राय बन जाय तो ऐसे लोगों के खिलाफ ढूंढ़ कर सख्त कार्यवाही की जाय । वैसे जो डेमोक्रसी में होना चाहिये, वह तरीका नहीं अख्तयार हो रहा है । डेमोक्रेसी को समाप्त करने के हथकण्डे अपनाये जा रहे हैं ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मैंने माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को देखा तो उसमें लिखा है कि जुलूस की भीड़ को अवैधानिक घोषित करके तितर-बितर कर दिया गया और लाठी चार्ज नहीं हुआ । तो, श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लाठी चार्ज नहीं हुआ और तितर-बितर कर दिया गया तो क्या अपनी निगाहों से तितर-बितर कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---

नहीं, उसके लिये प्रार्थना कर दिया ।

(हंसी)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि कुछ हताश राजनैतिक जो हैं, वे छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं । तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि जो हताश राजनैतिक इस आरक्षण के विरुद्ध विद्यार्थियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और शिक्षा मन्दिरों को बंद करवा रहे हैं, उनके ऊपर कोई सख्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

मान्यवर, सरकार इसी पर विचार कर रही है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आरक्षण के मामले को लेकर एक गम्भीर स्थिति प्रदेश में उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो इस मामले पर माननीय मंत्री जी विचार करके आरक्षण को समाप्त करने का प्रयास करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

आपने सवाल बड़ा विस्तृत कर दिया है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

मान्यवर, विस्तृत नहीं, उचित है ।

श्री अध्यक्ष---

उचित तो है, लेकिन मन्त्रि-मन्डल इसको करने के लिये सक्षम है ? माननीय मंत्री जी इसको करने के लिये सक्षम नहीं है ।

श्री विश्व नाथ पान्डेय (जिला बस्ती)---

मान्यवर, वक्तव्य की १०वीं और ११वीं लाइन में लिखा है कि भीड़ तितर-बितर हो जाने के बाद जो लोग बच गये वे झगड़ा करने पर अमादा थे । लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पुलिस की संख्या तो अधिक रही होगी क्योंकि वह जुलूस को कन्ट्रोल करने के लिये गयी थी । लेकिन गिरफ्तारी केवल पांच लोगों की हुयी है । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर पांच ही लोग पकड़े गये तो क्या और लोग भाग गये या छोड़ दिये गये ? और क्या उनकी गिरफ्तारी नेता समझ कर हुयी या जितने बचे थे सबकी हुयी ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

मान्यवर, ये जो ५ लोग पकड़े गये हैं, इस जुलूस के नेता तो थे ही । नेता के अलावा यह सबझाने बुझाने के बावजूद कि वहां से हट जायं, ये नहीं हट रहे थे । इसलिये इनको गिरिफ्तार किया गया ।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

मान्यवर, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह घटना २४ अप्रैल की है और आज २८ तारीख हो गयी है। तो आज के दिन उस विद्यालय में सामान्य व्यवस्था बंद हो गयी है या वह विद्यालय बन्द है ? दूसरा प्रश्न---जो छात्र गिरफ्तार किये गये हैं, क्या सरकार उनको छोड़ने के सम्बन्ध मे कार्यवाही कर रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, ये लोग उसी दिन जमानत पर छोड़ दिये गये थे। अब स्थिति सामान्य है और विद्यालय चल रहा है।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, जो नियम ५१ और कार्य-स्थगन का प्रश्न पूंछते हैं वह तब पूंछते जब लाठी चार्ज हो रहा होता है। लेकिन जितने उत्तर आने हैं, वे किस तरह के होते हैं ? लड़के पुलिस वालों पर पत्थर चला रहे थे।

श्री देव बहादुर सिंह--

सिर्फ उन्होंने अवैधानिक घोषित कर दिया और भीड़ तितर-बितर हो गयी। माननीय मंत्री जी इतना बता दें कि भीड़ तितर-बितर कैसे हो गयी ? आज के० के० कालेज मे लाठी चार्ज हो गया। कल हम लिखकर देंगे तो कह दिया जायगा कि आंख के इशारे पर तितर-बितर हो गयी। आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें और मन्त्री जी कहें कि सही बयान तो दें। जो भीड़ पत्थर चलाती है वह कैसे तितर-बितर हो गयी ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

भीड़ कैसे तितर-बितर हो गयी, यह तो बड़ा कठिन सवाल है। कुछ हिम्मत की कमी थी, मामूली हिम्मत थी और बहकावे में आ गये थे। इसलिए लाठी डन्डा दिखाने से तितर-बितर हो गये।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)--

मंत्री जी क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रथम सूचना में जिस धारा ३३६ का आरोप लगाया गया है वह आरोप क्या हैं साथ ही यह भी बताने का कष्ट करें कि बस को कितनी क्षति हुई ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, धारा ३३६ आगजनी है। क्षति का अनुमान अभी तक नहीं है।

डाक्टर जवाहर लाल (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि विरोधी दल इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह चाहे जो भी काम करें और इधर के लोग इतने निष्क्रिय हो गये हैं। इसमें तो मन्त्री जी को समझाने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष--

न मन्त्री जी को समझाने की जरूरत है और न आपको समझाने की जरूरत है ।

श्री राम गोविन्द (जिला बलिया)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन ५ छात्रों को गिरफ्तार किया गया है वे किस राजनैतिक दल से सम्बन्धित हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, इसकी जानकारी नहीं है ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, इस सदन में हर रोज छात्रों पर लाठी चार्ज किये जाने की चर्चा होती है । आज सबेरे भी लगभग साढ़े आठ पौने नौ बजे छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ और तीन-चार छात्र गिरफ्तार भी किये गये । वैसे ऐसे छात्र थे जो आन्दोलन से सम्बन्धित नहीं थे । जो छात्र पढ़ने जा रहे थे । साइकिल से उनको भी पकड़कर पी० ए० सी० वालों ने मारा । यही नहीं एक देहाती आदमी को भी जो सड़क पर जा रहा था मारा । रोज-रोज लाठी चार्ज हो रहा है और आन्दोलन हो रहे हैं । विरोध पक्ष की ओर से आरोप लगाये जाते हैं कि छात्रों का दमन हो रहा है । के० के० कालेज में जो आन्दोलन हो रहा है उसको देखते हुए और लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो आन्दोलन हो रहे हैं तो इन शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं के समाधान के लिए शैक्षिक सेल बनाने जा रही है । कोई ऐसा विभाग बनेगा ताकि शैक्षणिक समस्याओं का समाधान हो सके जिससे कि रोज लाठी गोली चलाई जाती है उससे बच सकें ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने सुझाव दे दिया है । इस पर माननीय मन्त्री जी विचार करेंगे । अब हम उठते हैं और कल ११·०० बजे मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १६ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
२८ अप्रैल, १९७८,

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२४ पर ।)

बिक्रीकर सरलीकरण समिति की—

(क) संस्तुतियां जिन पर निर्णय लेकर प्रशासनिक आदेश जारी किए जा चुके हैं:—

१—पंजीकरण हेतु अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति के स्थान पर दो पंजीकृत व्यापारियों (जो बिक्रीकर विभाग में ३ या अधिक वर्षों से पंजीकृत हों) की व्यक्तिगत प्रतिभूति को स्वीकार किया जाना चाहिए।

२—व्यापारी का रिकार्ड तथा इतिहास ठीक रहे तो ली गई जमानत देयकर के प्रति समायोजित या रिफन्ड की जानी चाहिए।

३—पंजीयन प्रमाण-पत्र मजबूत कागज पर रेडियो लाइसेंस की भांति दिया जाना चाहिए।

४—पंजीयन प्रमाण-पत्र के प्रभावी होने की तिथि से सम्बन्धित विधिक स्थिति से अधिकारियों को अवगत करा दिया जावे।

५—व्यापारी को एक बार में ३ माप की आवश्यकता पूर्ति के लिए फार्म जारी किए जाने चाहिए।

६—फार्म को तत्काल और सुगमतापूर्वक दिया जाना चाहिए। यदि प्रार्थना-पत्र ११-००बजे पूर्वाह्न तक प्राप्त हो तो फार्म साधारणतया १-३० बजे अपराह्न तक जारी कर दिया जाना चाहिए।

७—केवल मामूली त्रुटियों के आधार पर फार्म अस्वीकृत न किए जायं।

८—ऐसे सैद्धान्तिक निर्देश दिए जाएं जिनके आधार पर व्यापारियों के अभिलेख अस्वीकार करके विवेक से कर निर्धारण किया जा सकता है। निर्देशिका में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जावे तथा इस उद्देश्य से कर-निर्धारण आदेशों की जांच की जाया करे।

९—वित्तीय वर्ष से भिन्न लेखा-वर्ष रखने वाले व्यापारियों से ३१ मार्च की तिथि को स्टाफ का विवरण न मांगा जावे।

१०—अभिलेखों को अस्वीकार करने के पूर्व कम से कम १५ दिन का समय देते हुए एक 'कारण बताओ' नोटिस अवश्य जारी किया जावे जिसमें ऐसे सभी बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लेख हो जिनके आधार पर व्यापारी के लेखे अमान्य करना प्रस्तावित हो।

११—विशिष्ट परिस्थितियों में २ लाख रुपये तक कर योग्य विक्रय धन के व्यापारियों के रूपपत्र उन्हें बिना बुलाये स्वीकार किया जाना चाहिए। यह संस्तुति अंशतः स्वीकार करके २,५०० रुपये वार्षिक कर-दायित्व तक के व्यापारियों के लिए स्वतः कर-निर्धारण योजना लागू कर दी गई है।

१२—धारा-२१ की नोटिस भेजने से पूर्व कारणों का उल्लेख आदेश फलक पर किया जावे।

१३--पंजीयन, नवीकरण, रिफन्ड तथा व्यापारी द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण ९० दिन के भीतर कर दिया जाना चाहिए।

१४--अर्थ दण्ड की कार्यवाही यथा समय २ वर्ष के अन्दर पूरी कर दी जानी चाहिए।

१५--कर-निर्धारण के समय जब व्यापारी उपस्थित हो तो उसके विरुद्ध सभी बकाय धनराशि उसे बत दी जानी चाहिए।

१६--वसूली प्रमाण-पत्र आदेश की तामील के ९० दिन के पश्चात् जारी किया जाये। वसूली प्रमाण-पत्र के विरुद्ध जमा धनराशि की पहले मूल मांग में और तब ब्याज में समायोजित किया जाना चाहिए।

१७- पुराने बकाया की वसूली के लिए एक ऐसी योजना बनाई जाये कि यदि व्यापारी एक निश्चित समय तक बकाया जमा कर देते हैं तो उनसे ब्याज नहीं लिया जायेगा। सिद्धांततः स्वीकार हुआ है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

१८--अपीलीय अधिकारी यदि व्यावहारिक हो तो, अपीलों की सुनवाई दौरा करके की जाय। उपायुक्त (अपील) भी अपील की सुनवाई बड़े-बड़े शहरों में दौरा करके करें।

१९--अपीलीय अधिकारियों का ध्यान नियम ६८(८) की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए। ताकि प्रतिप्रेषित वादों में कमी हो सके।

२०--सर्वेक्षण का तरीका सभ्य तथा आदरपूर्ण होना चाहिए। अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु आयुक्त, बिक्रीकर, उत्तर प्रदेश एक मैनुअल तैयार कराकर जारी करें।

२१--प्रत्येक कर-निर्धारण अधिकारी का एक लिंक अधिकारी नामांकित कर दिया जाय जो सर्वेक्षण पर गए अधिकारी के यहां उस तिथि के नियत वादों में अगली तिथि दे दें ताकि व्यापारियों का समय नष्ट न हो।

२२--विभाग यह सुनिश्चित करे कि व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित न करें।

२३--एक कर-निर्धारण वर्ष के लिए एक अधिकारी के समक्ष होने वाली सभी कार्यवाही के लिए एक पावर आफ अटार्नी पर्याप्त समझी जाय।

२४--उच्च अधिकारियों द्वारा कर-निर्धारण आदेश के अनुमोदन करने की प्रथा समाप्त कर दी जाए।

२५--फार्म ३१ पर सम्बन्धित व्यापारी के व्यापार स्थल के अतिरिक्त प्रांत में कहीं भी माल ले जाने पर रोक नहीं होनी चाहिए।

२६--विशेष अनुसंधान शाखा द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न या अपमान न किया जावे व अनावश्यक प्रचार न किया जावे।

२७--विशेष अनुसंधान शाखा में हिसाब-किताब की जांच के समय व्यापारी को समुचित अवसर दिया जाना चाहिए।

२८--भ्रष्टाचार एवं उत्पीड़न की शिकायतों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। शिकायत वापस के स्थान पर शिकायत रजिस्टर रखना चाहिए।

२९—व्यापारियों को भेजे गए नोटिसों में समय दस बजे के स्थान पर पूर्वाह्न या अपराह्न का डाला जावे ।

३०—यह सुनिश्चित किया जावे कि संग्रह का लक्ष्य निर्धारण के कारण अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके व्यापारियों का उत्पीड़न न करें ।

३१—निर्माताओं द्वारा एक वर्ष में किए गए सौदों के लिए एक ही फार्म ३-ख स्वीकार कर लिया जाय ।

(ख) संस्तुतियां जो अधिनियम में संशोधन द्वारा कार्यान्वित की जा चुकी हैं—

१—न्यूनतम कर-योग्य विक्रय धन की सीमा बढ़ाकर ५०,००० रु० कर दी जावे ।

२—पंजीकरण हेतु न्यूनतम सीमा ३०,००० रु० रखी जावे ।

३—वसूली स्थगित करने का अधिकार अपीलीय अधिकारी को उन्हीं प्रतिबन्धों के साथ दे दिया जाय जो पुनरीक्षण अधिकारी के सम्बन्ध में लागू है ।

४—धारा ३-ई निरस्त कर दी जावे ।

५—दिनांक ४-११-७४ से २५-५-७५ की अवधि को छोड़कर अन्य किसी अवधि में विक्रीकर को विक्रय-धन का अंग न माना जाये ।

विधान सभा पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३५ पर ।)

कन्सालिडेशन स्टाफ एवजार्वेशन कमेटी की मुख्य-मुख्य संस्तुतियों की सूची

समिति ने सिफारिश की है कि अलग-अलग श्रेणी के चकबन्दी अधिष्ठान के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित तरीके से आरक्षण कर दिया जावे :—

(१) चकबन्दी अधिकारी, रेक्टेंगूलेशन अधिकारी, सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, सीनियर इन्सट्रक्टर्स तथा अन्य इस श्रेणी में जो आते हैं उनके लिए तहसीलदार के रिक्त पदों का २०% आरक्षण कर दिय जावे ।

(२) सहायक चकबन्दी अधिकारी, सहायक रेक्टेंगूलेशन अधिकारी, जूनियर इन्सट्रक्टर्स तथा अन्य जो इस श्रेणी में आते हैं उनको नायब तहसीलदार के रिक्त पदों का २०% आरक्षण किया जावे ।

(३) कन्सालिडेटर्स पेशकार, कानूनगो रेक्टेंगूलेटर्स इत्यादि श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कानूनगो के सीधी नियुक्ति में ५०% आरक्षण किया जावे ।

(४) लेखपाल चकबन्दी के लिए लेखपालों की नियुक्ति में ६६-२/३ प्रतिशत आरक्षण किया जावे ।

(५) मोटर चालक, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए दूसरे मुहकमों में खपत का इन्तजाम किया जावे ।

(६) ड्राफ्ट्समैन तथा ट्रेसर्स को स्वायत्त शासन इंजीनियरिंग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत् एवं सिंचाई, केन्द्रीय सरकार के प्रदेश में स्थित कार्यालयों एवं पब्लिक सेक्टर्स अन्डरटेकिंग में खपाने की कोशिश की जाय ।

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३६ पर)

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, १९५५ की धारा १०-ए तथा उसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली, १९७७ के प्राविधानों का संक्षिप्त विवरण ।

भारत सरकार द्वारा पारित नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, १९५५ की धारा १०-ए (जो दिनांक १९-११-१९७६ से प्रभावी है) में यह प्राविधान किया गया है कि इस अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच के उपरान्त यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि किसी क्षेत्र के निवासी उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय कोई अपराध करने से सम्बन्धित हैं, या अपराध करने में सहायक रहे हैं, या ऐसा अपराध करने वाले व्यक्तियों को आश्रय या शरण देकर रक्षा करते हैं, या अपराधी/अपराधियों को ढूढ़ने या पकड़ने में अपनी शक्ति के अनुसार सहायता देने में असमर्थ रहे हों, या ऐसे अपराध किए जाने से सम्बन्धित आवश्यक साक्ष्य छिपा रहे हों, तो राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके ऐसे निवासियों पर सामूहिक जुर्माना लगा सकती है और उस जुर्माने को उन निवासियों के मध्य जोड़ने, सामूहिक रूप से अदा करने के लिए जिम्मेदार हों, उनके साधनों के अनुसार विभाजित कर सकती है ।

२—उपयुक्त अधिनियम की धारा १०-ए के अधीन भारत सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली के अनुसार इस प्रकार के मामलों की जांच राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक ऐसे अधिकारी द्वारा की जायगी जो उप खंड मजिस्ट्रेट के स्तर से कम न हो । जांच अधिकारी जांच करते समय दन्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ में उल्लिखित संक्षिप्त विवरण की प्रक्रिया (Procedure of Sumary Trials) का अनुसरण करेगा तथा अपनी रिपोर्ट शासन द्वारा निर्धारित समय के अन्दर राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा । इस जांच रिपोर्ट के आधार पर शासन द्वारा सामूहिक जुर्माना किए जाने की दशा में जुर्माना करने अथवा उसके विभाजन सम्बन्धी आदेश से ३० दिन की अवधि के भीतर उस जुर्माने से छूट देने या उसके विभाजन सम्बन्धी आदेश में परिमार्जन करने के बारे में राज्य सरकार को पेटीशन प्रस्तुत कर सकता है जिस पर शासन द्वारा यथा सम्भव शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिये ।

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५० पर ।)

सूची

क्रमांक	नाम ग्राम	नाम व्यक्ति जिनको आवंटन बांटा गया
१	२	३
१	रजईपुर	मु० गगिया बेवा शिवनन्दा
२	ममहर	श्री बिहारी पुत्र जितई
३	गहल पुर	मु० दुलारी बेवा महावीर
४	बिघवट	मु० कुन्ती बेवा नौरंग
५	बिघवट	श्री फुहुल पुत्र भरत
६	बिघवट	मु० रूपकली बेवा झुक
७	बिघवट	मु० एकासिया बेवा बैलू
८	चकलाला	मु० सितावी बेवा रमेसर
९	नेवादा	मु० सितावी बेवा सोमरू
१०	नेवादा	मु० गजिया बेवा शलऔवार
११	बिअरी	चनरी पुत्री परिगन
१२	हुजेनीपुर	मु० खतुनिया बेवा खुदई
१३	हथिया डील	श्री चिरागन पुत्र जरिबन्धन
१४	हथिया डील	मु० रमपत्ती बेवा दीपनरायन
१५	हुसेनीपुर	श्री झामिल पुत्र वासु
१६	सिंघापुर	श्री डीगुर पुत्र लोला
१७	सिंघापुर	श्री लडउधर पुत्र रामसुन्दर
१८	सिंघापुर	श्री सोहन पुत्र नुगुड

विधान सभा उत्तर प्रदेश

१	२	३
१९	मुक्तापुर	श्री राम छबीले पुत्र शीतला
२०	पडखौली	मु० धना पुत्र सेवक
२१	डेहरिया जगदीशपुर	मु० राम दुलारी बेवा शिवचरन
२२	बसंतापुर	मु० दुलारी बेवा भुल्लन
२३	बसंतापुर	मु० गुलबी पुत्री गुलजार
२४	बसंतापुर	मु० रमकली बेवा जगमोहन
२५	सडौली	श्री ठाकी पुत्र रामदेव
२६	विक्रमपुर	मु० चौरी बेवा कतवारु
२७	विक्रमपुर	श्री कन्तू पुत्र बुल्लू
२८	बोसिया	श्री उमर पुत्र मजीद
२९	मुक्तापुर	श्री जैराम पुत्र गया
३०	ढोडवा	श्री राम देव पुत्र चरन
३१	इटावा	श्री छविराम पुत्र लुक
३२	इटंवा	मु० दुलारी बेवा छिल्लू
३३	इटंवा	मु० देव कल्ली पुत्री हुबल्लाव
३४	तिवराही	मु० मनकिया बेवा चुन्नी
३५	तिवराही	मु० बुधनी बेवा रजई
३६	इटंवा	श्री अब्बुल्ला पुत्र इस्सुल्ला
३७	कन्सापुर	बुधनी पत्नी जिवई
३८	कन्सापुर	मु० लखनी बेवा गुद्दर
३९	कन्सापुर	मु० पियारी बेवा जियावन
४०	कन्सापुर	मु० सुगनी बेवा बेनी
४१	कन्सापुर	मुनगी पुत्री सुकदेव
४२	कन्सापुर	मु० तलवन्तीया बेवा सुन्दर

१	२	३
४३	कन्सापुर	श्री शिव लाल पुत्र कलेरी
४४	कन्सापुर	श्री सीताराम पुत्र सरजू
४५	डंनिया	श्री मेही लाल पुत्र जोखू
४६	हुसेनीपुर	मु० हुवरजिया बेवा बन्धू
४७	हुसेनीपुर	मु० मोहरनिया बेवा फकीर
४८	हुसेनीपुर	मु० बबनी बेवा सदस
४९	हुसेनीपुर	मु० जंतुनिया बेवा अहमद
५०	हुसेनीपुर	मु० जुगुड़ी बेवा माता प्रसाद
५१	सराय बाबू	श्री मेवा पुत्र खेलावन
५२	सराय बाबू	मु० जगरनिया बेवा सहदेव
५३	कन्सापुर	श्री दयाराम पुत्र सीताराम
५४	कन्सापुर	श्री धरयू पुत्र मेघई
५५	कन्सापुर	मु० दसनी बेवा नथंई
५६	कन्सापुर	मु० घुमनी बेवा कटारी
५७	कन्सापुर	मु० पियारी बेवा केधई
५८	कन्सापुर	मु० सितावी बेवा सुक्खन
५९	कन्सापुर	मु० धिरजिया बेवा बैजनाथ
६०	सरायबाबू	श्री राम दुलारे पुत्र रतई
६१	सरायबाबू	श्री सकठूधन पुत्र जितई
६२	कन्सापुर	मु० सोमरिया बेवा बलिकरन
६३	हथिया डील	मु० कबूतरी बेवा बोथल
६४	हथिया डील	मु० कलावती बेवा जंनाथ
६५	मुक्तापुर	मु० पारवती बेवा वपई

विधान सभा प्रदेश उत्तर

१	२	३
६६	मुक्तापुर	श्री जगन्नाथ पुत्र सोहन
६७	कन्तापुर	महरजिया पुत्री कल्लू
६८	वेजवां	पाघू पुत्र सीवदीहल
६९	वेजवां	बैजनाथ पुत्र रामदास
७०	वेजवां	मु० मगनी बेवा टिगन
७१	वेजवां	भगवानी बेवा बल्देव
७२	वेजवां	गीराऊ जोजे सीताराम
७३	वेजवां	हुबरानी बेवा रघुवीर
७४	उपरौठ	मूलचन्द्र पुत्र बाबूनन्दन
७५	नरबुआ	मु० आन्तीयों बेवा बनवारी
७६	हुढ़ाव	मु० वन्नियां बेवा सुड़भुड़
७७	हुढ़ाव	मु० कलुई बेवा टुठी
७८	हुढ़ाव	मु० जीतविया बेवा मुन्नी
७९	हुढ़ाव	राम देव पुत्र बेचई
८०	हुढ़ाव	श्री हुधनाथ पुत्र जल्लास
८१	हुढ़ाव	खुडमुड़ पुत्र वयन
८२	हुढ़ाव	रघुनाथ पुत्र किशोर
८३	समथा खास	बसन्त लाल पुत्र बासदेव
८४	समथा खास	श्री नौरंगी बेवा रामसरन
८५	समथा खास	मु० जलेवा बेवा गीला
८६	समथा खास	मु० दुलारी बेवा कीलेश्वर
८७	समथा खास	मु० दौली बेवा सुन्दर
८८	बलीपुर	लक्ष्मीशंकर पुत्र बारादेव

अर्थ प्रदेश विधान सभा

१	२	३
८९	रौरी	लव्वर पुत्र लुसुर
९०	समवा खास	रामचरन पुत्र देवमणि
९१	गिरिया	मु० वज कलिया बेवा रामदेव
९२	गिरिया	बल्देव पुत्र जगी
९३	गिरिया	मु० सुधनी जौजे संजीत
९४	बत्तीपुर	दुखरन पुत्र राम चरन
९५	बसुआ पट्टी	रुपई पुत्र झुरू
९६	खेतल पुर .	झगड़ पुत्र परजोसन
९७	भगौतीदासपुर	लालता पुत्र राम अधार
९८	बवनपुर	रामनाथ पुत्र दुखी
९९	पुरे रिसाल सिंहपुर	अगरावती बेवा जानकी
१००	भगौतीदासपुर	मु० नेवसिया बेवा शिवचरन

पी० एस० यू० पी०—४३ विधान सभा—१४—९—७८—८४३ (पी० डी०)

उत्तर प्रदेश विधान सभा